लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४५, १९६०/१८८२ (शक)

[१६ से २६ अगस्त १९६०/२५ श्रावण से ४ भाद्र १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

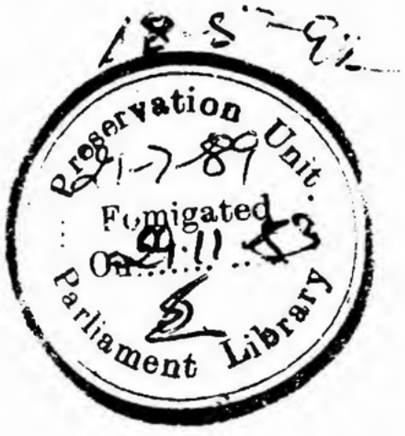

ग्यारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४५ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

द्वितीय माला, खंड ४५—अंक ११ से २०—१६ से २६ अगस्त, १९६०/२५ श्रावण से ४ भाद्र, १८८२ (शक)

अंक ११—मंगलवार, १६ अगस्त, १९६०/२५ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९२, ३९४ से ३९७, ४०० से ४०७, ४०९, ४१० और ४१२ १२५९—८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९३, ३९८, ३९९, ४०८, ४११ और ४१३ से ४३७ १२८५—१३००

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१७ से ७९७ १३००—१३३७

निधन सम्बन्धी उल्लेख १३३७

जानकारी का प्रश्न १३३७

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३३८

राज्य सभा से सन्देश १३३८

समवाय (संशोधन) विधेयक—

(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन १३३९

(२) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य १३३९

बाट तथा माप के प्रमाप (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित कार्य मंत्रणा समिति १३३९

तिरेपनवां प्रतिवेदन १३३९

वर्ष १९६०-६१ के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग (रेलवे) १३३९—४७

सभापति तालिका १३४७

वर्ष १९५७-५८ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें १३४८—५५

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (स्थिति, उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार) विचार करने का प्रस्ताव १३५६—७१

खंड २ से ५, अनुसूची और खंड १ पारित करने का प्रस्ताव १३७०—७१

प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १३७१—७४

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा के नये टोकन कार्ड १३७४—७७

दैनिक संक्षेपिका १३७८—८५

अंक १२—बुधवार, १७ अगस्त, १९६०/२६ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४६, ४४८ से ४५० और ४५२ १३८७—१४०७

	पृष्ठ
अल्प सूचना प्रश्न संख्या	१४०८-१४०९
प्रश्नों के लिखित उत्तर --	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४४७, ४५१ और ४५३ से ४८५	१४०९--२८
अतारांकित प्रश्न संख्या ७९८ से ८१६ और ८१८ से ९०७	१४२८--७५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१४७६
राज्य सभा से सन्देश .	१४७७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में आंत्रशोथ (गेस्ट्रो-एन्ट्रेराइटिस) महामारी	१४७७-७८
सदस्य के निरोध के बारे मे वक्तव्य .	१४७८--८०
दक्षिण पूर्व रेलवे पर लाइन टूटने के बारे में वक्तव्य	१४८०
समिति के लिये निर्वाचन--	
केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड	१४८१
विधेयक--पुरस्थापित--	
(१) विनियोग (संख्या ३) विधेयक , १९६०	१४८१
(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६०	१४८१-८२
प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक--	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	१४८२--९४
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	१४९५--१५११
दैनिक संक्षेपिका .	१५१२--१५१९
अंक १३--गुरुवार, १८ अगस्त, १९६०/२७ श्रावण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर --	
तारांकित प्रश्न संख्या ४८६ से ४९१ और ४९३ से ५००	१५२१--४३
प्रश्नों के लिखित उत्तर --	
तारांकित प्रश्न संख्या ४९२ और ५०१ से ५३६ . .	१५४४--६२
अतारांकित प्रश्न संख्या ९०८ से १००३ और १००५ से १०१९	१५६३--१६११
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१६१२-१३
राज्य सभा से सन्देश . .	१६१३
वर्ष १९६०-६१ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) के बारे में विवरण	१६१४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
सड़सठवां प्रतिवेदन . .	१६१४
तालचेर की हडीधुआ कोयला खान में दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	१६१४-१५

	पृष्ठ
विधेयक-पुरस्थापित——	
(१) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (दशमिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक	१६१५
(२) भारतीय मजदूर संघ (संशोधन) विधेयक	१६१५
विधेयक पारित——	
(१) विनियोग (संख्या ३) विधेयक	१६१५–१६
(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक	१६१६
पलाई सेन्ट्रल बैंक के मामलों के बारे में .	१६१७
सभा का कार्य	१६१७–१८
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन—— के बारे में प्रस्ताव	१६१८––४२
नागा पहाड़ियां और तुएनसाग क्षेत्र के बारे में प्रस्ताव	१६४३—६७
दैनिक संक्षेपिका . .	१६६८—७६

अंक १४—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९६०/२८ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५४१, ५४३ से ५४५, ५४६ से ५५१ और ५६३ . . .	१६७७—१७००
प्रश्नों के लिखित उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३७, ५४२, ५५२ से ५६२ और ५६४ से ५७७	१७००—१७१३
अतारांकित प्रश्न संख्या १०२० से १०९५ . .	१७१३––१७४९
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१७५०
सभा का कार्य . . .	१७५०
प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक . .	१७५०––६४
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	१७५०—५६
खंड २ से १० और १—पारित करने का प्रस्ताव . . .	१७५६—६५
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति .	१७६५—७७
सड़सठवां प्रतिवेदन	१७७७
सदस्य की गिरफ्तारी——	
आय की अधिकतम सीमा के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	१७७८—१८०४
समाचार पत्रों द्वारा समाचारों तथा विचारों के प्रसार के बारे में संकल्प कल्प	१८०४—०७
कार्य मंत्रणा समिति——	
चौवनवां प्रतिवेदन	१८६०
दैनिक संक्षेपिका	१८०८—१३

अंक १५--शनिवार, २० अगस्त, १९६०/२९ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५७८ से ५८२, ५८८ से ५९१, ५९३ और ५९४ . १८१५--३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५८३ से ५८७, ५९२ और ५९५ से ६१७ १८३६--५२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०९६ से १२०० १८५२--९६

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८९६

राज्य सभा से सन्देश १८९६-९७

कांगो में लियोपोल्डविल--हवाई अड्डे पर संयुक्त राष्ट्र कमान में तैनात भारतीय चालक वृन्द से सम्बन्धित घटना के बारे में वक्तव्य . १८९७-९८

पलाई बैंक के बारे में वक्तव्य १८९९--१९०१

सभा का कार्य १९०२

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--

इक्कीसवां प्रतिवेदन . १९०२

तारांकित प्रश्न संख्या ४४० के उत्तर की शुद्धि १९०२--३

समिति के लिये चुनाव--

केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड १९०३

कार्य मंत्रणा समिति--

चव्वनवां प्रतिवेदन . . . १९०४

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . १९०४--४८

मत विभाजन के परिणाम की शुद्धि १९४८

कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण तथा चिन्ह लगाना) संशोधन विधेयक विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में १९४८--५४

खंड २ और १--पारित करने के लिये प्रस्ताव १९५४

निष्क्रांत हित (पृथक्करण) संशोधन विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में १९५५

दैनिक संक्षेपिका १९५६--६३

अंक १६--सोमवार, २२ अगस्त, १९६०/३१ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६१८, ६१९, ६२१ से ६२५, ६२७, ६३०, ६३२, ६३३, ६३७, ६३८, ६४१, ६४३, और ६४५ से ६४७ १९६५--९०

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६२०, ६२६, ६२८, ६२९, ६३१, ६३४, ६३५, ६३६, ६३९, ६४०, ६४२, ६४४ और ६४८ से ६५१ . १९९१--९७

अतारांकित प्रश्न संख्या १२०१ से १२६७ . १९९७--२०२८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २०२८

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०२८

वित्तीय समितियां १९५९-६० (एक समीक्षा)--सभा पटल पर रखा गया--

बाल विधेयक २०२९

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन और साक्ष्य-- सभा पटल पर रखे गये २०२९

सदस्य की रिहाई २०२९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

काली मिर्च के वायदे के सौदे . २०२९-३०

निष्क्रांत हित (प्रथक्करण) संशोधन विधेयक--स्थगित २०३०

तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २०३०--६६

पलाई सेंट्रल बैंक के बन्द किये जाने के बारे में चर्चा २०६६--७६

दैनिक संक्षेपिका २०७७--८२

अंक १७--मंगलवार, २३ अगस्त, १९६०/१ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६५२ से ६५६, ६५९ से ६६२, ६६६, ६६७, ६७०, ६७३ और ६७४ . . . २०८३--२१०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६५७, ६५८, ६६३ से ६६५, ६६८, ६६९, ६७१, ६७२ और ६७५ से ६८५ २१०७--१६

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६८ से १३६२ २११६--५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१५७

राज्य सभा से सन्देश २१५७

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--

राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया २१५८

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव . २१५८--२२००

पलाई सेंट्रल बैंक के बारे में चर्चा २२०१--११

दैनिक संक्षेपिका . २२१२--१७

पृष्ठ

अंक १८—बुधवार, २४ अगस्त, १९६०/२ भाद्र, १८८२ (शक)

मौखिक प्रश्नों के उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८६ से ६९७ २२१९–४६

लिखित प्रश्नों के उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९८ से ७४८ . २२४६–७२
१३६३–१४६०

अतारांकित प्रश्न संख्या . . . . . २२७२—२३१२

निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . २३१२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अड़सठवां प्रतिवेदन . २३१२

अनुपस्थिति की अनुमति . . २३१२–१३

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २३१३—६१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २३६२—६८

अंक १९—गुरुवार, २५ अगस्त, १९६०/३ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या ७४९ से ७६५ २३६९—९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या ७६६ से ७९६ . . . २३९१—२४०५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४६१ से १५२६ और १५२८ से १५४४ २४०५–३८

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . . २४३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

उड़ीसा में बाढ़ २४३८–४२

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २४४२–९९

समिति के लिये निर्वाचन के बारे में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड २४९९

दैनिक संक्षेपिका २५००

अंक २०—शुक्रवार, २६ अगस्त, १९६०/४ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या ७९७ से ८०३, ८०५ से ८०८ और ८१० २५०७–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर–

तारांकित प्रश्न संख्या ८०४, ८०९ और ८११ से ८२३ २५३०–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या १५४५ से १६३० २५३६–७२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २५७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २५७२

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बांसपानी में लोहे की खानों के बन्द होने की आशंका २५७३

सभा का कार्य २५७३–७४

तृतीय पंचवर्षीय योजना को रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २५७४—८३

निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) संशोधन विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव २५८४—९७

खण्ड १ से ३—पारित करने का प्रस्ताव . २५९६–९७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अड़सठवां प्रतिवेदन २५९७

विधेयक पुरस्थापित—

१. विधि-व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १४ तथा १५ का संशोधन) [श्री हेमराज का] . २५९७

२. विधान परिषद (रचना) विधेयक, १९६० [श्री श्रीनारायण दास का] . . . २५९८

३. भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (नई धारा ३०२ का रखा जाना) [श्री अजित सिंह सरहदी का) २५९८

४. हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा २३ का संशोधन) [श्री अजित सिंह सरहदी का] २५९८

५. जल तथा वायु को दूषित करने से रोकना (संघ राज्य क्षेत्रों में) विधेयक १९६० [श्री झूलन सिंह का] . २५९८-९९

६. खान (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १२, ६४ आदि का संशोधन) [श्री झूलन सिंह का] . २५९९

७. कारखाना (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ९क का रखा जाना) [श्री झूलन सिंह का] . २५९९

८. श्रमिक दुरुपयोग (निषेध) विधेयक, १९६० [श्री झूलन सिंह का] २५९९–२६००

सामाजिक प्रथाय (व्यय में कमी) विधेयक [श्री झूलन सिंह का]

—वापिस लिया गया—

परिचालित करने का प्रस्ताव २६००—०९

वृद्धावस्था में विवाह पर रोक विधेयक [श्री मोहन स्वरूप का]—

विचार करने का प्रस्ताव २६०९—१५

दैनिक संक्षेपिका २६१६—२१

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—1031(Ai)LSD—28-9-60—135

लोक-सभा

बुधवार, १७ अगस्त, १९६०

२६ श्रावण १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(श्री हेडा पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारत में चीनियों की जन गणना

+

†*४३९ श्री दी० चं० शर्मा :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० के० देव :
श्री रामजी वर्मा :
श्री सरजू पांडे :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में रहने वाले चीनी राष्ट्रजनों की गणना समाप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और भारत में रहने वाले ऐसे कितने चीनी हैं जिनके पास क्वोमिन्टांग सरकार द्वारा दिये गये पासपोर्ट हैं ; और

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रार्थना की है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी, हां।

(ख) १ अगस्त, १९६० को भारत में पंजीबद्ध चीनियों की कुल संख्या १२,३७३ थी जिनमें से ३६०१ व्यक्तियों के पास क्वोमिन्टांग के पार-पत्र थे।

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पास ६६ आवेदन-पत्र आये हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

880(Ai)LSD—1

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या देश के विभिन्न स्थानों पर रहने वाले चीनी लोगों के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध हुए हैं? यदि हां, तो कितने व्यक्ति कलकत्ता में रह रहे हैं?

†**श्री गो० ब० पन्त** : पश्चिमी बंगाल में उनकी संख्या ८,३३६ है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इन चीनी व्यक्तियों के क्रिया कलापों पर कोई नजर रखी जाती है? क्योंकि इस सभा में तथा समाचार पत्रों में भी यह आलोचना की गयी है कि वे लोग अपने व्यवसाय करते हुए गुप्तचरों का काम भी करते रहते हैं?

†**श्री गो० ब० पन्त** : हां, ऐसा समझा जा सकता है कि सरकार भी सावधान है।

†**श्री प्र० के० देव** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्वोमिन्टांग सरकार को भारत ने अभिस्वीकार नहीं किया है, क्या वहां के ३६०० चीनियों को राष्ट्रहीन (स्टेटलैस) व्यक्ति माना जा रहा है। यदि हां, तो सरकार उन व्यक्तियों के भारत में ठहरने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

†**श्री गो० ब० पन्त** : राष्ट्रहीन (स्टेटलैस) व्यक्ति माना जा रहा है, परन्तु उन्हें एक वर्ष के लिये और ठहरने की अनुमति दे दी गयी है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या इन व्यक्तियों की गणना करते समय इनके भारत में ठहरने की अवधि को भी नोट किया गया था? यदि हां, तो उनमें से कितने व्यक्ति १९५० के बाद भारत आये थे और इनमें से कितने व्यक्तियों को जासूसी के काम करने के कारण देश छोड़ कर चले जाने के लिये कहा गया था?

†**श्री गो० ब० पन्त** : हाल ही में ३४ व्यक्तियों को देश छोड़कर चले जाने के लिये कहा गया है। परन्तु इन आंकड़ों का १९५० के वर्ष से कोई सम्बन्ध नहीं है। १९४३ तक तो जो भी व्यक्ति आये थे, उन्हें यहां पर ठहरने की अनुमति दी गयी, क्योंकि उस समय पंजीयन की कोई पद्धति नहीं थी। १९४३ के बाद आने वाले व्यक्तियों को पंजीबद्ध किया गया। अब उन सभी की गणना की गयी है जो १९४३ से पहले या बाद में आये थे।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या सरकार को ज्ञात है कि बहुत से चीनी लोग कलकत्ता में विशेषतया चाइना टाऊन जैसे स्थानों पर कई पीढ़ियों से रह रहे हैं? क्या इन व्यक्तियों को भी केवल इसी लिये चीनी राष्ट्रजनों के रूप में पंजीबद्ध किया गया है कि उनका उद्भव चीन में हुआ है?

†**श्री गो० ब० पन्त** : उनमें से कुछ व्यक्तियों ने जो कि बहुत समय से यहां रह रहे हैं, संविधान के अधीन यहीं की नागरिकता प्राप्त कर ली है।

सेठ गोविन्द दास : ये जो चाइनीज़ यहां पर रहते हैं, उनमें से क्या कुछ ऐसे भी हैं जिन की आमदरफ्त अभी भी चीन से होती है और वे जाते आते रहते हैं और वे यहां पर कौन से काम करते हैं? और क्या उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों से अपना कोई सम्बन्ध रखते हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री गो० ब० पन्त : वे बहुत से काम करते हैं। आपने कलकत्ता में देखा होगा और दूसरी जगहों में देखा होगा। जूते बनाने का काम करते हैं। और दूसरी बहुत सी तरह के काम करते हैं। लांडरीज़ उनकी बहुत जगह हैं तथा दूसरी तरह के और भी छोटे मोटे ऐसे काम हैं जो ये करते हैं। कुछ का किसी दल से ताल्लुक हो सकता है।

†**श्री प्र० के० देव :** क्या १२००० की इस संख्या में वे तिब्बती भी सम्मिलित हैं, जो कि हाल ही में भारत आये हैं और क्या उन्हें चीनी राष्ट्र जन माना जा रहा है?

†**श्री गो० ब० पन्त :** जी, नहीं वे इस संख्या में सम्मिलित नहीं हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह :** क्या भारत सरकार को पश्चिमी बंगाल की सरकार से इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि एक चीनी ने दारजलिंग जिले के कोलिम्पोंग सब डिवीज़न में पडोंग गांव में एक बहुत बड़ा चाय का बाग़ खरीदा है? यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

†**श्री गो० ब० पन्त :** इस जानकारी के लिये माननीय सदस्य का बहुत धन्यवाद। वास्तव में मुझे इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त न थी।

†**श्री तंगामणि :** हमें यह बताया गया है कि कुल १२३७३ पंजीबद्ध चीनियों में से ३६०१ व्यक्ति बिना पारपत्र के आये हैं। क्या शेष ८७०० व्यक्तियों के पास चीनी पारपत्र हैं या कि क्वोमिन्टांग के पारपत्र हैं?

†**श्री गो० ब० पन्त :** जैसा कि मैंने बताया है, ३६०१ व्यक्तियों के पास क्वोमिन्टांग के पारपत्र थे। शेष में से कुछ एक ऐसे हैं जो कि पूर्ववर्ती चीनी सरकार के पारपत्रों से आये थे और कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत समय से वहां पर रह रहे हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या यह सच है कि उन में से कुछ लोगों ने भारत पर चीनी आक्रमण के प्रश्न पर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन किया था? यदि हां, तो उनकी कितनी संख्या थी, और क्या सरकार को उन से इस बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है?

†**श्री गो० ब० पन्त :** जी, हां। इस सम्बन्ध में कुछ रिपोर्ट मिली हैं। परन्तु मैं उन लोगों की संख्या नहीं बता सकता।

सेठ गोविन्द दास : मेरी एक बात का उत्तर नहीं मिला। शायद मैं ने सुना न हो। क्या इन चाइनीज़ में कुछ ऐसे भी हैं कि जिनका इस देश की किसी राजनीतिक पार्टी से सम्बन्ध है, और अगर इस प्रकार के कुछ हैं तो क्या उनकी रिपोर्ट सरकार के पास आयी है?

श्री गो० ब० पन्त : यह तो आप पहले भी पूछ चुके हैं कि किसी राजनीतिक दल से सम्बन्ध है या नहीं और मैं ने कहा था कि कुछ का होगा।

†**श्री बाजपेयी :** जिन लोगों के पास क्वोमिन्टांग के पारपत्र हैं उनका क्या किया जायेगा। क्या सरकार ने उनके सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित की है?

†**श्री गो० ब० पन्त :** उन्हें पूरे एक वर्ष के लिये रहने की अनुमति दे दी गयी है। परन्तु यदि उनके बारे में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट आयी तो सरकार उपयुक्त कार्यवाही करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुब्बया अम्बलम :** बहुत से चीनी लोग यहां पर बिना पारपत्र और बिना भारतीय राष्ट्रीयता के अधिकार के रह रहे हैं। क्या सरकार ने भारत में उनके ठहरने पर पाबन्दी लगाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है? क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनायी है जिससे इन लोगों को वापिस भेजा जा सके।

†**श्री गो० ब० पन्त :** जैसा कि मैंने बताया है, क्वोमिन्टांग से आये हुए चीनियों के पास कोई पारपत्र नहीं है। वे यहां पर बिना पारपत्र के ही हैं। ये वे लोग हैं जो कि १९४३ से पहले थे। जो व्यक्ति १९४३ के बाद आये थे या जो क्वोमिन्टांग से नहीं हैं, उनके पास पारपत्र हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि किसी प्रकार से देश में घुस आये थे। उनकी संख्या बहुत कम है।

†**श्री प्र० के० देव :** क्या सरकार इन राष्ट्रहीन व्यक्तियों को भारत में ही नागरिकता प्राप्त करने का एक अवसर देगी?

†**श्री गो० ब० पन्त :** प्रत्येक व्यक्ति उसके लिये आवेदन कर सकता है और सरकार उनकी प्रार्थना पर विचार करेगी।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** गत दस वर्षों में चीनी लोगों की भारत में कितनी संख्या बढ़ी है?

†**श्री गो० ब० पन्त :** १९६० की जनगणना १९६१ के प्रारम्भ में पूरी होगी। अतः उसका परिणाम अभी से बता देना कठिन है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** माननीय मंत्री पहले ही बता चुके हैं कि १९६० में चीनी लोगों की कुल कितनी संख्या थी। १९५१ और १९६० की जनगणना में कितना अन्तर है?

†**श्री गो० ब० पन्त :** मैं ये आंकड़े पहले ही बता चुका हूं। माननीय सदस्य स्वयं ही हिसाब लगा सकते हैं।

विदेशी मुद्रा विनियमों का अतिक्रमण

+

†*४४०. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३१ मार्च, १९६० को समाप्त हुये वर्ष में प्रति मास विदेशी मुद्रा विनियमों के अतिक्रमण के लगभग १०० मामले रजिस्टर हुए; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा विनियमों के अतिक्रमण के मामलों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत :)** (क) जी, हां।

(ख) इस विभाग के डायरेक्टर विदेशी मुद्रा के अनधिकृत व्यापार पर नज़र रखते हैं और जहां भी आवश्यकता होती है, मुकदमा चलाया जाता है। उन्हें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन कथित अतिक्रमणों के बारे में जांच करने, मुकदमे चलाने, तथा अपराधी सिद्ध हो जाने वाली पार्टियों पर सख्त जुर्माना करने का अधिकार प्राप्त है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या यह सच है कि इसमें बड़े बड़े लोग भी अन्तर्गस्त हैं? यदि हां, तो उनके क्या क्या नाम है?

†**श्री ब० रा० भगत :** संभव है कि इन में से कुछ व्यक्ति बड़े लोग हों। जिन व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये हैं, उनमें से कुछ के नाम सभा में पहले ही बताये जा चुके हैं। सभी के नाम इस समय बताना मेरे लिये कठिन है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में और अधिक नियन्त्रण रखने के लिये विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को संशोधित करने के सम्बन्ध में कोई सुझाव है?

†**श्री ब० रा० भगत :** मैं समझता हूं कि इस समय इस अधिनियम के अधीन जो शक्ति है, वह काफ़ी है। यदि कोई कमी हुई तो हम निश्चय ही सभा से इस सम्बन्ध में और अधिक अधिकारों की मांग करेंगे।

†**श्री त्यागी :** क्या सरकार ने आय-कर के अपवंचकों के समान विदेशी मुद्रा के विनियमनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के नाम भी प्रतिमास प्रकाशित कर देने की सुकप्ता पर विचार किया है?

†**श्री ब० रा० भगत :** मैं आप को स्मरण करा देना चाहता हूं कि कुछ समय पहले जब सभा ने उन लोगों के नाम मांगे थे तो मैं ने उनकी एक सूची पेश कर दी थी।

†**श्री त्यागी :** माननीय मंत्री ने जैसे आयकर अपवंचकों के नाम प्रकाशित कराने के बारे में विधेयक प्रस्तुत किया है, उसी प्रकार से उसमें भी नाम प्रकाशित कराने का काम क्यों नहीं हो सकता?

†**श्री ब० रा० भगत :** यह ठीक है, इस बात पर विचार किया जा सकता है। परन्तु फिलहाल भी उन व्यक्तियों के नाम प्रकाशित कराये जा सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** माननीय उप मंत्री ने बताया है कि एन्फोर्समेंट डायरेक्टर सभी संभव कार्यवाही कर रहे हैं। क्या यह सच है कि एयर इंडिया इन्टरनेशनल के एक जिम्मेदार अफसर, जो कि डायरेक्टर श्री चटर्जी के पुत्र बताये जाते हैं, विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों के उल्लंघन के मामले में फंसे हुए थे, यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी थी। क्या यह भी सच है कि मामले को दबा दिया गया था?

†**श्री ब० रा० भगत :** जी, नहीं, मामले को दबाया नहीं गया था। उन पर जुर्माना किया गया था और कानूनी कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। अतः मैं इस आरोप का प्रतिवाद करता हूं कि ऐसा कोई मामला दबा दिया गया है। इसे कतई नहीं दबाया गया है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या यह सच है कि एयर इंडिया इन्टरनेशनल के दो पदाधिकारी विदेशी मुद्रा नियमों के अतिक्रमण के अपराध में पकड़े गये हैं। यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

†**श्री ब० रा० भगत :** यदि माननीय सदस्य उसके लिये अलग प्रश्न की पूर्व सूचना दें तो मैं उनके नाम भी बता सकता हूं। जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है, केवल एक ही पदाधिकारी अन्तग्रस्त था और उसके विरुद्ध कार्यवाही कर दी गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या लोक हित की दृष्टि से यह अच्छा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हो जाने के बाद ही उसका नाम यहां पर बताया जाये ताकि न्याय निर्णयन पर कुछ बुरा असर न पड़े। माननीय मंत्री ने बताया है कि नाम बताने में कोई बाधा नहीं है, परन्तु ये नाम उचित समय पर ही बातये जाने चाहियें।

†**श्री ब० रा० भगत** : जी, हां, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं।

हिन्दी के टेलीप्रिंटर और टाइपराइटर

†*४४१. **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सरजू पांडे :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री १६ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी के टेलीप्रिंटरों और टाइपरायटरों के की-बोर्ड के बारे में निश्चय करके में अब तक क्या प्रगति हुई है?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: हिन्दी टेलीप्रिंटर तथा टाइपराइटर समिति ने अपनी पुनरीक्षित रिपोर्ट पेश कर दी है और आशा है कि इस सम्बन्ध में सरकार भी अपना निर्णय इस महीने के अन्त तक दे देगी।

श्री अ० मु० तारिक : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस गवर्नमेंट के डिसीजन लेने के बाद कितनी मुद्दत में टाइपराइटर तैयार किये जायेंगे?

डा० का० ला० श्रीमाली : अब तो देर नहीं लगनी चाहिए। इस महीने के अंत तक निर्णय ले लिया जायेगा और फिर टाईपराइटर को मैन्युफैक्चर करने का प्रश्न है और जितनी जल्दी हो सकेगा इसमें कार्रवाई की जायेगी।

श्री अ० मु० तारिक : मैं जानना चाहता हूं कि क्या हिन्दीरस्मुलखत में टाइपराइटर बनाने के अलावा, हुकूमत के पेशेनजर कोई ऐसी भी स्कीम है कि और प्रादेशिक जबानों में जैसे उर्दू वगैरह में भी टाइपराइटर बनाये जायें?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, वह तो बनाये जायेंगे लेकिन यह जिम्मेदारी तो स्टेट गवर्नमेंट्स की है।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इसमें हिन्दी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है क्योंकि यह भाषा का प्रश्न नहीं है बल्कि लिपि का प्रश्न है जो कि देवनागरी है। इस लिपि का प्रयोग अहिन्दी भाषी प्रदेशों में भी किया जाता है जैसे कि महाराष्ट्र में और नैपाल में तो यह लिपि का प्रश्न है भाषा का प्रश्न नहीं है। फिर यहां पर देवनागरी शब्द का उपयोग क्यों नहीं किया गया।

---

†मूल अंग्रजी में

डा० का० ला० श्रीमाली : हिन्दी राष्ट्रभाषा स्वीकार की गयी है, हुसलिए हिन्दी शब्द का प्रयोग किया गया ।

श्री रघुनाथ सिंह : लेकिन लिपि तो देवनागरी है जिसका प्रयोग नैपाल और महाराष्ट्र में भी होता है जो कि हिन्दी स्पीकिंग एरिया नहीं है ।

डा० का० ला० श्रीमाली । अभी तक मैं ने हिन्दी टाइपराइटर और अंग्रेज़ी टाइपराइटर का नाम तो सुना है, देवनागरी टाइपराइटर का नाम तो नहीं सुना ।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक इन टाइपराइटरो के की-बोर्डों और टैलीप्रिंटरों का सम्बन्ध है, ज़ो लिपि इन में काम में ली जायेगी क्या वह वही लिपि होगी ज़ो कि अब केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत की है या कि अभी उसमें अभी और भी परिवर्तनों की गुजाइश है और क्या इस बारे में अभी और सलाह ली जा रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जहां तक लिपि का सम्बन्ध है उसको तो अन्तिम रूप दे दिया जा चुका है और उसी के मुताबिक अब टाइपराइटर बनाया जायेगा और मैं आशा करता हूं कि कम से कम कुछ अरसे के लिए तो यह टाइपराइटर का अन्तिम रूप होगा, हमेशा के लिए तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अगर और आगे खोज हुई तो उसमें अवश्य परिवर्तन किये जा सकते हैं । लेकिन कुछ अरसे तक के लिए तो इसको अन्तिम रूप दे दिया गया है ।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक टाइपराइटर्स और टैलीप्रिंटर्स के निर्माण का सम्बन्ध है क्या इस बात का प्रयत्न किया जायेगा कि यह भारतवर्ष में ही तैयार कराये जांय या यह बाहर से तैयार करवा कर मंगवाये जायेंगे ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इस के बारे में इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री से मशविरा लिया जायगा और अगर भारतवर्ष में इनको तैयार किया जा सका तो यह बहुत खुशी की बात है लेकिन अगर यहां आसानी से न बन सकें तो फिर बाहर से मदद ली जायगी ।

श्री भक्त दर्शन : चूंकि देवनागरी लिपि के टंकन यंत्रों और दूर मुद्रक यंत्रों के बारे में राज्य सरकारें काफी दिलचस्पी लेती रही हैं तो क्या इन के निर्माण के सम्बन्ध में उन से भी परामर्श किया जा रहा है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : ज़ी हां इस सम्बन्ध में उन से परामर्श किया गया था । एजुकेशन मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस में यह सारा मामला रखा गया था और उन्होंने ज़ो अन्तिम रूप लिपि का था उस को स्वीकार किया है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह सही है कि हिन्दी टैलीप्रिंटर्स और टाइपराइटर्स के की-बोर्ड के बारे में अन्तिम फैसला न होने के कारण इन दोनों चीज़ों का उत्पादन उचित मात्रा में नहीं हो रहा है और बहुत सी सम्वाद समितियों ने सरकार से निवेदन किया है कि उनको आगरा, जयपुर आदि तक के लिए टैलीप्रिंटर्स दिये जांय और चूंकि की-बोर्ड के बारे में अन्तिम फैसला नहीं हो पाया है इसीलिए यह काम अब तक रुका हुआ है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : ज़ी हां, इस काम में देरी हुई है लेकिन देरी होने का कारण माननीय सदस्य को मालूम ही है । सन् १९५३ में लखनऊ में एक कान्फ्रेंस हुई थी जहां कि देवनागरी लिपि को अन्तिम रूप दिया गया था फिर सन् १९५७ में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक दूसरी

†मूल अंग्रेज़ी में

कान्फ्रेंस बुलाई और उसमें पहली स्वीकृत लिपि को बदल दिया और उस की वजह से इस काम में यह तमाम देरी हुई है। हिन्दी टाइपराइटर्स और टैलीप्रिंटर्स कमेटी की रिपोर्ट पहले ही आ चुकी थी लेकिन चूंकि देवनागरी लिपि में तबदीली की गई तो फिर उसमें भी परिवर्तन करना जरूरी हो गया और इसी कारण यह देरी हो गई। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि अब उसको अन्तिम रूप दिया जा चुका है और जल्दी ही इस बात का प्रयत्न किया जायेगा कि जितनी जल्दी हो सके हिन्दी टाइपराइटर्स और टैलीप्रिंटर्स तैयार किये जांय।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या अन्य प्रादेशिक भाषाओं के टाइपराइटरों और टैलीप्रिंटरों के की-बोर्डों को विकसित करने के सम्बन्ध में भी कोई कार्यवाही की जा रही है और यदि हां, तो किस किस भाषा के ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले दे चुका हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे बता चुके हैं कि यह राज्यों की जिम्मेवारी है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि पहला फैसला सन् १९५३ में किया गया और उस फैसले को १९५७ में बदल दिया गया और अब अन्तिम फैसला शायद एक महीने के बाद १९६० में होने वाला है तो क्या जब तक अन्तिम फैसला नहीं होगा तब तक के लिए मंत्री महोदय क्या यह आश्वासन देंगे कि इस वक्त जो लिपि इस्तेमाल में लाई जा रही है उस लिपि के काफी टाइपराइटर्स और टैलीप्रिंटर्स उपलब्ध किये जायेंगे ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, अन्तिम फैसला हो चुका है और जैसे कि मैं ने आप से निवेदन किया इस महीने के आखिर तक सरकार अन्तिम निर्णय कर लेगी और फिर इस बात की जल्दी से जल्दी कोशिश की जायेगी कि नये टाइपराइटर्स और टैलीप्रिंटर्स तैयार हों।

†**श्री सोनावाने** : देवनागरी लिपि में टेलीप्रिंटर और टाइपराइटरों की सुविधा की दृष्टि से कितना संशोधन किया जा चुका है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं माननीय सदस्य का ध्यान सभा-पटल पर रखी गयी रिपोर्ट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि देवनागरी लिपि के टंकन यंत्रों के बारे में जब अन्तिम निर्णय हो जायगा तब उसके कितने दिनों के अन्दर यह नये टाइपराइटर्स दफ्तरों में पहुंच जायेंगे ?

डा० का० ला० श्रीमाली : उसकी अवधि मैं अभी नहीं बतला सकता हूं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि मिनिस्ट्री आफ इंडस्ट्रीज एंड कौमर्स के साथ मशविरा किया जायगा और जल्दी से जल्दी टाइपराइटर्स तैयार करने का प्रयत्न किया जायगा।

केन्द्रीय सचिवालय में संयुक्त परिषदें

+

†*४४२. { **श्री नेक राम नेगी** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २२ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १६४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सचिवालय तथा अन्य अधीनस्थ कार्यालयों में ह्विटले परिषदें था संयुक्त परिषदें बनाने के लिये क्या निश्चय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : एक संयुक्त परामर्शदात्री समिति स्थापित करने के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया गया है और इसके सम्बन्ध में एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है।

†**श्री नेक राम नेगी** : इन परिषदों के निर्माण में आपत्ति क्या है और उनके क्या क्या कार्य हैं ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : ये परिषदें इसलिये हैं कि सेवाओं से सम्बन्ध रखने वाले मामलों और कल्याण सम्बन्धी बातों के बारे में परामर्श, पारस्परिक बातचीत और आवश्यकतानुसार मध्यस्थ निर्णय से फैसला किया जा सके।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : २ जुलाई, १९६० को माननीय श्रम मंत्री ने, जो कि संयुक्त संघर्ष परिषदों से बातचीत कर रहे थे, सरकार की ओर से यह स्वीकार कर लिया था कि सरकार विभागीय तथा केन्द्रीय स्तर पर स्थायी बोर्ड स्थापित करने के लिये तैयार है क्या सरकार अभी तक उन बोर्डों की स्थापना के सुझाव पर स्थिर है या कि उसने वह सुझाव वापिस ले लिया है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैं नहीं जानता कि बोर्ड और परिषद् में क्या अन्तर हो सकता है। मैं यह भी नहीं जानता कि श्रम मंत्री और उन लोगों में क्या बातचीत हुई थी।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : पहले एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि एक समन्वय समिति स्थापित कर दी गयी है। क्या सभी मंत्रालयों को इस समिति में प्रतिनिधित्व प्राप्त है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : ब्योरे अभी तैयार किये जा रहे हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या ये परिषदें वेतन आयोग द्वारा सुझायी गयी ह्विटले काउंसिल्स के नमूने पर होंगी और क्या ये परिषदें डाक तथा तार, रेलवे और प्रतिरक्षा विभागों में स्थापित की जायेंगी ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : ह्विटले काउंसिल्स के नमूने को ध्यान में रखा जायेगा। जैसा कि मैंने बताया है, योजना के ब्योरे अभी तक तैयार नहीं किये गये हैं। परन्तु सम्भवतः तीन परिषदें होंगी—एक रेलवे के लिये जिसमें रेलवे वर्कशापें भी सम्मिलित हैं, दूसरी अन्य वर्कशापों के लिये और तीसरी अन्य सेवाओं के लिये होंगी।

†**श्री आचार** : क्या मध्यस्थ निर्णय को सरकार द्वारा मानना आवश्यक होगा ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : जब तक इस सम्बन्ध में कोई विधेयक संसद् के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक सरकार इन निर्णयों को सामान्यतया मान लेने के लिये तैयार है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : माननीय मंत्री ने बताया हैं कि अब केवल ब्यौरे तैयार करने रह गये हैं। तो क्या हम यह जान सकते हैं कि इन परिषदों का स्वरूप क्या होगा और उस के सदस्य कौन होंगे ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : गठन आदि का प्रश्न भी ब्यौरे में हीं आता है।

†**श्री एन्थनी पिल्ले** : क्या कार्मिक संघों और ह्विटले काउंसिल्स के कार्यों में कुछ अन्तर होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गो० ब० पन्त** : ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं और इसीलिये यह ठीक ठीक बताना कठिन है कि इंगलैंड में ह्विटले काउंसिल कैसे चल रही हैं। हम भी उनके नमूने को अपने सामने रखेंगे, परन्तु हमें उन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना है जिन में रह कर हमें काम करना है ?

†**श्री तंगामणि** : क्या इन परिषदों के सदस्य चुने जायेंगे या कि उन्हें नामजद किया जायेगा ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : जहां तक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, मेरा अनुमान है कि उस में कर्मचारियों के अपने प्रतिनिधि होंगे जोकि मेरा ख्याल है कि किसी न किसी प्रकार से चुने जायेंगे।

संगीत नाटक अकादमी

†*४४३. श्री त्यागी :
श्री नवल प्रभाकर :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री अगाड़ी :
श्री वाडियार :
श्री सुगन्धि :
श्री ई० मधुसूदन राव :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगीत नाटक अकादमी के हिसाब-किताब में कथित गड़बड़ी के बारे में कोई जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो जांच करने वाले पदाधिकारी ने क्या रिपोर्ट दी है ; और

(ग) इस जांच पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जांच अफसर को बहुत सी गड़बड़ों का पता लगा है और उन की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद संगीत-नाटक अकादमी के कार्यकारी बोर्ड ने सरकार से कहा कि यह मामला आगे की जांच के लिये स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट को सौंपा जाये। ऐसा कर दिया गया है।

†**श्री त्यागी** : कुल कितने रुपयों की गड़बड़ हुई है ?

†**श्री हुमायूं कबिर** : इस रिपोर्ट को हम ने अभी तक गुप्त ही रखा है परन्तु, यह मैं बता देना चाहता हूं कि इस में बहुत अधिक राशि अन्तर्ग्रस्त है ?

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार ने कीमतों को रोकने की सम्पूर्ण राष्ट्र की मांग को ध्यान में रखते हुए उन सभी कार्यों तथा परियोजनाओं में धन लगाने के काम को स्थगित कर देने के प्रश्न पर विचार किया है जिन से शीघ्र ही लाभ प्राप्त होने की कोई आशा नहीं है।

†**श्री हुमायूं कबिर** : शीघ्र ही प्राप्त होने वाले लाभों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य का अपना ही दृष्टिकोण है, परन्तु मैं नहीं समझता कि समाज के अन्य लोग इस प्रकार की योजनाओं के सम्बन्ध में कोई सन्देह करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या इस संस्था के एकाउन्ट्स का कभी आडिट होता था या नहीं ? क्या उस से यह पता नहीं चला कि इस के एकाउंट्स में इर्रेगुलरिटी है और स्पेशल आफ़िसर बहाल किया जाये ?

श्री हुमायूं कबिर : आडिट से ही पहले पता चला । जब १९५७-५८ की रिपोर्ट आई, जो मुझे १९५९ में मिली, उसी में जो कुछ इर्रेगुलेरिटीज़ थीं, उन का पता चला और उसी के थोड़ी देर बाद यह एन्क्वायरी शुरू हुई ।

श्री त्यागी : जब एग्ज़ेक्टिव बोर्ड कोई खर्चा तबले, सारंगी वग़ैरह या नाच-गाने पर करता है, तो क्या वह मिनिस्ट्री से सैंक्शन लेता है ? एग्ज़ेक्टिव बोर्ड के मेम्बरों के नाम क्या हैं ?

श्री हुमायूंन् कबिर : यह एक आटोनोमस बाँडी है और इसलिये जब वे अपने प्रोग्राम के मुताबिक काम करते हैं, तो मिनिस्ट्री से सैंक्शन लेने का सवाल नहीं उठता । मेम्बरों के नाम रिपोर्ट में हैं, जोकि लाइब्रेरी में मौजूद है ।

श्री त्यागी : इस के चेयरमैन का नाम क्या है ?

श्री हुमायूं कबिर : जस्टिस राजमन्नार ।

†**श्री नरसिंहन् :** संगीत नाटक अकादमी के इन पदाधिकारियों के विरुद्ध अभियोग कब प्रारम्भ किया जायगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो विशेष पुलिस के हाथ में है । क्या माननीय मंत्री माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं ।

†**श्री हुमायूं कबिर :** वास्तव में ज्यों ही इस मामले की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया था हम ने इस सम्बन्ध में जांच शुरू करा दी थी । यह जांच गत वर्ष के सितम्बर मास में शुरू की गई थी । रिपोर्ट के प्राप्त होते ही कार्य पालक बोर्ड ने उस पर विचार किया और उस ने यह इच्छा प्रकट की कि इस मामले को विशेष पुलिस संस्थापन को सौंप दिया जाय । वह मामला अब उस संस्थापन को सौंप दिया गया है । हम ने उन से यह कह दिया है कि वे शीघ्रातिशीघ्र इस की अन्तिम रिपोर्ट भेज दें । अतः भावी कार्यवाईयां विशेष पुलिस की रिपोर्ट पर ही निर्भर करती हैं ।

†**श्री च० द० पांडे :** संगीत नाटक अकादमी से प्राप्त इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार इन तथाकथित स्वायत्तशासी निकायों के वित्तीय नियंत्रण को अपने हाथ में रखेगी ताकि वहां पर धन की गड़बड़ को रोका जा सके ?

†**श्री हुमायूंन् कबिर :** इन स्वायत्तशासी निकायों के सामान्य कार्य किन्हीं विशिष्ट सिद्धांतों के अनुसार ही चलते हैं । परन्तु यदि किसी निकाय में उन सिद्धान्तों का उल्लंघन किया जाता है तो मुझे विश्वास है कि सभा यह नहीं चाहेगी कि उस निकाय के स्वायत्त अधिकार में हस्तक्षेप किया जाये ।

†**श्री त्यागी :** सभा तो यही चाहती है कि धन के व्यर्थ के खर्च को रोका जाये ।

†**श्री हुमायूं कबिर :** इस के रोकथाम की पूरी पूरी कोशिश की जायेगी । परन्तु मैं यह समझ नहीं सका कि 'व्यर्थ के खर्च' से माननीय सदस्य का क्या तात्पर्य है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुगन्धि** : क्या अकादमी की सचिव, कुमारी निर्मल जोशी ने त्यागपत्र दे दिया है, यदि हां, तो त्यागपत्र में क्या कारण दिये गये हैं ?

†**श्री हुमायूं कबिर** : मैं ने उन का त्यागपत्र अभी तक देखा नहीं है । मेरा ख्याल है कि उस में कोई कारण नहीं बताया गया है । परन्तु कार्य पालक बोर्ड ने उन का त्याग पत्र स्वीकार करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि त्यागपत्र स्वीकार कर लेने से यह तात्पर्य नहीं है कि यदि उन पर कोई वित्तीय जिम्मेदारी हुई तो वह उस से मुक्त कर दी गई हैं

†**श्री च० रा० पट्टाभिरमन** : क्या धन की यह गड़बड़ केवल हैडक्वार्टर में ही हुई है या कि अन्य किसी प्रादेशिक कार्यालय में भी ।

†**श्री हुमायूं कबिर** : संगीत नाटक अकादमी का कोई भी प्रादेशिक कार्यालय नहीं है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यदि इस में केवल गड़बड़ का ही मामला है तो इस में पुलिस का क्या काम है क्योंकि पुलिस का सम्बन्ध तो केवल हस्तक्षेप्य अपराधों से है ? क्या यहां पर भी कोई हस्तक्षेप्य अपराध निहित है और यह केवल मात्र अनियमितता का मामला नहीं है, हमें यह स्पष्टतया कोई नहीं बता दिया जाता कि वह अपराध किस प्रकार का है और उस में कुल कितनी राशि की गड़बड़ निहित है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मामले की अभी जांच की जा रही है ।

†**श्री हुमायूं कबिर** : संसद् के सम्मुख सभी बातें प्रस्तुत करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं ने केवल 'अनियमितता' शब्द का ही प्रयोग किया है ; इस के अन्तर्गत अकादमी के सचिवों द्वारा किये गये सभी कथित अनियमित कार्य सम्मिलित हैं, मैं इस बारे में निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता, परन्तु आरोप यह लगाया जाता है कि उन्हों ने कुछ एक अदायगियों को रोक लिया था और कुछ एक गलत अदायगियां कर दी हैं, इसीलिये हम ने सम्पूर्ण मामला विशेष पुलिस पदाधिकारी को सौंप दिया है ताकि सचाई के ज्ञात होते ही आवश्यक कार्यवाही की जा सके ।

श्री नवल प्रभाकर : अभी माननीय मंत्री ने कहा है कि जांच की रिपोर्ट जल्दी आ जायगी, मैं यह जानना चाहता हूं कि उस में कितना समय लगेगा ?

†**श्री हुमायूं कबिर** : जांच रिपोर्ट २४ मई को कार्यपालक बोर्ड को प्रस्तुत की गई थी । ४ जून को कार्यपालक बोर्ड ने यह निर्णय किया कि यह मामला विशेष पुलिस संस्थापन को सौंप दिया जाय । अतः शीघ्रातिशीघ्र मामला उस पुलिस संस्थापन को सौंप दिया । हम ने उसे निवेदन किया है कि वह शीघ्रातिशीघ्र अपनी रिपोर्ट भेज दें ।

सेना वर्कशाप

†*४४४. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना वर्कशापों में केवल मरम्मत का काम होता है या वहां उत्पादन-कार्य भी होता है ;

(ख) क्या इन वर्कशापों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क). प्रतिरक्षा मंत्रालय में सरकारी संस्थापनों का यथासंभव अधिक से अधिक उपयोग करने का यत्न किया जाता है।

(ख) और (ग). आवश्यकतानुसार उन संस्थापनों का विस्तार किया जाता है या उन में संशोधन किया जाता है या नये संस्थापन स्थापित किये जाते हैं। ऐसा करते समय व्यवहारिकता और अपने संसाधनों को सदा ध्यान में रखा जाता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह सच है कि ,इन संस्थापनों में बहुत सी खराब गाड़ियों की भी मरम्मत की गई है; यदि हां, तो कितनी गाड़ियों की मरम्मत की गई है और क्या अब वे काम में लाई जा सकती है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : सैनिक गाड़ियों की संख्या नहीं बताई जा सकती, यह बताना लोकहित में नहीं है। परन्तु यह सत्य है कि इन संस्थापनों में खराब गाड़ियों की मरम्मत की गई है या उन्हें दुबारा तैयार किया गया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या इन वर्कशापों का युद्धास्त्र कारखानों से समन्वय उत्पन्न करने के सम्बन्ध में कोई योजना है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** जी, नहीं। दोनों का अलग अलग काम है। कभी कभी दोनों में किसी विशेष दिशा में एक जैसा काम भी होने लगता है और उस समय पारस्परिक परामर्श से ही काम चलता है, परन्तु उन्हें एक ही नियन्त्रण के अधीन नहीं लाया जा सकता। जहा तक इन संस्थापनों का सम्बन्ध है, इनमें किया गया काम पिछले दो वर्षों में पहले से दुगना हो गया है।

†**श्री मं० रं० कृष्ण:** इन वर्कशापों में शक्तिमान तथा अन्य ट्रकों के लिये आवश्यक किस किस वस्तु का निर्माण किया जा रहा है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** उन वस्तुओं का निर्माण युद्ध सामग्री कारखानों में किया जाता है। यहाँ नहीं।

†**श्री अन्सार हरवानी :** क्या इन वर्कशापों का उस दृष्टि से विस्तार करने का कोई विचार है कि जिससे ये शान्तिकाल में असैनिक कार्यों के लिये भी इस्तैमाल की जा सकें ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : ये सैनिक वर्कशापे हैं, युद्ध सामग्री कारखाने नहीं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य के मन में कुछ मिथ्या भ्रांति है।

दक्षिण में इस्पात का कारखाना

\+

*४४५. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री पुन्नूस :

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बि० दास गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :
डा० क० ब० मेनन :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में एक इस्पात कारखाना खोलने की सम्भावना की जाँच पड़ताल करने और उसकी रिपोर्ट देने के लिये इस्पात, खान और ईंधन मन्त्रालय एवं मद्रास राज्य के अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो समिति ने कितना काम कर लिया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी, हाँ।

(ख) समिति ने उपलब्ध सामग्री का परीक्षण कर लिया है और यह सुझाव दिया है कि इस बारे में और अधिक जाँच की जाये।

†**श्री वारियर :** क्या उस स्थान पर इस्पात के उत्पादन के लिये लिगनाइट के इस्तैमाल की सम्भावना के सम्बन्ध में जाँच कार्य पूरा कर लिया गया है। यदि हाँ तो उसके क्या परिणाम निकले हैं?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** इस्पात के निर्माण के लिये लिगनाइट का इस्तेमाल एक ऐसा मामला है जिस पर समिति अच्छी प्रकार से विचार कर रही है। समिति ने कुछ जाँच की भी है। उस निम्न उदग्र भट्टी (लोशेफ्ट फर्नेस) के सम्बन्ध में भी जाँच की जा रही है जो कि इस समय जमशेदपुर में चल रही है। समिति ने यह सुझाव दिया है कि इस परियोजना के बारे में निर्णय करने से पहले और अधिक विस्तृत भूतत्वीय जाँच की जो व कच्ची सामग्री अर्थात् लिगनाइट, लौह अयस्क और चूने के पत्थर की उपयुक्त मात्राओं से बड़े पैमाने पर व्यापारिक परीक्षण किये जायें।

†**श्री नरसिंहन्** : क्या यह समिति अन्य मामलों जैसे कि परियोजना के स्थान, क्षमता और उत्पादन के तरीकों के सम्बन्ध में भी जाँच करने का विचार रखती है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जी हाँ, वे इस सम्बन्ध में भी विचार करेंगे।

†**श्री नरसिंहन् :** समिति के सदस्यों के क्या क्या नाम हैं ?

†**श्री स० र० अरुमुगम :** क्या सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने पूर्वी जर्मनी सरकार की इस सिफारिश की ओर ध्यान दिया है कि सैलम लौह अयस्क विद्युत् शक्ति से पिघलाया जा सकता है जैसा कि नार्वे में किया जा रहा है ? पूर्वी जर्मनी सरकार की और क्या क्या सिफारिश हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** जहाँ तक समिति के सदस्यों के नामों का सम्बन्ध है, वे निम्नलिखित हैं :

(१) श्री एस० आर० केवार—मद्रास के राजस्व बोर्ड के सदस्य।

(२) श्री बी० आर० निझावन—राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, जमशेदपुर के डायरेक्टर।

(३) डा० सी० वी० एस० रत्नम—नीवेली लिगनाइट कारपोरेशन के चीफ कैमिस्ट

(४) श्री बी० पैशाधरी शर्मा—मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, भद्रावती के अतिरिक्त जनरल मैनेजर।

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) श्री बी० टी० तलवाड़––दुर्गापुर स्टील प्रोजैक्ट के चीफ सुपरिन्टेन्डेंट ।

(६) श्री आर० पी० सिन्हा, डिप्टी चीफ इंजीनियर, डिज़ाइन्स रूरकेला ।

(७) श्री के० एच० रघुपति––लोहा तथा इस्पात विभाग के उपसचिव ।

जहाँ तक अन्य माननीय सदस्य द्वारा पूर्वी जर्मनी सरकार की सिफारिशों के बारे में पूछे गये प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं यह बता देना चाहता हूं कि वह रिपोर्ट समिति के सामने है और वह इस जर्मनी सरकार की सिफारिशों का उपयोग करने का यत्न करेगी ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या इस परियोजना को तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है और यदि हाँ, तो उसके लिये कितनी राशि निर्धारित की गयी है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस परियोजना को तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का विचार तो है, परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है । केवल बड़े पैमाने पर व्यापारिक दृष्टि से परीक्षण किये गये हैं । इन परीक्षणों की सफलता के आधार पर ही तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में इस प्रकार की ऐक परियोजना चलायी जायेगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : ये व्यापारिक परीक्षण किस प्रकार के हैं और इन परीक्षणों को कौन कार्यान्वित कर रहा है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : बड़े पैमाने पर व्यापारिक दृष्टि से ये परीक्षण उन कारखानों में किये जायेंगे जहाँ लोहा लिगनाइट के प्रयोग से पैदा किया जाता है, और ऐसी भट्टियाँ पूर्वी जर्मनी में हैं । वे परीक्षण नार्वे में भी विद्युत् भट्टी प्रक्रिया के द्वारा किये जायेंगे ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : क्या यह सच है कि उन परीक्षणों के लिये दूसरी किस्त के रूप में लगभग ६ मास पहले २००० टन लिगनाइट पूर्वी जर्मनी को भेजा गया था और क्या वहाँ से कोई रिपोर्ट आयी है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरा ख्याल है कि अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आयी है । मैं यह केवल अपने अनुमान के आधार पर ही जवाब दे रहा हूं । अधिक मात्रा में लिगनाइट वहाँ पर भेजना तो था, परन्तु मैं इस समय निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि कितना, कब और कितनी किस्तों में लिगनाइट भेजा गया है ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : क्या यह सच है कि अब लिगनाइट की खानें खोदने का कार्य प्रारम्भ होने वाला है, इसलिये क्या सरकार व्यापारिक परीक्षणों के इस कार्य को गति देने का यत्न करेगी ?

†**सरदार स्वर्णसिंह** : वास्तव में, व्यापारिक परीक्षण उसी हालत में किये जा सकते हैं जबकि पर्याप्त मात्रा में लिगनाइट उपलब्ध हो, परन्तु हमें आशा है कि १९६१ के मध्य तक इन परीक्षणों के लिये पर्याप्त मात्रा में लिगनाइट उपलब्ध हो जायेगा । इससे पहले लिगनाइट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो सकेगा ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि मैसूर राज्य में पर्याप्त मात्रा में लोहे के निक्षेप पाये गये हैं,, तो वहाँ पर इस्पात के विकास की सम्भावना की खोज करने के लिये इसी प्रकार की एक और समिति क्यों नहीं नियुक्त कर दी जाती जिसमें मैसूर राज्य को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हो ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जैसा कि सभा को ज्ञात है, मैसूर में पहले ही एक इस्पात कारखाना है। मैसूर में लौह अयस्क उपलब्ध है। अन्य राज्यों में भी तो पर्याप्त मात्रा में लोह अयस्क उपलब्ध है। परन्तु नेवेली या मद्रासस राज्य में विशेष लाभ यह है कि वहाँ पर लौह अयस्क के साथ ही साथ लिग्नाइट भी उपलब्ध है। परन्तु मैसूर में कोयला या लिगनाइट उपलब्ध नहीं है।

†**श्री तांगामणि**: क्या इस समिति ने सैलम में किसी स्थान की उपयुक्तता के सम्बन्ध में विचार किया है, जहाँ लौह अयस्क विद्यमान है और क्या पूर्वी जर्मनी की तरह जमशेदपुर में भी इसी प्रकार के परीक्षण करने के लिये लिगनाइट जमशेदपुर को भी भेजा गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : समिति स्थान के बारे में भी विचार कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह समिति इस परियोजना के लिये सर्वोत्तम स्थान की खोज करेगी। मैं पहले ही बता चुका हूं कि परीक्षणों के लिये जमशेदपुर को निम्न उदग्र **भट्टी** के लिये लिगनाइट भेजा जा चुका है।

†**श्री सम्पत्** : इस्पात, खान और ईंधन मन्त्रालय की माँगों के सम्बन्ध में सभा में हो रही चर्चा की दौरान में माननीय मंत्री ने यह बताया था कि नेवेली से लिगनाइट निकालने के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये ७० लाख टन का लक्ष्य होगा, परन्तु तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में केवल ४५ लाख टनों का ही उल्लेख है। तो क्या यह इस बात का संकेत है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में दक्षिण में इस्पात कारखाना स्थापित करने की आशा कम होती जा रही है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं इससे सहमत नहीं हूं।

†**श्री जयपाल सिंह** : अभी अभी माननीय मन्त्री ने यह बताया है कि मैसूर राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी लोह अयस्क पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो क्या वे यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा बिहार, मध्य प्रदेश और मैसूर के अतिरिक्त और किस किस राज्य में पर्याप्त मात्रा में यह उपलब्ध है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : वैसे तो लगभग सभी राज्यों में किसी न किसी मात्रा में यह उपलब्ध है। परन्तु यह पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के अतिरिक्त यह आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर, राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब में पाया जाता है।

†**श्री बाल कृष्णन्** : क्या यह सच नहीं है कि जर्मन विशेषज्ञों ने व्यापरिक आधार पर लोह अयस्क और लिगनाइट को निकालने के सम्बन्ध में अनुकूल सिफारिश की है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यदि रिपोर्ट अनुकूल न होती, तो हम उतनी प्रगति न कर सकते।

†**श्री जोकीम आल्वा** : इस योजना को बनाने से पहले सरकार ने भद्रावती आयरन एण्ड स्टील वर्क्स द्वारा की गयी इस निरंतर प्रार्थना के प्रति क्या रुख अपनाया है, कि भद्रावती वर्क्स की वस्तुओं की किस्म और मात्रा को बढ़ा दिया जाये और उस मिल को देश के अन्य सर्वोत्तम इस्पात कारखानों के समान बना दिया जाये ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं नहीं समझता कि दोनों बातों का कोई अन्तर्सम्बन्ध है : अलग अलग रुप से भद्रावती के विस्तार कार्यक्रम के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। उस सम्बन्ध में कुछ एक कार्यवाहियां की भी जा चुकी हैं। यदि और भी कोई सुझाव प्रस्तुत किया गया तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। परन्तु अन्य स्थानों पर स्थापित किये जाने वाले कारखानों के प्रश्न का भद्रावती के कारखाने के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० के० देव :** क्या इस्पात कारखानों के वितरण के सम्बन्ध में सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए यह समिति दण्डकारण्य क्षेत्र में जो कि दक्षिण में एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, एक इस्पात कारखाना स्थापित करने की सम्भावा पर विचार करेगी, क्योंकि बेलादिल्ला में लोहे के पर्याप्त निक्षेप पाये जाते हैं और चान्दा तथा सिंगरेनी के कोयले के क्षेत्र भी उस स्थान के नजदीक ही हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** माननीय सदस्य ने यह कहा है कि दण्डकारण्य दक्षिण में है। मैं नहीं समझता कि दक्षिण के माननीय सदस्य भी इससे सहमत होंगे । यह एक विवादस्पद प्रश्न हो सकता है, परन्तु मैं नहीं समझता कि यह समिति जो कि मद्रास में लौह अयस्क और निवेली के लिगनाइट के उपयोग की संभावना की खोज के लिये नियुक्त की गयी है, उस प्रकार के कार्य के लिये उपयुक्त होगी, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं । जहां तक बेलादिल्ला क्षेत्र का सम्बन्ध है, वहां पर लौह अयस्क की खोज के कार्य का विकास करने का विचार है । परन्तु इस समय उस क्षेत्र में कोई और इस्पात कारखाना स्थापित करने के बारे में विचार करने की कोई संभावना नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** लिगनाइट से किस प्रकार के इस्पात के निर्माण का विचार है ? क्या परियोजना समिति उस सम्बन्ध में भी सुझाव देगी कि देश में किस प्रकार के इस्पात की जरूरत होगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह समिति उस सम्बन्ध में सिफारिश नहीं करेगी क्योंकि वह तो ब्योरे का प्रश्न है और ऐसा प्रविधिक प्रश्न है जिसके लिये विशेषज्ञों की जरूरत है । उस समिति में कुछ एक विशेषज्ञों के अतिरिक्त गैर-विशेषज्ञ व्यक्ति भी हैं जो कि परियोजना के प्रारम्भ की संभावना के सम्बन्ध में प्रारम्भिक बातों पर विचार करने के लिये हैं । उनसे अनुकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर और अन्य बातों पर विचार कर लेने के बाद सिफारिशों के आधार पर परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी ।

†**श्री रामी रेड्डी :** क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में एक इस्पात कारखाना लगाने के लिये प्रार्थना की थी और इस सम्बन्ध में इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय को एक पत्र भी लिखा था और मंत्रालय ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को लिखा था कि पांचवे इस्पात कारखाने की स्थापना के प्रश्न पर विचार करते समय इस की ओर अवश्य ध्यान दिया जायेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मुझे स्मरण है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने एक पत्र भेजा था जिसमें लिखा था कि उस राज्य में एक इस्पात कारखाना स्थापित किया जाये । मेरा अनुमान है कि उस सरकार ने प्रारम्भिक बातों पर विचार करने के लिये एक विभागीय समिति भी नियुक्त कर दी है । परन्तु इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं ज्ञात है कि उसके बाद क्या हुआ ।

†**श्री नरसिंहन् :** क्या समिति नेवेली या सैलम में अग्रिम कारखाने स्थापित करने की संभावना के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं नहीं समझता कि किसी प्रयोगात्मक अथवा अग्रिम कारखाने से कोई लाभ होगा । इसके लिये तो एक निमित कारखोने की जरूरत है । जमशेदपुर में हमने पहले ही एक प्रयोगात्मक कारखाना चला रखा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

'नेफा' में आकाश सीमा का अतिक्रमण

†*४४६. **श्री आसर :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने १४ मई, १९६० को बम्बई में अपनी प्रेस कान्फ्रेंस में कहा था कि हो सकता है कि चीन नेफा सीमा पर हमारी आकाश सीमा का अनजाने में अतिक्रमण करता रहा हो ;

(ख) यदि हां, तो क्या आकाश सीमा के इस अनजाने अतिक्रमण का हमारी सरकार ने विरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो चीन सरकार ने क्या उत्तर दिया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया):** (क) से (ग). १४ मई, १९६० को बम्बई में हुए प्रेस सम्मेलन में, प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा कि नेफा में चीन के तिब्बत प्रदेश की ओर से आने वाले विमान ने जो पहचाना नहीं गया, भारतीय आवास सीमा का अतिक्रमण किया। सरकार ने ४ अप्रैल, १९६० को उक्त अतिक्रमण के लिये चीनी सरकार से विरोध प्रकट किया है। उत्तर में चीनी सरकार ने बतलाया कि कोई चीनी विमान भारतीय क्षेत्र के ऊपर से नहीं उड़ा।

†**श्री आसर :** प्रतिरक्षा मंत्री को कैसे पता चला कि ये आकाश सीमा अतिक्रमण निर्दोष थे ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** प्रतिरक्षा मंत्री ने ऐसा नहीं कहा।

†**श्री आसर :** तो प्रतिरक्षा मंत्री ने इस वक्तव्य का खण्डन क्यों नहीं किया ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** समाचारपत्रों में जो कुछ छपता है उसका खंडन करना मेरे लिये संभव कार्य नहीं है।

†**श्री बाजपेयी :** यह अभी कहा गया है कि तिब्बत की ओर से आने वाले विमानों ने जो पहचाने नहीं गये हमारी आकाश सीमा का अतिक्रमण किया। क्या हम यह समझें कि हमारी प्रतिरक्षा की तैयारी इतनी अपर्याप्त है कि हम अपनी आकाश सीमा का अतिक्रमण करने वाले विमानों को पहचान भी न सकें ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** तैयारी कितनी भी पूर्ण हो कुछ उंचाइयों पर विमानों को पहचानना संभव नहीं है।

†**डा० राम सुभग सिंह :** बम्बई में प्रतिरक्षा मंत्री के वक्तव्य के पश्चात् क्या नेफा में आकाश सीमा का अतिक्रमण बन्द हो गया है या अभी हो रहा है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** मुझ से एक अतिक्रमण विशेष के बारे में प्रश्न पूछा गया था और मैंने उसका उत्तर उपमंत्री द्वारा पढ़े गये शब्दों में दे दिया। निर्दोष अतिक्रमण का उल्लेख करने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि किसी भी समय हमारे उस आकाश क्षेत्र में विदेशी विमान की अनधिकृत उड़ान निर्दोष नहीं कही जा सकती। अन्य अतिक्रमणों के बारे में पृथक प्रश्न पूछे जाने पर मैं उत्तर दे सकता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या सरकार का ध्यान बहुत से समाचारपत्रों में प्रकाशित होने वाले इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि न पहचाने गये विमानों की इन उड़ानों में से कुछ उड़ानें आईलैंड और दक्षिण वियत-नाम में सीटो के कुछ अड्डों से उड़े हुए विमानों द्वारा की गई प्रावेक्षण उड़ानों के कारण की गई हो ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** हम ने ऐसे समाचार देखे हैं । इसी कारण यह कहा जाता है कि वे न पहचाने हुए जहाज थे । हमारी वर्तमान स्थिति और चीन के साथ संबंध की दृष्टि से हमने स्वाभावतः उन से विरोध प्रकट किया परन्तु उन्होंने कहा कि वे उनके विमान नहीं थे । हमारे पास उस ऊंचाई पर उनको पहचानने या गिराने के कोई साधन नहीं हैं ।

केन्द्रीय यान्त्रिक इंजीनियरी अनुसन्धान संस्था

†*४४८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य**-मंत्री २९ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष निधि में से केन्द्रीय यान्त्रिक इंजीनियरी अनुसन्धान संस्था बनाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) :** केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्था मुख्यतया भारत सरकार द्वारा दिये गये धन से स्थापित की जा रही है । संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि का अंशदान सामान, विशेषज्ञों और प्रशिक्षण छात्रवृत्ति के रूप में जो लगभग ७००,००० डालर है, संस्था की कुल लागत का लगभग १५ प्रतिशत होगा । अभी तक उस निधि से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई क्योंकि करार के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र की सहायता तभी आरम्भ होगी जब संस्था की इमारत पूर्ण हो जाए । परन्तु करार के अन्तर्गत एक विशेषज्ञ, श्री एच० डब्ल्यू० बेकर, यांत्रिक इंजीनियरी, मांचेस्टर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की अक्तूबर १९६० में, परियोजना की विस्तृत योजना के बारे में सलाह देने के लिये तीन महीनों के लिये आने की आशा है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** यह केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्था कब कार्य आरंभ करेगी ?

†**श्री हुमायूं कबिर :** एक अर्थ में कार्य आरंभ हो चुका है । परन्तु निर्माण का पहला क्रम १९६१ तक पूरा हो जाएगा, जब कि कार्य स्थायी आधार पर आरंभ होगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्था इंजीनियरी की सब प्रकार की समस्याओं को लेगी या केवल विशेष प्रकार की इंजिनीयरी—अर्थात् यांत्रिक इंजीनियरी के बारे में ?

†**श्री हुमायूं कबिर :** यह यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्था है ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** स्थान का अन्तिम रूप में चुनाव कब किया गया था ?

†**श्री हुमायूं कबिर :** जैसा मैंने कहा, निर्माण आरंभ किया जा चुका है, और बहुत से वर्कशाप पूर्ण किये जा चुके हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ताप प्रतिरोधक पदार्थ

४४९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कि क्या यह सच है कि राष्ट्रीय धातु शोधक प्रयोगशाला, जमशेदपुर ने घटिया प्रकार के खनिज क्रोम से एक ताप प्रतिरोधक पदार्थ बनाने के तरीके की खोज की है, जो इस्पात की तथा अन्य भट्टियों में प्रयोग किया जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबिर):** जी, हां । नेशनल मेटलर्जिकल लेबारेटरी, जमशेदपुर मे घटिया किस्म के क्रोम ओर से ताप रोधक पदार्थ बनाने का एक तरीका निकाा गया है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** क्या यह सफल और सस्ता है ?

†**श्री हुमायूं कबिर :** यह अत्यधिक सस्ता है क्योंकि इस के द्वारा हम कुछ हल्की किस्म के क्राम अयस्क का प्रयोग कर सकेंगे, जिन का पहले कभी प्रयोग नहीं होता था ।

†**श्री साधन गुप्त :** क्या इस तरीके का वाणिज्यिक रूप से उपयोग करने के लिये कोई कदम उठाया गया है और यदि हां, तो हम कब तक वाणिज्यिक पैमाने पर इस तरीके का प्रयोग करने की आशा करते हैं ?

†**श्री हुमायूं कबिर :** एकस्व जून १९५९ में लिया गया था और उस के तुरन्त पश्चात्, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने एक गैर प्रविधिक टिप्पण जारी किया और खर्च होने वाले धन का भी विवरण दिया । १० फर्मों ने निगम से पूछताछ की है और जब हमें कोई ठोस पेशकश मिली, इस का अग्रेतर विकास किया जायगा ।

कृत्रिम वर्षा

†*४५०. **श्री प्र० के० देव :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १६ मई को लन्दन से प्रकाशित रायटर के समाचार के अनुसार रूसी वैज्ञानिकों ने ध्वनि तरंगों से कृत्रिम वर्षा की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या हमारे देश में कृत्रिम वर्षा करने के लिये वैसा ही अनुसन्धान किया जा रहा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) :** (क) समाचार-पत्र के समाचार के अतिरिक्त सरकार को इस विषय में कोई सूचना नहीं है ।

(ख) समाचारपत्र में जिस प्रकार बताया गया है उस प्रकार ध्वनि लहरों के साथ कृत्रिम रूप से वर्षा करने का कोई कार्य आरम्भ नहीं किया गया है ।

†**श्री प्र० के० देव :** क्या सरकार रूस स्थित अपने राजदूत के प्रभाव के द्वारा रूसी शिल्पकों से यह ज्ञान प्राप्त करने का विचार करेगी ?

†**श्री हुमायूं कबिर :** हम ने इस विषय में पहले ही कार्रवाई की है । हम ने प्रतिवेदन मांगा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० के० देव :** क्या सरकार राजस्थान क्षेत्र में प्रयोग करने का विचार कर रही है ?

†**श्री हुमायूं कबिर :** बहुत सी जांच की जा रही है और यह परिणाम पर निर्भर होगा । पहले प्रयोगशाला में अनुसंधान करना जरूरी होगा । जब कुछ उपयोगी सफल परिणाम निकलेगा तभी हम अग्रिम परियोजना के द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में इस का प्रयोग कर सकते हैं ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी :** हमें प्रश्नों के उत्तर में पहले बताया गया है कि इस दिशा में अनुसंधान आस्ट्रेलिया में बहुत बहुत चुका है और हमें इस विषय में वहां के अनुसंधानों के परिणामों की प्रतीक्षा करनी चाहिये । आस्ट्रेलिया में किये गये अनुसंधानों से क्या शिक्षा प्राप्त की गई है और क्या उन का भारत में प्रयोग किया गया है ?

†**श्री हुमायूं कबिर :** हमारे वैज्ञानिक आस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों के साथ बातचीत कर रहे हैं । परन्तु मैं ने सभा में भी बताया था कि इस दिशा में अनुसंधान अभी संसार के किसी भी भाग में बिल्कुल प्रयोगात्मक स्तर पर है ।

सेठ गोबिन्द दास : हमारे देश में इस बात की चर्चा बहुत दिनों से चल रही है । क्या इस संबंध में जो खोजें हो रही हैं उन के अब तक कोई नतीजे निकले हैं ? और जिन जिन देशों में यह कृत्रिम वर्षा का प्रयोग सफल हुआ है, क्या उन देशों से कोई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई है ?

†**श्री हुमायूं कबिर :** शायद माननीय सदस्य ने मेरी बात सुनी नहीं । मैं ने अभी बताया कि यह अभी किसी देश में सफल नहीं हुआ है ।

सेठ गोबिन्द दास : और हमारे देश में जो प्रयत्न हो रहे हैं क्या उन में कोई सफलता मिली है ?

श्री हुमायूं कबिर : हिन्दुस्तान दुनिया के बाहर तो नहीं है । अगर किसी मुल्क में यह सफल नहीं हुआ तो हिन्दुस्तान में किस तरह से सफल होगा ।

भिलाई इस्पात की लागत का हिसाब लगाना

†*४५२. **श्री पांगरकर :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री १९ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भिलाई के इस्पात के लागत व्यय का हिसाब लगा लिया गया है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** जी नहीं । सब इकाइयों के चालू हो जाने और सामान्य स्तर का उत्पादन हो जाने के पश्चात् ही कोई लागत व्यय का ठीक ठीक हिसाब लगाया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

आय-कर विभाग के कर्मचारियों को वेतन न दिया जाना

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के आयकर विभाग के लगभग २००० कर्मचारियों को जुलाई, १९६० के लिये अभी तक वेतन नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है ;

(ग) क्या अधिकारियों ने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ इस मामले पर चर्चा करने और कारण बताने से इनकार कर दिया ; और

(घ) सरकार ने इस विषय में क्या कदम उठाये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, नहीं । ११५ कर्मचारियों को ४-८-६० को जुलाई के वेतन दिये गये थे । शेष २३२२ कर्मचारियों को ९ अगस्त, १९६० को दिये गये ।

(ख) वेतन देने में अल्प विलम्ब का कारण बिल्कुल प्रशासनिक है । वेतन बिल सामान्यतया कर्मचारियों द्वारा महीने की १२वीं तारीख से तैयार किये जाते हैं । चूंकि बम्बई के आय कर विभाग के अधिकांश कर्मचारी १२ तारीख से हड़ताल पर थे और वे १८ तारीख को काम पर लौटे, इसलिये जुलाई के वेतन बिल महीने के तीसरे सप्ताह में ही तैयार किये गये । इस के अतिरिक्त, जुलाई के वेतन बिल तैयार करने में साधारण से अधिक समय लगा क्योंकि उन दिनों के लिये वेतन में कमी करनी थी जिन दिनों में सम्बद्ध व्यक्ति हड़ताल पर रहे थे, इसलिये प्रत्येक मामले में अनुपस्थिति आदि का ब्यौरा देखने के पश्चात् ही यह किया जा सकता था ।

(ग) तथा (घ). आयकर आयुक्त,बम्बई नगर १, कर्मचारियों के कुछ प्रतिनिधियों से मिला और उस ने उन को बताया कि वेतन भुगतान में देरी का कारण वेतन बिलों की तैयारी में होने वाला विलम्ब था, जिस का कारण १२ से १८ जुलाई तक कर्मचारियों की अनुपस्थिति और अनुपस्थिति के दिनों के लिये कमी करने के पश्चात् वेतन का हिसाब लगाने से काम का अधिक बढ़ जाना था ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या नागपुर से भी ऐसी सूचना मिली है कि आयकर विभाग के कर्मचारियों को १ या २ अगस्त को उन के वेतन नहीं दिये गये ? यदि हां, तो क्या नागपुर में वेतन बांटने के लिये भी कारवाई की गई है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : माननीय सदस्य की सूचना पहले ही गलत पाई गई । उन्हों ने कहा कि वेतन अभी तक नहीं दिये गये जबकि वेतन वास्तव में बम्बई में दिये जा चुके हैं । यही स्थिति नागपुर की भी होगी ।

†**श्री तंगामणि** : वेतन सामान्यतया किन तारीखों तक दिया जाता है ? क्या वेतन अगले महीने साधारण तारीखों में दिये जायेंगे ?

†**श्री मोरारजी देसाई** । इस के विपरीत सोचने के कोई कारण नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बाजपेयी :** क्या इन कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जायगा या कुछ कटौती की जायगी ?

†**श्री मोरारजी देसाई :** अवश्य । उन्हें उन दिनों का वेतन नहीं मिलेगा जब वे अनुपस्थित थे ।

†**श्री तंगामणि :** क्या अगस्त महीने के वेतन १ सितम्बर को दिये जायेंगे या ६ सितंबर को ही ?

†**अध्यक्ष महोदय :** काल्पनिक प्रश्नों की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** हड़ताल अवधि ––अनुपस्थिति के समय––को कैसा माना गया है–– क्या यह सेवा में टूट है या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह पथक प्रश्न है और इस से उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री मोरारजी देसाई :** उन्हें वेतन नहीं दिया जायगा क्योंकि उन्हों ने काम नहीं किया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने इस का उल्लेख केवल यह दर्शाने के लिये किया था कि विलंब रोका नहीं जा सकता था और विस्तार में पड़ने के लिये इस का उल्लेख नहीं किया ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

हिन्दी शब्दावलियां

*४३८. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कई मंत्रालयों ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार कीं गई हिन्दी शब्दावलियों को स्वीकार नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस में सुधार के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पाकिस्तान में हैदराबाद राज्य के धन का अप्राधिकृत रूप से निकाला जाना

*४४७. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री ई० मधुसूदन राव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की हैं कि वह पाकिस्तान से २३५ लाख रुपये की उस रकम को प्राप्त करने का पुनः प्रयास करे जो तत्कालीन एजेन्ट जनरल ने हैदराबाद स्टेट बैंक की कराची शाखा से निकाली थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत और पाकिस्तान के वित्त मंत्रियों की चर्चा में यह विषय भी सम्मिलित था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी हां ।

(ख) नहीं ।

मैसूर राज्य कर्मचारियों की जीवन बीमा पालीसियां

†*४५१. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुह्नन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि मैसूर सरकार वह फैसला करने जा रही है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों ने १ अप्रैल, १९६० के बाद जीवन बीमा निगम से जो पालिसियां ली हैं उन्हें राज्य बीमा निगम विभाग की अनिवार्य जीवन बीमा योजना के प्रयोजन के लिये मान्यता नहीं दी जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने राज्य सरकार की इस नीति से सहमति प्रकट की है ?

वित्त उप मंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) तथा (ख). भूतपूर्व भाग (ख) मैसूर राज्य के कर्मचारियों के बारे में अनिवार्य जीवन बीमा योजना, जीनव बीमा निगम अधिनियम १९५६ की धारा ४४(च) के अन्तर्गत, अधिनियम के उपबंधों से युक्त हैं । तथापि, राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप, विलीन हुए क्षेत्रों से मैसूर में स्थानान्तरित कर्मचारियों के बारे में, केन्द्रीय सरकार ने १ अप्रैल १९५९ से उक्त अनिवार्य योजना का विस्तार करना स्वीकार कर लिया है । सरकार को विदित है कि १ अप्रैल १९५९ के पश्चात जीवन बीमा निगम से किसी कर्मचारी द्वारा ली गई कोई जीवन बीमा पालिसी राज्य सरकार द्वारा उन की जीवन बीमा योजना के उद्देश्य के लिये नहीं मानी जाती; परन्तु यह राज्य की सरकारी सेवा की आवश्यक शर्त है और इस में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

ब्रिटेन से ऋण

†*४५३. **श्री अरविन्द घोषाल :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० के० देव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री अमजद अली :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन १९६०-६१ में भारत के विकास में अपने अंशदान के रूप में कोई ऋण द रहा है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितना और किन शर्तों पर ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) ऋण की राशि १३.३३ करोड़ रुपये है। इस राशि में से ४.४ करोड़ रुपये ३१ मई, १९६६ से आरम्भ हो कर १० अर्ध वार्षिक किश्तों में दिया जायेगा और शेष ८.९३ करोड़ रुपये ३१ मई, १९६६ से आरम्भ हो कर ३० अर्ध वार्षिक किश्तों में दिय जायेंगे। ब्रिटेन के राजकोष से अपनी संचित निधि से समान अवधि के लिये दिये ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज दर से १।४ प्रतिशत ब्याज दर अधिक होगी।

पर्वतारोहण क्लब

†*४५४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दार्जिलिंग में हिमालय पर्वतारोहण संस्था के संचालक बोर्ड की पिछली बैठक में यह तय किया गया था कि भारत में विभिन्न केन्द्रों में उसकी शाखायें और पर्वतारोहण क्लब खोले जायें; और

(ख) यदि हां, तो उस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) तथा (ख). हिमालय पर्वतारोहण संस्था ने अपनी अन्तिम बैठक में २०-३-६० को फैसला किया है कि देश के विभिन्न भागों में चट्टानों पर चढ़ने के प्रशिक्षण-क्रम जारी करने में सहायता दे कर, और स्थानीय पर्वतारोहण क्लबों को कायम करने में सुविधाएं दे कर पर्वतारोहण को प्रोत्साहन देने के निमित, सक्रिय पग उठाये जाने चाहिएं। चट्टानों पर चढ़ने के प्रशिक्षण-क्रम जारी करने के लिए शेरपा प्रशिक्षकों को काम पर लगाने के लिए विशेष धनराशि नियत की गई हैं, और संस्था, स्थानीय पर्वतारोहण क्लबों को मंत्रणा भी देगी और उनका मार्ग प्रदर्शन भी करेगी।

दिल्ली में गैर-सरकारी स्कूलों को सरकारी सहायता

†*४५५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गैर-सरकारी स्कूलों को दी जा रही सरकारी सहायता का स्वरूप क्या है; और

(ख) अन्य सब राज्य-क्षेत्रों तथा राज्यों में गैर-सरकारी स्कूलों को दी जाने वाली सहायता की अपेक्षा यह कैसी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) दिल्ली में गैर सरकारी स्कूलों को अनुदान निम्न आधारों पर दी जाती है :

(१) आवर्त्तक (संचालन) अनुदानें : ये अनुदानें घाटे के आधार पर दी जाती हैं। सरकारी अनुमोदित आवर्त्तक व्यय (कर्मचारियों के वेतन, आकस्मिकतायें,

---

†मूल अंग्रेजी में

कर्मचारियों की भविष्य निधि आदि) और शुल्क से प्राप्त होने वाली आय के अन्तर का ९० प्रतिशत देती है। अनुदान तीन महीने के आधार पर अग्रिम दी जाती है।

(२) अनावर्त्तक अनुदानें : ये अनुदानें फर्नीचर, साइंस का सामान, मानचित्रों, चार्टों आदि की खरीद पर अनुमोदित वार्षिक व्यय की दो तिहाई के आधार पर दी जाती हैं।

(३) अनावर्त्तक इमारत अनुदान : यह अनुदान शिक्षा के उद्देश्य के लिये स्कूल की इमारत बनाने के लिये दी जाती है। यह वास्तविक व्यय के दो-तिहाई से अधिक नहीं होती और अधिक से अधिक १ लाख रुपये होती है। (यह अनुदान धन की उपलब्धि पर निर्भर होती है।

(ख) मनीपुर और त्रिपुरा के संघ क्षेत्रों में गैर-सरकारी स्कूलों को दिये गये सहाय्य-अनुदान का स्वरूप मुख्यतया दिल्ली स्वरूप पर आधारित है। हिमाचल प्रदेश में अनुदान पंजाब सरकार के निर्धारित नियमों के अनुसार दी जाती है। दिल्ली के अनुसार इस संघ क्षेत्र के लिये पृथक सहाय्य-अनुदान नियम बनाये जा रहे हैं। अन्दमान में, केवल एक स्कूल है और अनुदान शुद्ध घाटे को पूरा करने के लिये दी जाती है। लक्काद्वीप, मिनिक्वाय और अमीनदीवी द्वीपों में कोई गैर-सरकारी स्कूल नहीं है।

अन्य राज्यों सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं है और यथा समय सभा पटल पर रखी जायेगी।

अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†*४५६. **श्री रा० चं० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भा० कृ० गायकवाड़ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्तियों की राशि का भुगतान अनुसूचित जातियों और आदिमजातियों के विद्यार्थियों को पिछले वर्ष, गत वर्षों की अपेक्षा, राज्य सरकारों द्वारा बहुत देर से दिया गया; और

(ख) क्या छात्रवृत्तियां पिछले वर्ष केन्द्रीय सरकार की दर पर दी गई थीं या राज्य सरकार की दर पर ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां। कुछ मामलों में।

(ख) छात्रवृत्तियां बिहार सरकार के अतिरिक्त अन्य सब राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय दर पर दी गई थी, और उनसे इसके स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रुरकेला ईस्पात कारखाना

*४५७. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "जर्मन इंटरनैशनल" में प्रकाशित उस लेख की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है जिसमें रूरकेला इस्पात कारखाने में त्रुटियों के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को जिम्मेदार ठहराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में तथ्य क्या है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

लेख में इस बात पर आलोचना की गयी है कि देश में इस्पात के तेजी से उत्पादन का लक्ष्य देश में तकनीकी व्यक्तियों की कमी को ध्यान में रखे बिना ही किया गया है । यह तो सच है कि देश में प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी है परन्तु इस्पात के मौजूदा कारखानों और तीसरी पंच-वर्षीय योजना में चालू होने वाले कारखाने के लिए उपयुक्त भारतीयों के प्रशिक्षण के प्रयत्न किये जा रहे हैं । व्यक्तियों के प्रशिक्षण के साथ साथ इस्पात कारखानों में को चालू करने के संगठन सम्बन्धी कार्यों का भी प्रबन्ध किया जा रहा है और इस कार्य में किसी विशेष कठिनाई के आने की सम्भावना नहीं प्रतीत होती है ।

रूरकेला इस्पात प्रायोजना की प्रारम्भिक अवस्था में यातायात की समस्या अवश्य उत्पन्न हो गयी थी । १९५७-५८ की सर्दियों में कुछ सामान जमा हो गया था । इन कठिनाइयों पर काबू पा लिया गया और बन्दरगाह से कार्यस्थल तक उपकरणों के यातायात के प्रबन्ध कर लिये गये हैं । यातायात की कठिनाइयां दूसरे कारखानों में भी अनुभव की गयी थीं तथा इतने विशाल कारखाने में ऐसी कठिनाइयों का आ जाना अनिवार्य है । कारखाने की नीवें रखने के काम में भी कुछ विलम्भ हो गया क्योंकि कंक्रीट की बढ़ी मात्रा इनमें लगी । यह भी सत्य है कि स्थानीय भारतीय फर्मों को इस प्रकार के काम का अधिक अनुभव नहीं था । लेकिन इन कठिनाइयों पर भी काबू पा लिया गया और इतने पर भी भारतीय फर्मों ने अच्छा कार्य किया ।

लेख में रूरकेला के प्रबन्ध के बारे में चर्चा की गयी है । यह प्रबन्ध इस समय जर्मनी की दो फर्मों—क्रप और डेमाग—के पास है । यह फर्में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के परामर्शदाता के रूप में कार्य करती हैं । इन्होंने प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार किया जिसके आधार पर हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने जर्मनी की ३० प्रसिद्ध फर्मों से इस्पात कारखाने के लिए उपकरणों की सप्लाई करने और कारखाने के विभिन्न भागों में इनको लगाने के लिए ठेकों के प्रबन्ध किये । इन प्रबन्धों में कोई अन्तर्भूतीय कमी नहीं है और हर एक पार्टी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व स्पष्ट हैं ।

जबकि "पैकेज डील" में कुछ लाभ होते हैं जैसा कि दुर्गापुर और भिलाई के सम्बन्ध में हुआ है यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि रूरकेला के सम्बन्ध में भी ये समान रूप से लाभप्रद होते । लेख में भी इस बात का संकेत है कि इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न मत हैं । प्रारम्भिक कठिनाइयों के

अलावा चालू इकाइयों के स्थापन कार्यों में जो कठिनाइयां आ रही हैं वे इसलिए हैं कि कार्य प्रारम्भिक है और समय समय पर जो कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं उन पर यथासम्भव तेजी के साथ काबू पा लिया जाता है ।

रूरकेला इस्पात कारखाने की विभिन्न इकाइयों को चालू रखने के लिए पुर्जों का काफी मात्रा में संग्रह करने के लिए पर्याप्त कार्यवाही की जा रही है । मरम्मत करने वाले कारखाने में भी आवश्यक मशीनरी लगाई जा रही है जिस से यह अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके ।

"जर्मन इन्टरनैशनल" में प्रकाशित लेख में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की इतनी आलोचना नहीं की गयी है जितना कि उन कठिनाइयों का विषलेषण है, जो कि उस देश में उत्पन्न हो जाती हैं जिस में इस्पात बनाने जैसा साहस-पूर्ण कार्य प्रारम्भ किया जाता है । तथ्य तो यह है कि यह लेख इतनी बड़ी कठिनाइयों के बावजूद भी इस्पात के तीन संयंत्रों के लगाने के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की अप्रत्यक्ष रूप से प्रशंसा है ।

सरकारी उपक्रम

†*४५८. **श्री मुरारका :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राक्कलन समिति की २०वीं तथा ६०वीं रिपोर्टों में की गयी इस सिफारिश पर विचार कर लिया है कि वार्षिक आय-व्ययक के समय सारे सरकारी उपक्रमों के आय-व्ययक वर्ष और उससे पिछले वर्ष के कार्यपूर्ति तथा कार्यक्रम विवरण ससद् को उपलब्ध किये जाने चाहियें; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) तथा (ख). प्रश्न का उत्तर बाद की किसी तिथि को वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा दिया जाएगा ।

नयनसिंह के दैनिक विवरण

†*४५९. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नयनसिंह के (प्रायः पंडित' के नाम से विख्यात) जो हिमालय प्रदेश की खोज करने वाले एक महान् भारतीय थे और जिन्हें १८७४ के बाद किसी समय रायल ज्योग्राफिकल सोसाइटी का स्वर्ण पदक मिला था, मूल दैनिक विवरण (हिन्दुस्तानी में) राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वह उक्त विवरणों को प्रकाशित करने के औचित्य पर विचार करेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हां ।

(ख) मूल डायरी से कुछ उद्धरण पहले ही अनुवाद करके प्रकाशित किये जा चुके है । हिन्दी में पूरा पाठ साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित किये जाने की सम्भावना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

भारतीय प्रोद्योगिकी संस्था, कानपुर

†*४६०. श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० चं० माझी
श्री नेकराम नेगी :
श्री कालिका सिंह :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका की सरकारों के बीच भारतीय प्रोद्योगिकी संस्था, कानपुर को अमरीकी सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता के स्वरूप और विस्तार के बारे में कोई अन्तिम फैसला हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)**: (क) तथा (ख). कुल सहायता के बारे में कोई निर्णय अभी नहीं किया गया है, परन्तु अमरीका सरकार ने अमरीकी प्रोफेसरों की सेवाओं की सहायता देना, अमरीका में भारतीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण देना और विदेश से सामान का सम्भरण करना स्वीकार कर लिया है, जिस पर २,१३८,०६५ डालर खर्च होंगे। इस राशि में ११९,००० डालर (५,६६,६७८ रुपये के बराबर) शामिल हैं, जिससे धारा ४०२ के अन्तर्गत जमा हुई रुपया निधि से शिल्पिकों का स्थानीय खर्च पूरा किया जाएगा। उस सरकार ने ४५,००० डालर (४५,००,००० रुपये के बराबर) की राशि का उपयोग भी स्वीकार कर लिया है, जिससे भूमि का विकास, इमारत का निर्माण और देशी सामान का क्रय किया जाएगा।

चीनी एजेंटों का अवैध प्रवेश

†*४६१. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों में चीन के एजेण्ट अवैध रूप से भारत में आये हैं हैं जैसा कि स्थल सेनाध्यक्ष (चीफ आफ आर्मी स्टाफ) ने अपने जून के दार्जिलिंग के दौरे के दौरान में कहा था; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) तथा (ख) मुझे बताया गया है कि सेनापति को ठीक सूचना नहीं मिली है और उन्होंने यह कहा था कि यदि सम्भव था कि बहुत से चीनी एजेंट तिब्बती शरणार्थियों के साथ भारत में घुस आये हों।

जैसलमेर में तेल सर्वेक्षण

†४६२. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ११ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसलमेर में तेल की खोज के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) उस पर अब तक कितना खर्च किया गया है ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की भूगर्भीय पार्टियों ने जैसलमेर क्षेत्र में लगभग ११७१ वर्ग मील का भूगर्भीय मानचित्रण तथा १२२ मील का सारेखण (Traversing) का कार्य कर लिया है। १९५९-६० के कार्य करने के समय में ११९० वर्ग मील के क्षेत्र के आकर्षण चुम्बकीय सर्वेक्षण किये गये। कार्य करने की कठिनाइयों के कारण १९५८ से इस क्षेत्र में भूकम्पकीय सर्वेक्षण बन्द कर दिये हैं।

(ख) ९,०३,००० रुपये।

मानव शास्त्रों के अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†*४६३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मानव शास्त्रों के अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति देने की योजना जिस समय से आरम्भ हुई है तब से ५० प्रतिशत छात्रवृत्तियों का उपयोग नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) मन्त्रालय ने निम्न कदम उठाये हैं :—

(१) १९५८ में और फिर १९५९ में, मन्त्रालय ने इस स्थिति को सुधारने के लिये उपकुलपतियों का सहयोग मांगा और सुझाव दिया कि भविष्य में सब प्रार्थनापत्र स्वयं उपकुलपतियों द्वारा आगे भेजे जायें, जो यह भी देखें छात्रवृत्तियों के लिये अधिकतम संख्या में योग्य व्यक्ति प्रार्थनापत्र दें। इसके अतिरिक्त उन्हें कालेजों में हाल में भर्ती हुए प्राध्यापकों को इन छात्रवृत्तियों के लिये प्रार्थना करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये और छुट्टी नियमों का उदार निर्वाचन करकेउन्हें चुने जाने पर छात्रवृत्ति प्राप्त करने की अनुमति देनी चाहिये। उनको चाहिये कि वे संस्थाओं के मुखियों और अनुसन्धान विभागों के प्रभारी प्रोफेसरों को इन छात्रवृत्तियों के लिये प्रार्थना करने के लिये योग्य व्यक्तियों से कहें।

(२) पहली एक बार की प्रणाली की तुलना में छात्रवृत्तियां दो बार समाचार पत्रों में विज्ञापित की गई है।

(३) समाचार पत्रों में छात्रवृत्तियों के लिये प्रार्थना पत्र मंगवाने के लिये घोषणा की तिथि और अभ्यर्थियों द्वारा प्रार्थना पत्र भेजने की अन्तिम तिथि का अन्तर डेढ़ महीने से बढ़ा कर तीन महीने कर दिया गया है ताकि अधिक अभ्यर्थी प्रार्थना पत्र भेज सकें। विश्वविद्यालयों को भी पहले वर्ष की अपेक्षा मन्त्रालय को प्रार्थना पत्र भेजने के लिये अधिक समय दिया गया है।

(४) राज्य सरकारों और अन्य संस्थाओं को भी, विश्वविद्यालयों और देश की अन्य उच्च शिक्षा देने वाली संस्थाओं के अतिरिक्त, योजना की सूचना दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

लोवर डिवीजन क्लर्कों की वेतन वृद्धि

†*४६४. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधीनस्थ कार्यालयों के लोअर डिवीज़न क्लर्कों को अतिरिक्त वेतन-वृद्धि देने का प्रश्न वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रकाशित होने तक के लिये स्थगित कर दिया गया था;

(ख) क्या अब अतिरिक्त वेतन-वृद्धि देने के प्रश्न पर अनुकूल रूप से विचार हो रहा है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है कि सचिवालय के लोअर डिवीजन क्लर्कों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि देना बन्द कर दिया जाये। इसलिये अधीनस्थ कार्यालयों में, लोअर डिवीजन क्लर्कों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने का प्रश्न नहीं आता।

कुतुब मीनार दिल्ली पर आत्म हत्यायें

†*४६५. **श्री जीत चन्द्रन** :
श्री नरदेव स्नातक :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री नवल प्रभाकर :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में दिल्ली के कुतुब मीनार से कूद कर कितने पुरुषों व कितनी स्त्रियों ने आत्म हत्या की; और

(ख) भविष्य में ऐसी मृत्यु रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** :

		पुरुष	स्त्री
(क)	१९५८ .	१	१
	१९५९ . .	१	—
	१९६० (३१-७-६० तक)	३	१

(ख) पूर्वविधाय उपाय के रूप में किसी दर्शक को कुतुब मीनार पर जाने नहीं दिया जाता जब तक कि उसके साथ कम से कम दो व्यक्ति और न हों। मीनार के दरवाजे पर चौकीदार और पुलिस का सिपाही तैनात रहते हैं जो इस नियम का पालन करवाते हैं। मीनार का दरवाजा सूर्यास्त और सूर्य निकलने के बीच सब दर्शकों के लिये बन्द रहता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

टेहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी में भारत के साम्यवादी दल की गतिविधियां

†*४६६. **डा० सामन्त सिंहार :**
श्री प्र० गं० दे :
श्री भक्त दर्शन :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के साम्यवादी दल ने हाल में टेहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी सीमान्त जिलों में अपने पार्टी यूनिट बनाये हैं;

(ख) क्या चीन में साम्यवादी राज्य की सफलताओं के सब्ज बाग दिखा कर वे व्यक्तियों को चीन की ओर आकर्षित कर रहे हैं;

(ग) क्या वे अव्यवस्था फैलाने के लिये इस पहाड़ी क्षेत्र के व्यक्तियों की स्वाभाविक कठिनाइयों से लाभ उठा रहे हैं; और

(घ) इन महत्वपूर्ण सीमान्त क्षेत्रों में उनकी राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियों का विरोध करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) से (घ) . साम्यवादी दल इन क्षेत्रों में जोरदार प्रचार कर रहा है । इस दल ने टेहरी गढ़वाल जिलों में अपनी दो इकाइयां स्थापित कर रखी हैं । स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है ।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की बकाया रकम

†४६७. **श्री तंगामणि** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १६ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० की उपभोक्ताओं पर बकाया रकम वसूल करने के लिए आगे क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) अभी कितनी रकम वसूल की जानी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) (१) तदर्थ समिति की जनवरी १९६० में बंगलौर में हुई बैठक के पश्चात्, हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट समिति को भारतीय विमान बल के विरुद्ध उनके विभिन्न निलम्बित दावों के लिये १.२३ करोड़ रुपये के भुगतान का अधिकार देने के आशय के विशेष सरकारी आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

(२) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट समिति के बकाया संबंधित मामलों पर सब स्तरों पर अति शीघ्रता के आधार पर विचार किया जा रहा है ।

(३) निर्माण करने वाली सरकारी परियोजनाओं के बारे में, सरकार हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट समिति को कच्चा माल/पुर्जे/ओवरहाल पुर्जे आदि खरीदने के लिये अपेक्षित राशि दे रही है ।

(ख) ३०-९-१९५९ को विभिन्न ग्राहकों के विरुद्ध २३५ लाख रुपये की कुल अवशेष राशि में से, हिन्दूस्तान एयरक्राफ्ट सीमित ने केवल १५४ लाख रुपये वसूल किये हैं और ८१ लाख रुपये का अवशेष बच गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

असम के शरणार्थी

*४६८. श्री खुशवक्त राय :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री बि० दास गुप्त :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री प्रभातकार :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक असम से कितने शरणार्थी पश्चिम बंगाल आ चुके हैं ;

(ख) उनमें से कितने अब तक असम लौट चुके हैं ;

(ग) अभी तक पश्चिम बंगाल में कितने शरणार्थी प्रतिदिन आ रहे हैं ;

(घ) पश्चिम बंगाल में उनके रहने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ; और

(ड) शरणार्थियों को स्थान देने के लिये जो शिविर स्थापित किये गये हैं उन का खर्च कौन उठाता है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल की सरकार ने सूचित किया है, कि १० अगस्त तक असम से उनके राज्य में २१,६०१ शरणार्थी आए हैं, तथा उनमें से कोई भी वापिस नहीं लौटा है । उन्होंने यह भी सूचित किया है, कि असम से प्रति दिन लगभग १,१०० शरणार्थी उनके राज्य में आ रहे हैं ।

(घ) तथा (ड). राज्य सरकार ने लहरियादार मकान[1] बनाये हैं । शैड, स्कूल भवन, गुदाम, शिविर और तिरपाल का भी उपयोग किया जा रहा है । राज्य सरकार खर्चा उठा रही है । कई गैर-सरकारी संस्थाएं भी सहायता देने के लिये धनराशि लगा रही हैं ।

लक्ष्मी बैंक का परिसमापन

†*४६९. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्ष्मी बैंक लि० (जिसका मुख्यालय अकोला में था) परिसमापन किन परिस्थितियों में हुआ ; और

(ख) क्या रिजर्व बैंक के अधिकारियों को उन परिस्थितियों का बोध था जिनके परिणाम-स्वरूप बैंक का परिसमापन हुआ ?

†**वित्त उप-मंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: (क) बैंक का कारोबार ठीक ढंग से नहीं चलाया जा रहा था और इसके कुछ ऋण, विशेषकर इसके सभापति और उसके साथियों को दिये गये ऋण, वसूली के लिये कठिन हो गये थे । इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर बैंक की निधि

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Corrugated hutment.

का गबन था और चंकि मार्च से मई १९६० के बीच लगातार धन निकाला जा रहा था, बैंक अपने दायित्व पूरा करने में असमर्थ था ।

(ख) १९५८ तक रिजर्व बैंक द्वारा किये गये निरीक्षणों से यह संकेत नहीं मिला कि बैंक की स्थिति पुनः ठीक नहीं हो सकती थी । स्थिति में गिरावट, जो बड़ी हद तक गबन के कारण थी, निरीक्षणों के दौरान में आसानी से नहीं पकड़ी गई या देखी गई ।

स्कूल में विज्ञान की शिक्षा

†*४७०. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री कोडियान :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान की शिक्षा पर अधिक जोर देने की किसी योजना पर इस वर्ष विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) जी , नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेशी बैंकों में खाते

†*४७१. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० गं० देव :
श्री ई० मधुसूदन राव :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वित्त** मंत्री ८ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों के बैंकों में श्री एस० पी० जैन के कथित खातों के सम्बन्ध में जांच पड़ताल समाप्त हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, नहीं । संयुक्त राज्य अमेरिका में श्री एस० पी० जैन के कथित डालर खातों संबंधी जांच अभी चल रही है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयला खदानों को जल संभरण की योजना

†*४७२. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री गंगरकार :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ३० मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो-करगली-कठरा की कोयला खानों को जल संभरण योजना के लिए दी जाने वाली सहायता की राशि के सम्बन्ध में कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि संगठन के साथ इस बीच वार्ता समाप्त हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका परिणाम क्या रहा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं । कोयला खान कल्याण आयुक्त ने सुझाव दिया है कि इस योजना को उस योजना से मिला दिया जाए जो बिहार सरकार द्वारा बोकारो में नये इस्पात यंत्र के संबंध में तैयार की जा रही है । यह राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भूतपूर्व सैनिक

†*४७३. **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २९ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४५३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में अस्थायी वृद्धि करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की आशा है ; और

(ग) अन्तिम निर्णय में इतनी देर लगने के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) तथा (ख). मामला अभी सरकार के विचाराधीन है । पर्याप्त प्रगति हो चुकी है और शीघ्र ही अन्तिम निर्णय की संभावना है । बातें बहुत

†मूल अंग्रेजी में

सी हैं और पेचीदा हैं और उनका नये कोड पेंशन वालों पर प्रभाव पड़ेगा, जिन्हें पेंशन में अस्थायी वृद्धि का हक नहीं है।

(ग) इस समस्या के विस्तारपूर्वक विचार करने में बहुत से लेखों और बहुत बड़े सांख्यिकी आंकड़ों का अध्ययन और परीक्षण करना पड़ता है। इस कारण स्पष्टतः इस में अधिक विलम्ब हुआ है।

ट्रक व ट्रैक्टरों का निर्माण

†*४७४: { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अजीत सिंह सरहदी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री २९ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४५९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयुध कारखानों में ट्रकों व ट्रेक्टरों के निर्माण के सम्बन्ध में और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) १ जून, १९६० तक कितने ट्रक बनाये गये ; और

(ग) क्या और ट्रैक्टरों के लिये आर्डर मिले हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २५]

सम्मिलित रक्षित पुलिस बल

†*४७५. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री रामी रेड्डी :

क्या गृह-कार्य मंत्री ३ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न ज़ोनों के लिए सम्मिलित रक्षित पुलिस बल बनाने के प्रश्न का निश्चय करने में क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : ज़ोनल परिषद् ने १६ अप्रैल, १९६० को हुई अपनी बैठक में ज़ोन में एक सम्मिलित रक्षित पुलिस बल बनाने के लिये कार्यवाही का पुनर्विलोकन किया। केरल सरकार के प्रतिनिधियों ने यह प्रारूप मान लिया और वे योजना का ब्यौरा तैयार करने के बारे में राज्य के इंस्पेक्टर जनरल आफ़ पुलिस को मद्रास, आन्ध्र प्रदेश और मैसूर के इंस्पेक्टर जनरलों के साथ बातचीत में भाग लेने को भेज दिया गया है।

उत्तरी ज़ोन में मार्च--मई, १९६० में मारवाड़ भठनिया (राजस्थान) में पुलिस बल को योजना के अधीन सामूहिक प्रशिक्षण दिया गया।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

प्रौढ़ अन्धों के लिये देहरादून में प्रशिक्षण केन्द्र

†*४७६. **श्री प्र० के० दे :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहरादून स्थित प्रौढ़ अन्धों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र को १९५८–५९ और १९५९–६० में संस्था में तैयार की गयी वस्तुओं की बिक्री से कितना धन प्राप्त हुआ ; और

(ख) इस संस्था में कौन कौन सी चीज़ें तैयार की जाती हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क)

१९५८–५९ . . .	६८२४.६४ रुपये
१९५९–६० . . .	७४०९.७- रुपये

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।**[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २६]**

समुद्री बीमा

†*४७७. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री वें० प० नायर :
श्री नारायणन कुट्टि मेनन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी ऋण से भारत द्वारा खरीदे गये सामान का अधिकांश समुद्री बीमा अमरीकी बीमा एजेंसियों में कराया गया है ; और

(ख) ऐसे सामान पर प्रथम अमरीकी गेहूं ऋण से आज तक कुल कितना कितना भुगतान निम्न निकायों को किया गया है ;

(१) अमरीकी बीमा एजेंसियां ;

(२) भारतीय बीमा कम्पनियां ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) जब भारत सरकार की एजेंसियों की ओर से खरीद की जाती है तो कोई समुद्री बीमा नहीं कराया जाता । गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा किये गये बीमे के बारे में ब्यौरे साधारणत. सरकार के पास नहीं हैं । तथापि, २५२ गैर-सरकारी मामलों के विश्लेषण से ऐसा लगता है कि निम्नलिखित प्रीमियम दिया गया है ।

(१) अमरीकी बीमा कम्पनियों को ४६५६ डालर (२२,१७१ रुपये)

(२) भारतीय बीमा कम्पनियों को ६,०४,८६१ रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी उपक्रमों की वार्षिक रिपोर्ट

†*४७८. **श्री मुरारका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी उपक्रमों की वार्षिक रिपोर्ट संसद् को प्रस्तुत किये जाने की समय सीमा निर्धारित करने का विचार कर रही है जैसा कि अमरीका और ब्रिटेन में प्रचलन है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है।

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती ता केश्वरी सिन्हा)**: (क) और (ख). इस प्रश्न का उत्तर अगली तिथि को वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा दिया जायेगा।

अन्दमान द्वीप समूह के समुद्री विभाग के श्रमिकों के वेतन आदि

†*४७९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन-क्रम अन्दमान द्वीप समूह के समुद्री विभाग के कर्मचारियों पर किस तारीख से लागू हुए और किस तारीख से वस्तुतः प्रभावी हुए;

(ख) क्या श्रमिकों से, जिनका वेतन केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन-क्रमों के परिणाम स्वरूप कम हो गया, अन्तःकाल में अर्थात्, नये वेतन क्रमों के लागू होने की तारीख से उनके वास्तविक रूप में प्रभावी होने की तारीख तक की अवधि में, लिये गये वेतनों की अधिक रकम वापस लौटाई गयी;

(ग) क्या मासिक वेतन में अन्तर होने के कारण पिछली बकाया भी उन श्रमिकों को दी गयी है जिनका वेतन केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन क्रमों के अन्तर्गत बढ़ गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस अनियमितता का क्या कारण है और जिन श्रमिकों को बकाया मिलनी है उन्हें वह कब मिलेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन-क्रम अन्दमान के समुद्री विभाग के प्रवीण और अर्द्ध-प्रवीण दैनिक वृत्ति वाले व्यक्तियों पर १९५० में लागू किये गये थे जिन्हें १ जनवरी, १९४७ के भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना था। (आकस्मिक, मौसमी और केदार के अधीन काम कर रहे श्रमिकों के अतिरिक्त) समुद्री विभाग के औद्योगिक श्रमिकों के लिये वेतन-क्रमों को २३ फरवरी, १९५७ से लागू किया गया था।

(ख) श्रमिकों के वेतन अस्थायी रूप से परिवर्तित किये गये थे जिन के लिये केन्द्रीय राज्य महालेखापाल की अनुमति लेनी थी। कुछ मामलों में, जिनमें महालेखापाल ने बताया कि उनको अधिक भुगतान हो गया है, वसूली की जा रही है।

(ग) और (घ). बकाया रकम उन श्रमिकों को दी जानी है जिनके लिये केन्द्रीय राजस्व महालेखापाल यह प्रमाणित करें कि ये लोग प्रशासन द्वारा अस्थायी रूप से निर्धारित वेतन-क्रम से अधिक ऊंची दरों पर वेतन पाने के हकदार हैं। पुनरीक्षित वेतन की दरों के निर्धारण पर केन्द्रीय राजस्व महालेखापाल द्वारा स्वीकृति मिलने पर बकाया राशि का भुगतान किया जा रहा है।

---

†भूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

†*४८०. श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला खदान क्षेत्र की शिक्षा संस्थाओं में राष्ट्रीय अनुशासन योजना लाग हो गयी है;

(ख) यदि हाँ, तो यह योजना कब से लागू हुई है; और

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है या ऐच्छिक ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) जनवरी, १९५९ ।

(ग) यह आवश्यक नहीं है कि स्कूल इस योजना को मानें ही । सम्बन्धित संस्थाओं के मुखियाओं से प्रार्थना प्राप्त होने पर योजना के अधीन प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है ।

न्यू एशियाटिक तथा रूबी जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनियां

†*४८१. श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अ० क० गोपालन :
श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू एशियाटिक तथा रूबी जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनियों के कार्य में कथित अनियमितताओं की हाल में कोई जाँच की गयी थी;

(ख) यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २७]**

पिछड़े वर्गों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†*४८२. **श्री तंगामणि** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियाँ देने के लिये नियत १९५९-६० की राशि विभिन्न राज्यों को दे दी गयी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक राज्य को कितनी राशि दी गयी है;

(ग) क्या राज्यों में केन्द्रीय तथा राज्य छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को एक समान राशि दी जाती है; और

(घ) समानता सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) स (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २८]**

निर्वाचन आयोग की सिफारिशें

†*४८३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री महन्ती :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :

क्या **विधि** मंत्री ११ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्वाचन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में इस बीच और क्या प्रगति हुई है; और

(ख) आयोग की सभी सिफारिशों पर कब तक अन्तिम निर्णय हो जाने की आशा है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरतवीस)** : (क) निर्वाचन आयोग की अन्य सिफारिशों की कार्यान्विति के लिये कोई और प्रगति नहीं की गयी है ।

(ख) निर्वाचन आयोग की अधिकांश प्रमुख सिफारिशों को निर्वाचन नियम में उचित संशोधन करके कार्यान्वित कर दिया गया है । बाकी सिफारिशों में से कुछ विवादास्पद थीं जिन पर सदन में और इससे पूर्व प्रवर समिति में विचार किया जाना था । निर्वाचन नियम के संशोधन के लिये किसी ठोस प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व इन सब सिफारिशों की ब्यौरेवार जांच करनी पड़ेगी । अतः सब सिफारिशों की कार्यान्विति के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

"होम गार्ड"

†*४८४. श्री दी० चं० शर्मा ।
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री नरदेव स्नातक :
श्री आसर :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री पुन्नूस :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों ने होम गार्डों का स्वयंसेवी दल बनाने में तत्पश्चात क्या प्रगति की है;

(ख) किन किन राज्यों में ऐसे दल बनाये गये हैं; और

(ग) इस कार्य को शीघ्र करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है या की जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश को छोड़ कर बाकी सब राज्यों ने होम गार्ड जैसे स्वयंसेवी दल बना दिये हैं या वे बनाने के लिये सिद्धान्त रूप से राजी हो गये हैं ।

(ग) विभिन्न राज्यों प्रशासनों में इस कार्य के लिये उत्तरदायी पदाधिकारियों का एक सम्मेलन मई, १९६० में नई दिल्ली में हुआ था । सम्मेलन की इस सिफ़ारिश को, कि जहाँ तक हो सके ये संगठन सब राज्यों में एक से तरीके पर बनाये जायें, आवश्यक कार्यवाही के लिये राज्य सरकारों को बताया जा रहा है ।

अन्दमान द्वीप समूह में औद्योगिक कर्मचारियों के वेतन-क्रम

†*४८५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान द्वीप समूह में २३ फरवरी, १९५७ से सरकारी उपक्रमों तथा/या विभागों के सारे औद्योगिक कर्मचारियों पर केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन-क्रम लागू हो गये थे; और

(ख) क्या इन कर्मचारियों को (समुद्री तथा वन विभाग के अतिरिक्त) २३ फरवरी, १९५८, २३ फरवरी, १९५९ और २३ फरवरी, १९६० को देय वेतन-वृद्धियाँ दे दी गयी हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). मजदूरों को छोड़ कर अन्य औद्योगिक कर्मचारियों के लिये ये वेतन-क्रम वर्ष १९४७ में लागू किये गये थे और उनको वार्षिक वेतन-वृद्धि नियमित रूप से मिल रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बाद में सिद्धान्त रूप से यह निश्चय किया गया कि इन वेतन-क्रमों को आकस्मिक, मौसमी और ठेकेदार के अधीन काम करने वाले श्रमिकों को छोड़ कर सरकारी उपक्रमों और विभागों में सब मजदूरों पर भी २३ फरवरी, १९५७ से लागू किया जाये। अन्दमान प्रशासन ने कुछ बातों पर स्पष्टीकरण माँगा। अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से इन बातों पर अन्तिम निर्णयों को २० मार्च, १९५९ को अन्दमान प्रशासन को बता दिया गया। वेतन-वृद्धि कर्मचारी द्वारा वास्तविक रूप से काम किये गये दिनों के आधार पर दी जाती है। इसके बारे में व्यौरा तैयार किया जा रहा है और अन्दमान प्रशासन से इस कार्य को एक दो महीनों में अन्तिम रूप दिये जाने को कहा जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश में काकटिया मन्दिर

†७९८. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में काकटिया मन्दिरों की देखभाल पर वर्ष १९५९-६० में कितना धन व्यय किया गया है; और

(ख) वर्ष १९६०-६१ में उनकी देखभाल पर कितना धन व्यय किया जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) ४८८८.९१ रुपये।

(ख) ८,३०० रुपये।

सिकदन्राबाद छावनी बोर्ड

†७९९. **श्री ई० मधुसूदन राव :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९-६० में भारत सरकार ने सिकन्दराबाद छावनी बोर्ड को विकास योजनाओं आदि के लिये सहाय-अनुदान के रूप में कुल कितनी धनराशि आवंटित की है ; और

(ख) जिन योजनाओं के लिये अनुदान मंजूर किये गये हैं, उन का क्या व्यौरा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) . . ७७,७०० रुपये

(ख) गली में बिजली लगाना .	३५,००० रुपये
हरिजनों के लिये क्वार्टर . .	२०,००० रुपये
छावनी अस्पताल में एक्सरे ब्लाक की व्यवस्था	२२,७०० रुपये
कुल . . .	७७,७०० रुपये

बिहार में अभ्रक का उत्पादन

†८००. **श्री पांगरकर :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० में बिहार में कितने अभ्रक का उत्पादन किया गया ?

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: भारतीय खान ब्यूरो द्वारा खनिज उत्पादन के आँकड़े खनिज परिरक्षण और विकास नियमों, १९५८ के अधीन पत्री वर्ष के लिये इक ठे किये जाते हैं और वित्तीय वर्ष के लिये नहीं ।

बिहार में वर्ष १९५८ और १९५९ में अभ्रक का उत्पादन क्रमशः २०,०२१ और १६,३३८ मीटरिक टन रहा ।

इस्पात पुनर्वेल्लन मिलें

†८०१. **श्री पांगरकर** : क्या **इसस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९-६० में भूतपूर्व बम्बई राज्य में इस्पात पुनर्वेल्लन मिलें स्थापित करने के लिये कितने आवेदन प्राप्त हुए ; और

(ख) कितने लाइसेंस दिये गये ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १८५१ के अधीन लाइसेंस देने के लिये ८ आवेदन-पत्र ।

(ख) १९५६ में प्राप्त आवेदन-पत्रों के विरुद्ध वर्तमान मिलों में कार्य चलाने के लिये वर्ष १९५९-६० में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन तीन लाइसेंस दिये गये ।

इस वर्ष अप्रैल के बाद से लोहा तथा इस्पात नियंत्रण आदेश के अधीन छोटी पुनर्वेल्लन मिलें स्थापित करने या चलाने के लिये सामान्य आज्ञा दी गई है परन्तु इस शर्त पर कि उस में किसी भी उपकरण के आयात की आज्ञा नहीं दी जायेगी और उस में केवल स्थानीय रूप से उपलब्ध रद्दी लोहा हो कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होगा ।

राज्य बैंक की शाखायें

†८०२. **श्री पांगरकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९-६० में बम्बई के मराठवाड़ा प्रदेश में भारत के राज्य बैंक की कितनी शाखायें खोली गयीं ; और

(ख) ये शाखायें किन स्थानों पर खोली गयी हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). वर्ष १९५९-६० में महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा प्रदेश में भारत के राज्य बैंक की कोई शाखा नहीं खोली गई ।

आय-कर की वसूली

†८०३. **श्री पांगरकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९-६० में बम्बई के मराठवाड़ा प्रदेश से कुल कितने आय-कर की वसूली की गई ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में कुल कितनी रकम बकाया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) वर्ष १९५९-६० में बम्बई के मराठवाड़ा प्रदेश से कुल २३.९८ लाख रुपये का आय-कर वसूल किया गया ।

(ख) ३१ मार्च, १९६० को बकाया धनराशि की कुल रकम १०.९७ लाख रुपये थी ।

सम्पदा शुल्क की वसूली

†८०४. **श्री पांगर कर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९-६० में बम्बई के मराठवाड़ा प्रदेश से कुल कितनी रकम का सम्पदा-शुल्क वसूल किया गया ; और

(ख) करदाताओं की संख्या क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) ७६,९१९ रुपये ।

(ख) उपरोक्त धनराशि १९ कर दाताओं से वसूल की गयी ।

हिन्दी में उच्च शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियां

†८०५. { **श्री बैं० च० मलिक** :
श्री पांगरकर :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संस्थाओं के क्या नाम हैं जिन में हिन्दी में उच्च शिक्षा के लिये अहिन्दी भाषी राज्यों के उन छात्रों ने दाखिला ले लिया है जिन्हें वर्ष १९५९-६० में छात्रवृत्ति दी गई थी ;

(ख) क्या इस योजना के अधीन वर्ष १९६०-६१ में छात्रवृत्ति देने के लिये कोई चुनाव किया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो अब तक (राज्य-वार) कितने अभ्यर्थी चुने गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) एक सूची संलग्न है जिस में **संस्थाओं के नाम** दिये गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २९]**

(ख) जी, अभी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली और नई दिल्ली में नये स्कूल

†८०६. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ जुलाई, १९६० के बाद से दिल्ली और नई दिल्ली में कितने नये प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले गये हैं ;

(ख) १५ जुलाई, १९६० के बाद से कितने नये अध्यापक रखे गये हैं ; और

(ग) इन अध्यापकों का चुनाव किस प्रकार किया गया ?

---

†मूल प्रश्न अं. में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क)

(१)	नये हायर सैकेन्डरी स्कूल	१५
(२)	हाई स्कूलों को हायर सैकेन्डरी स्कूल बनाया गया	१८
(३)	मिडिल स्कूलों को हायर सैकेन्डरी स्कूल बनाया गया	२
(४)	नये जूनियर बेसिक/प्राइमरी स्कूल	८६
(५)	जूनियर बेसिक/प्रायमरी स्कूलों को सीनियर बेसिक/मिडिल स्कूल बनाया गया .	३४
(ख)	(१) दिल्ली प्रशासन द्वारा	१६३
	(२) दिल्ली नगर निगम द्वारा	६५०

(ग) (१) **दिल्ली प्रशासन :**

स्थानीय काम दिलाऊ दफ्तर द्वारा मनोनीत अभ्यर्थियों में से एक कर्मचारी चुनाव बोर्ड द्वारा चुनाव किये जाते हैं ।

(२) दिल्ली नगर निगम :

लिखित परीक्षा के आधार पर ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर

†८०७: **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री नेकराम नेगी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर के गवर्नर-मंडल से उस समिति के प्रतिवेदन के बारे में विचार प्राप्त हो गये हैं जो इस संस्था के कार्यकरण और विकास के पुनर्विलोकन के लिये स्थापित की गई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग). पुनर्विलोकन समिति के प्रतिवेदन और गवर्नर-मंडल के विचारों की मंत्रालय में इसलिये जाँच की जा रही है कि प्रतिवेदन में जिन मामलों के बारे में रिपोर्ट दी गई है उन पर भारत के राष्ट्रपति से उन की विजिटर की हैसियत से उन के आदेश प्राप्त किये जा सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पालघाट में इंजीनियरिंग कालेज

†८०८. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पालघाट में एक इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने के लिये वित्तीय व्यवस्था के ब्यौरे केरल सरकार के साथ तै कर लिये गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कालेज कब चालू किया जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबीर)** : (क) से (ग). जी, हां। नायर सर्विस सोसायटी जिसके तत्वावधान में इस कालिज की स्थापना की जा रही है, और राज्य सरकार में यह तै हो गया है कि वे चालू योजना की अवधि की समाप्ति तक ५० प्रतिशत अनावर्ती व्यय और ५० प्रतिशत आवर्ती व्यय वहन करेंगे। योजना की अवधि के पूरा होने पर वे समूचा आवर्ती व्यय वहन करने को सहमत हो गये हैं। यह आशा की जाती है कि यह कालिज १७ अगस्त, १९६० से आरम्भ हो जायेगा।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्

†८०९. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् में कितने कर्मचारी हैं;

(ख) इमारत का मासिक किराया कितना है; और

(ग) यह कार्यालय इसकी अपनी इमारत में कब स्थानान्तरित किया जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) ८०।

(ख) ६२८.९४ रुपये।

(ग) पुस्तकालय स्थानान्तरित किया जा चुका है और अन्य विभाग स्थानान्तरित किये जा रहे हैं।

सूरत के निकट तेल के निक्षेप

†८१०. **श्री न० म० देव :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूरत के समीप जो तेल के नये निक्षेप पाये गये हैं वह सबसे बड़े हैं और उससे हमारी तेल की खपत का १५ प्रतिशत भाग पूरा हो जायेगा ; और

(ख) हमारे भू-वैज्ञानिकों ने कितनी मात्रा का अनुमान लगाया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे०मालवीय)** : (क) और (ख). अंकलेश्वर में प्रथम रूप से परीक्षण के तौर पर खोदे गये कुएं में तेल पाया गया है जहां कि भू-तत्वीय सर्वेक्षण में बड़े पैमाने पर इसके होने का पता लगा है परन्तु अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि वहां पर कितना तेल है जब तक कि और समन्वेषी और विकास कुएं न खादे जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुरातत्वीय रसायनज्ञ

†८११. **श्री नरसिंहन्** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में (१) सहायक पुरातत्वीय रसायनज्ञ और (२) कनिष्ठ पुरातत्वीय रसायनज्ञ के कितने पद विज्ञापित किये गये ;

(ख) ये यदि सीधी भर्ती द्वारा भरे गये या विभागीय पदोन्नति द्वारा; और

(ग) उनके लिये क्या शैक्षणिक और प्रविधिक अर्हताओं की आवश्यकता है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) (१) दो ।
(२) दो ।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग के जरिये खुली भर्ती द्वारा ।

(ग) **(१) सहायक पुरातत्वीय रसायनज्ञ**

(क) भौतिक (फिजीकल) अथवा अकार्बनिक रसायन शास्त्र (इनार्गनिक केमिस्ट्री) में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर (मास्टर) की डिग्री या इसके बराबर की आनर्स की डिग्री ।

(ख) वांछनीय

मिश्रधातु, सिलीकेट और गारा, चूना में विश्लेषण का अनुभव और घूमन-पदार्थों[1] और कीटाणु-नाशक औषधियों का ज्ञान ।

२. कनिष्ठ पुरातत्वीय रसायनज्ञ

(क) भौतिक अथवा अकार्बनिक रसायन शास्त्र (इनार्गनिक केमिस्ट्री) में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर (मास्टर) डिग्री या इसके बराबर की ऑनर्स की डिग्री ।

(ख) मिश्रधातु, सिलीकेट और गारा, चूने के विश्लेषण का अनुभव ।

नोट:—दोनों पदों के लिये यदि अभ्यर्थी अन्य किसी प्रकार से अर्हता प्राप्त हों तो आयोग इन अर्हताओं में कोई ढील दे सकता है ।

पुरातत्व विभाग के बड़े और छोटे सर्किल

†८१२. **श्री नरसिंहन्** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बड़े और छोटे सर्किलों के बीच भेदभाव मिटाने और बड़े सर्किल के सुपरिन्टेंडेंट को जो विशेष भत्ता दिया जा रहा है उसे समाप्त करने के लिये क्या कोई प्रस्ताव है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : जी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Fumigrants.

उत्तर प्रदेश के कॉलेजों के अध्यापकों के वेतनक्रम

†८१३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों के वेतन क्रमों में वृद्धि करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये १९५८–५९ और १९५९–६० में कितनी कितनी राशि दी गयी थी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख) . सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). उत्तर प्रदेश के दो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अर्थात् बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को संधारण कार्य के लिये विश्वविद्यालयों को दिये जाने वाले 'ब्लाक ग्राण्ट' के एक भाग के रूप में उनके अध्यापकों के वेतन क्रम बढ़ाने के लिये आवश्यक वित्तीय सहायता दी गई है ।

आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर और रुड़की विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को जो वेतन क्रम दिये जा रहे हैं वे पहले ही आयोग द्वारा सुझाये गये वेतन क्रमों के बराबर हैं या कुछ अधिक हैं। इसलिये उन्हें वित्तीय सहायता देने का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा (आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध) वैश्य डिग्री कालेज, शामली को १९५९–६० के लिये १७८·६३ रुपयों का अनुदान दिया गया है ।

पंजाब में भूतपूर्व सैनिकों के लिये बस्तियां

†८१४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में भूतपूर्व सैनिकों के लिये बस्तियां बनाने के लिये कोई अनुदान मंजूर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो १९५८–५९ और १९५९–६० में कुल कितनी राशि दी गयी थी; और

(ग) इस सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, हां ।

(ख) १९५८–५९ . शून्य ।
१९५९–६० . . २००० रुपये ।

(ग) पंजाब में इस सम्बन्ध में तीन बस्तियां बसायी जा रहीं हैं । वे हैं–करनाल, महाबलिपुर–रणवीरपुर और बनूर में ।

करनाल की बस्ती पूर्णरूपेण स्थापित की जा चुकी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

महाबलिपुर---रणवीरपुर की बस्ती में एक नलकूप खोदा जा चुका है और एक पम्प भी लगाया जा चुका है। सिंचाई के लिये तीन मील की नहर भी खोदी जा चुकी है। प्लाटों तथा ग्राम के स्थानों के सर्वेक्षण तथा सीमांकन का कार्य हो गया है। गांव का नकशा और रहने वालों के क्वाटरों के नक्शे तैयार किये जा रहे हैं।

बनूर की बस्ती में भूमि को इकट्ठा करने का काम पूरा हो चुका है। राज्य सरकार ने वहां पर एक नलकूप लगाने का यत्न किया है, परन्तु दुर्भाग्य से ३०० फुट की गहराई तक भी पानी न पाया जा सका। अतः जब तक पानी के लिये कोई और संसाधन नहीं मिल जाता तब तक के लिये इसके विकास के कार्य को छोड़ दिया गया है।

दिल्ली में समाज शिक्षा

†८१५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में दिल्ली में समाज शिक्षा के सम्बन्ध में क्या क्या कार्य किये गये हैं;

(ख) उस वर्ष प्रशासन कार्य पर कितना खर्च आया था तथा यात्रा भत्तों और महंगायी भत्तों के रूप में कितनी राशि दी गयी थी; और

(ग) क्या यह सच है कि ग्राम्य क्षेत्रों की अपेक्षा नागरिक क्षेत्रों में अधिक कार्य किया जा रहा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उसे शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

गैरसरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता

†८१६. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार गैर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये राज्य सरकारों को कोई सहायता देती है; और

(ख) यदि हां, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के प्रारम्भ से लेकर ३१ मार्च, १९६० तक प्रत्येक राज्य को कितनी वार्षिक राशि दी गयी थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा काल सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मैसूर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कृषि बस्तियां

†८१८. **श्री सिवप्पा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० और १९६०-६१ में केन्द्र द्वारा चलायी गयी योजना के अधीन मैसूर राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये किस किस स्थान पर कृषि बस्तियां प्रारम्भ की गयी हैं;

(ख) उक्त अवधि में केन्द्रीय सरकार की ओर से कितनी अनुदान राशि मंजूर की गई है; और

(ग) १९६०-६१ में किस किस स्थान पर वे बस्तियां प्रारम्भ की जायेंगी ?

---

†[ ] अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये अनुबन्ध संख्या २, परिशिष्ट संख्या ३०**]

(ख) वर्ग	अनुदान की राशि	
	१९५९–६०	१९६०–६१
अनुसूचित जातियां	९.२५ लाख रुपये	५.५० लाख रुपये
अनुसूचित आदिम जातियां	५.०२ लाख रुपये	५.४८ लाख रुपये

(ग) जानकारी सम्बद्ध विवरण में निहित है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३०**]

मैसूर में स्मारक

†८१९. **श्री सिदप्पा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९-६० और १९६०-६१ में मैसूर राज्य के केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों में से प्रत्येक के संरक्षण पर कितनी राशि खर्च की गयी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: इस जानकारी को इकट्ठा करने में जितना समय और परिश्रम लगेगा, वह प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

रत्नगिरि में मिले पुरातत्वीय अवशेष व वस्तुएं

†८२०. **श्री बै० च० मलिक** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९-६० में उड़ीसा के रत्नगिरि में मिले पुरातत्वीय अवशेष वस्तुओं के संभरण तथा मरम्मत पर कुल कितनी राशि खर्च की गयी थी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: २०,४९९ रुपये।

उड़ीसा में प्राथमिक शिक्षा

†८२१. **श्री बै० च० मलिक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिये उड़ीसा सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गयी थी; और

(ख) १९६०-६१ के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) प्राथमिक शिक्षा के लिय ५४,०१,००० रुपये।

(ख) (१) प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा चलायी गयी योजना के लिये १९,६७,००० रुपये।

---

† मूल अंग्रेजी में

(२) राज्य के क्षेत्र में चलायी जा रही सभी शिक्षा विकास योजनाओं के लिये उड़ीसा सरकार के लिये ७५ लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं। परन्तु यह जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है कि प्राथमिक शिक्षा के लिये राज्य सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं के लिये कितनी राशि निर्धारित की गयी है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कोषाध्यक्ष

†८२२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीनों केन्द्रीय विश्वविद्यालयों अर्थात् बनारस, अलीगढ़ और विश्वभारती विश्वविद्यालयों में कोषाध्यक्षों के स्थान समाप्त कर देने सम्बन्धी योजना की इस समय क्या स्थिति है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

हिन्दी असिस्टेंट

८२३. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी असिस्टेंटों की नौकरियां पदालि से बाहर हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि पदालि से बाहर की नौकरियों पर मंत्रालयों को स्वयं नियुक्तियां करने का अधिकार प्राप्त है; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा नियुक्त किये गये हिन्दी असिस्टेंटों को नौकरी से हटा कर गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा हिन्दी असिस्टेंटों की नियुक्तियां करने का, जैसे कि पदालि में सम्मिलित अन्य नौकरियों में किया जाता है, क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) इस समय हिन्दी सहायकों के पद तीनों सेन्ट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसिज में से किसी की पदालि में सम्मिलित नहीं हैं।

(ख) जी हां, परन्तु ऐसी नौकरियों की नियुक्ति के लिए नियत नियमों के अधीन।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श द्वारा यह निर्णय किया गया था, कि सेन्ट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस स्कीम में सांझी मंत्रालयों तथा अन्य कार्यालयों में हिन्दी सहायकों के पदों पर सेन्ट्रल सेक्रेटेरिएट क्लेरिकल सर्विस के उन अपर डिवीजन तथा लोअर डिवीजन क्लर्कों को नियुक्त किया जाय, जिन्होंने इस उद्देश्य से जून, १९५९ में आयोग द्वारा ली गई विभागीय प्रतियोगी परीक्षा पास की थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

सहकारी उद्योगों के लिये मध्यम कालीन ऋण

†८२४. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री नेकराम नेगी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री इ० मधुसूदन राव : }

क्या **वित्त** मंत्री २२ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७४१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ने सहकारी उद्योगों के लिये मध्यमकालीन ऋणों के सम्बन्ध में सापेक्ष वर्तमान स्तरों के बारे में निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). रिजर्व बैंक सहकारी ऋण सम्बन्धी महता समिति की सिफ़ारिशों की पृष्ठ भूमि में इस मामले पर विचार कर रहा है ।

उड़ीसा में प्रविधिक शिक्षा

†८२५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही**: क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० और १९६०-६१ में प्रविधिक शिक्षा के विकास के लिये उड़ीसा राज्य के अनुदान के रूप में कितनी राशि दी गयी है; और

(ख) ये अनुदान किस किस शीर्ष के अन्तर्गत दिये गये हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) १९५९-६० में १५.८६ लाख रुपये । १९६०-६१ के लिये अभी तक किसी भी गैरसरकारी संस्था को कुछ भी अनुदान मंजूर नहीं किया गया है । राज्य सरकारों की संस्थायें केन्द्रीय सरकार से स्वयंमेव अर्थोपाय पेशगियां प्राप्त कर लेती हैं, जिनकी राशि मई के मास से लेकर ९ मासिक किश्तों में अदा की जाती है और यह कुल राशि उन राज्यों के लिये निर्धारित राशि के $^{1}/_{2}$ भाग के बराबर होती है । सरकारी संस्थाओं के लिये केन्द्रीय सहायता की औपचारिक मंजूरी वित्तीय वर्ष के अन्त में की जायेगी और ये राशि प्रथम तीन तिमाहियों में किये गये वास्तविक खर्च और चतुर्थ तिमाही के अनुमानतः खर्च के आधार पर तय की जायेगी ।

(ख) वर्तमान संस्थाओं के विकास तथा नयी संस्थाओं की स्थापना के सम्बन्ध में ब्योरा इस प्रकार से है :—

१. भद्रक पोलिटेक्निक, भद्रक (गैर सरकारी)	(स्थापना)
२. खनसंस्था क्योजनगढ़ (गैर सरकारी)	(स्थापना)
३. बरहमपुर इंजीनियरिंग स्कूल; बरहमपुर (सरकारी) . .	(विकास)

†मूल अंग्रेजी में

४. झरसुगुडा पोलिटेक्निक, झरसुगुडा (सरकारी) (विकास)

५. उड़ीसा स्कूल आफ इंजीनियरिंग, कटक (सरकारी) (विकास)

उड़ीसा के राजनीतिक पीड़ितों को सहायता

†८२६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०-६१ में उड़ीसा के राजनीतिक पीड़ितों को केन्द्रीय सरकार की ओर से अभी तक कोई सहायता दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में कितनी राशि दी गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी, हां ।

(ख) ५०० रुपये ।

लिपिक सेवा में स्थायी पद

८२७. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिपिक सेवा (श्रेणी १) के सभी २,००० स्थायी पद जिनका उल्लेख मंत्रालय की १९५९-६० की वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है, स्थायी रूप से भरे जा चुके हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो अभी कितने पद भरे जाने हैं और वे कब तक भरे जायेंगें ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार): (क) तथा (ख). अब तक १४५० व्यक्ति स्थायी किये जा चुके हैं । शेष ५५० रिक्तियों के लिए एक अंतिम सूची बनाई गई है और वह सूची स्थायी करने से पहले सब मंत्रालयों/कार्यालयों में आवश्यक औपचारिक कायवाही को पूरा करने के लिए भेजी गई है ।

स्वयंसेवी शिक्षा संस्थाओं को सहायता

८२८. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में स्वच्छा से कार्य करने वाली संस्थाओं को आर्थिक सहायता देती है ; और

(ख) यदि हां, तो १९६०-६१ में अब तक कितनी राशि मंजूर की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) ६२,०५५·०० रु० । इस राशि में, जामिआ मिलिआ इस्लामिआ, नई दिल्ली को दिया गया १,३३,००० रु० का अनुरक्षण अनुदान शामिल नहीं है क्योंकि माध्यमिक स्तर की शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था के लिए कोई विशिष्ट राशि नियत नहीं की गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बहुप्रयोजनीय स्कूल

८२९. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में अब तक बहुप्रयोजनीय स्कूलों के मुख्याध्यापकों की कितनी प्रादेशिक गोष्ठियां हुई ; और

(ख) इन में कौन कौन सी समस्याओं पर विचार किया गया ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) दो ।

(ख) १. विभिन्न व्यावहारिक पाठ्यक्रमों के साज-सामान की मानक सूची को अन्तिम रूप देना ।

२. विविध वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के लिये छात्र चुनना ।

३. बहूद्देशीय स्कूलों के छात्रों के अनुवर्ती अध्ययन की योजनायें ।

४. प्रमुख और वैकल्पिक विषयों के मूल्यांकन की पद्धतियां ।

५. विभिन्न राज्यों में लागू वैकल्पिक विषयों के पाठ्यक्रमों की तुलना ।

स्कूलों में प्रयोगात्मक-कार्य

८३०. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष स्कूलों में प्रयोग-कार्य को बढावा देने की योजना के अन्तर्गत कितना अनुदान दिया गया है ; और

(ख) जिन परियोजनाओं के लिये अनुदान दिये गये थे उन में से कितने सफल हुए ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) माध्यमिक स्कूलों में प्रायोगिक प्रायोजना के लिये इस वर्ष में अब तक स्वीकृत किये गये अनुदानों के ब्योरों का विवरण साथ लगा है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३१]**

(ख) सम्बन्धित संस्थाओं से प्रायोजनाओं की पूर्ति की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है ।

दिल्ली में आग

८३१. **श्री नरदेव स्नातक :**
श्री अ० मु० तारिक :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री विभूति मिश्र :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष दिल्ली में कितनी बार आग लगी ;

(ख) उसके परिणामस्वरूप कितनी जान माल की हानि हुई ; और

(ग) सरकार और निजी व्यक्तियों को कितनी-कितनी हानि हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) प्रथम जनवरी से लेकर तीस जून, १९६० तक दिल्ली में ६०७ बार आग लगी, जिनमें से संलग्न विवरण पत्र में दिखाई गई ६ भयानक थीं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३२]**

(ख)	(१) जानी नुकसान	५
	(२) माली नुकसान	३८,६४,९२३ रुपये
(ग)	(१) सरकार को .	९३,८०६ रुपये
	(२) निजी व्यक्तियों को	३७,७१,११७ रुपये ।

एम० ई० एस० में ठेका पद्धति

†८३२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १४ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि एम० ई० एस० (सेना इंजीनियरिंग सेवा) में ठेका पद्धति को समाप्त कर देने या कम करने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : मामला अभी विचाराधीन है ।

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला , नई दिल्ली

†८३३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारखाना और कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम आदि नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के वर्कशाप के कर्मचारियों पर लागू नहीं किये जाते ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह विधियां राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में प्रयोगशालाओं के अन्य विभागों तथा अग्रिम परियोजनाओं में नियुक्त कर्मचारियों पर लागू की जाती हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) से (ग). राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला एक अनुसन्धान संस्था होने के कारण उसे कारखाना अधिनियम के प्रभाव से इस शर्त पर मुक्त रखा गया है कि कर्मचारियों के सुरक्षा के बारे में इस अधिनियम के उपबन्धों का पालन किया जाये और व्यापार के लिये यहां चीजें तैयार न की जायें। प्रयोगशाला मुक्ति की दोनों ही शर्तें पूरी करती है। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम प्रयोगशाला के कर्मचारियों पर लाग होता है ।

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली

†८३४. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली में रयाही विकास परियोजना में नियुक्त कर्मचारी लाभांश (बोनस) के अधिकारी हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पिछले दस साल में उन्हें कोई लाभांश नहीं दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(घ) लाभांश देने के लिये क्या कार्यवाही की गयी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) से (घ) स्याही विकास परियोजना १ जून, १९५९ से एक गैर-सरकारी फर्म को हस्तान्तरित कर दी गई है। जब वह राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के अधीन थी तब परियोजना के कर्मचारी उसी प्रकार के सेवा-लाभों के अधिकारी थे जो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के अन्य कर्मचारियों को दिये जाते थे। लाभांश देने का प्रश्न परियोजना को हस्तान्तरित करने के बाद उठाया गया है और हिसाब-किताब ठीक कर लेने और उस की लेखा परीक्षा के बाद ही उस का निर्णय किया जायगा।

आदिम जातियों के लिये व्यापार प्रबन्ध और प्रशिक्षण संस्था

८३५. { **श्री नवल प्रभाकर** :
श्री कौडियान : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन का अनुसूचित जातियों के लिये एक व्यापार प्रबन्ध तथा प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने का विचार है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस संस्था में स्टेनोग्राफी ,अकाउन्टेन्सी, बुक कीपिंग तथा स्टोर-कीपिंग आदि का प्रशिक्षण दिया जायेगा ;

(ग) इस संस्था में कितने छात्र प्रविष्ट किये जायेंगे ;

(घ) उनकी योग्यता क्या होगी ; और

(ङ) क्या संस्था के कर्मचारियों और कार्यालयों के लिये प्रबन्ध कर लिया गया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) एक अलग प्रशिक्षण संस्था को खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। रोजगार तथा प्रशिक्षण के निदेशक के अधीन चलाये गये एक केन्द्र में निर्धारित विषयों का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(ख) प्रशिक्षण के विषय हैं :—

(१) व्यापार प्रबन्ध

(२) आशुलिपि

(३) अकाउन्टेन्सी तथा

(४) स्टोर कीपिंग।

(ग) प्रत्येक वर्ष ६४ विद्यार्थियों में से दस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के अतिरिक्त अन्य लोगों के लिये होंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) मैट्रिक अथवा हायर सैकेन्डरी ।

(ङ) एक आशुलिपि प्रशिक्षक और एक चपरासी के पदों की मंजूरी दी गई है । यह आशा है कि अकाउन्टेंसी और व्यापार-प्रबन्ध के व्याख्याताओं के पदों की मंजूरी शीघ्र जारी होगी । इस प्रशिक्षण के लिये कोई अलग कार्यालय नहीं होगा ।

फिल्म प्रोजेक्टरों का निर्माण

†८३६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून में युद्ध-सामग्री कारखाने में फिल्म प्रोजेक्टर बनाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने प्रोजेक्टर तैयार किये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) संभवत: माननीय सदस्य का आशय ३५ मीली-मीटर स्लाइड/स्ट्रिप फिल्म प्रोजेक्टरों से है । यदि ऐसा हो तो उत्तर हां है ।

(ख) जून, १९६० के अन्त तक ६८० प्रोजेक्टर ।

कोयला बोर्ड और खानों के मुख्य निरीक्षणालय के बीच समन्वय

†८३७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला बोर्ड और खानों के मुख्य निरीक्षणालय के बीच पूरा समन्वय है ; और

(ख) यह समन्वय किस प्रकार होता है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) खानों का मुख्य निरीक्षक कोयला बोर्ड का सदस्य होता है और मुख्य निरीक्षक अथवा उस के द्वारा मनोनीत व्यक्ति बोर्ड को सलाह देने के लिये कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ की धारा १५ के अधीन स्थापित की गई मंत्रणा समितियों का सदस्य होता है । कोयला खानों में सुरक्षा सम्बन्धी मामलों में बोर्ड खानों के मुख्य निरीक्षक के परामर्श से और उस की सिफारिशों के आधार पर काम करता है । कोयले के संरक्षण के लिये कोयला खानों में कार्यप्रणाली संबंधी मामलों में भी खानों का मुख्य निरीक्षक बोर्ड को सुझाव दे सकता है और बोर्ड उन सुझावों पर समुचित ध्यान देता है ।

अफीम का निर्यात

†८३८. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से अफीम के निर्यात में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) क्या निर्यात बढ़ाने और अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के लिये और अधिक प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) १९५५ से अफीम का निर्यात इस प्रकार रहा :—

वर्ष	निर्यात (टनों में)
१९५५	१९०
१९५६	२५५
१९५७	३८८
१९५८	४४७
१९५९	५८९
१९६०	६३८ (अनुमानित)

(ग) जी हां ।

१९६१ की जनगणना

८३९. श्री पहाड़िया :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में जो जनगणना होने वाली है, क्या उसके लिये तैयारी की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सम्भवतः कुल कितना खर्च होगा ; और

(ग) इस कार्य के लिये किन-किन भाषाओं को माध्यम रखा जायेगा ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग ७·५ करोड़ रुपये ।

(ग) अंग्रेजी और राज्यों की प्रादेशिक भाषाएं ।

विदर्भ का महाराष्ट्र में शामिल किया जाना

†८४०. श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदर्भ के महाराष्ट्र में समावेश के विरुद्ध आयोजित "विरोध-सप्ताह" के फलस्वरूप मई, १९६० के पहले सप्ताह में केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति को कितनी हानि पहुंची, और

(ख) कितने व्यक्ति मारे गये ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) लगभग ३१,४०० रुपये की हानि होने का अनुमान है ।

(ख) कोई व्यक्ति नहीं मारा गया ।

---

†मूल अंग्रेजी मे

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्

†८४१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् पर केन्द्रीय सरकार का कोई नियंत्रण है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का और सरकार तथा आम परिषद् का परस्पर क्या ठीक ठीक संबंध है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) और (ख). जी हां। यद्यपि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् एक स्वायत्तशासी संगठन है फिर भी उसके संविधान में यह उपबन्ध है कि परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारत सरकार द्वारा मनोनीत किय जायेंगे। मंत्रालय का वित्तीय परामर्शदाता परिषद् में भारत सरकार के प्रतिनिधियों में से एक होता है और वह वित्त समिति का सदस्य भी होता है। बजट तथा खर्च के सभी प्रस्ताव प्रारंभ में वित्त समिति तैयार करती है और फिर शासी निकाय जिसके सदस्य अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और वित्तीय परामर्शदाता होते हैं, उन्हें मंजूर करता है। परिषद् प्रतिवर्ष अपना बजट सरकार को पेश करती है और वित्त मंत्रालय के परामर्श से यथोचित छानबीन के बाद उसके लिए बजट में व्यवस्था की जाती है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक परिषद् के लेखे की लेखा परीक्षा करता है ।

भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान

†८४२. **श्री अब्दुल सलाम** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक साल में भारत और चीन के बीच कोई सांस्कृतिक आदान-प्रदान हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) और (ख). जी हां। भारत और चीन के बीच विद्वानों का आदान-प्रदान कार्यक्रम, १९५८ की योजना के अन्तर्गत प्रत्येक देश से चार विद्वानों को अध्ययन के लिए दूसरे देश में भेजा गया है।

हिन्दी अध्यापकों का प्रशिक्षण कालेज

†८४३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री २९ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गुलबर्ग में सरकारी हिन्दी शिक्षक ट्रेनिंग कालेज चालू करने के लिए विस्तृत अंतिम रूप से ब्यौरा तैयार करने में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मैसूर सरकार ने हिन्दी शिक्षकों का प्रशिक्षण कालेज चालू करने के लिए अप्रैल, १९६० में अनुमान प्रस्तुत किये थे। शिक्षा मंत्रालय ने उनका परीक्षण कर उनमें परिवर्तन करने के लिए मई, १९६० में राज्य सरकार को उस संबंध में सुझाव दिये हैं। राज्य सरकार से संशोधित अनुमान अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

विश्वेश्वरानन्द वैदिक अनुसन्धान संस्था, पंजाब

†८४४. **श्री कोडियान :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में विश्वेश्वरानन्द वदिक अनुसन्धान संस्था ने भारत सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्णय हुआ है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी हां ।

(ख) संस्था को जो अनुदान प्राप्त हुए हैं, वे इस प्रकार हैं :—

वर्ष	दी गयी धनराशि
	रुपये
१९४०–४१	२,५००
१९४१–४२	२,५००
१९४२–४३	२,५००
१९४३–४४	२,५००
१९४४–४५	२,५००
१९४५–४६	५,५००
१९४६–४७	५,५००
१९४७–४८	५,५००
१९४८–४९	५,५००
१९४९–५०	५,२९४
१९५०–५१	५,५००
१९५१–५२	१०,०००
१९५२–५३	१०,०००
१९५३–५४	२५,०००
१९५४–५५	२५,०००
१९५५–५६	२५,०००
१९५६–५७	२५,०००
१९५७–५८	७७,६६०
१९५८–५९	६३,७६०
१९५९–६०	६८,३२५
कुल	३,७५,०३९

†इस अंग्रेजी में

महिला अध्यापक

†८४५. **श्री कोडियान :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का कोई अनुमान लगाया है कि तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल कक्षाओं के लिए कितनी महिला अध्यापकों की जरूरत होगी ; और

(ख) इस संबंध में आवश्यकता पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) जी नहीं, किन्तु आयोजन आयोग द्वारा स्थापित किये गये अन्तर्मंत्रालय अध्ययन दल ने इस बात का अनुमान लगाया है जैसा कि नीचे दिया हुआ है, कि तीसरी आयोजना में और कितनी महिला अध्यापकों की जरूरत होगी :—

प्राइमरी स्टेज	२,५२,४००
मिडिल स्टेज	२५,०००
सैकन्डरी स्टेज	१५,०००

(ख) सभी दशाओं में महिला अध्यापकों की संख्या में सामान्य वृद्धि के अलावा, जो तीसरी आयोजना में शिक्षा संबंधी सुविधाओं के विस्तार में और अधिक बढ़ जाने की संभावना है, सरकार ने महिला अध्यापकों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ विशेष उपाय करने का विचार किया है जिनमें ये शामिल हैं :—

(१) ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली महिला अध्यापकों के लिए क्वार्टरों की व्यवस्था;

(२) वयस्क महिलाओं के लिए, सघनित पाठ्यक्रमों के जरिये, विशेष शैक्षणिक सुविधाओं की व्यवस्था जिससे वे अध्यापकों के रूप में कार्य करने के लिए अपने को तैयार कर सकें ;

(३) ग्रामीण क्षेत्रों से महिला उम्मीदवारों के लिए विशेष छात्रवृत्तियां और वेतन देना जिससे वे अध्यापकों की योजना और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें ;

(४) ग्रामीण या पिछड़े क्षेत्रों में काम करने वाली महिला अध्यापकों को गांव-भत्ता देना ।

कश्मीरी भाषा

†८४६. **श्री प्र० के० देव :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कश्मीरी भाषा लिखने के लिए फारसी लिपि को स्वीकार कर अरबी लिपि को नामंजूर करने का निश्चय किया है ; और

(ख) क्या रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कृतियों का फारसी लिपि में लिखी जाने वाली कश्मीरी भाषा में और देवनागरी लिपि में लिखि जाने वाली डोगरी भाषा में अनुवाद कराने के लिए कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) हमें कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) (१) साहित्य अकादमी ने परिवर्तित फारसी लिपि में कश्मीरी भाषा में श्री ठाकुर के निम्न लिखित कृतियों के अनुवाद के लिए प्रस्ताव रखा है :—

१. १०१ कविताएं ।
२. २ संक्षिप्त कहानियां ।
३. एक उपन्यास (चोखेर बाली) ।
४. तीन नाटक ('रक्त कारबी', 'डाक घर' और 'मुक्त धारा')

(२) इसके अलावा, यह ज्ञात हुआ है कि कश्मीरी राज्य ठाकुर शताब्दी समिति ने ठाकुर के निम्नलिखित ग्रंथ अनुवाद के लिए प्रस्तुत किये हैं :—

(१) कश्मीरी (राज्यकीय लिपि)

१. गीतांजली ।
२. दी सायकल आफ स्प्रिंग

(२) डोगरी (देवनागरी लिपि में)

१. गीतांजली
२. १०१ कविताएं
३. २१ संक्षिप्त कहानियां

देहरादून में प्रौढ़ अंधों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

†८४७. **श्री प्र० के० देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून में प्रौढ़ अंधों के प्रशिक्षण केन्द्र में वयस्क अंधों को ब्रेल पद्धति से पढ़ना सिखाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किस भारतीय भाषा में ब्रेल के जरिये पढ़ाई होती है ;

(ग) क्या वहां उड़िया पढ़ायी जाती है ; और

(घ) वहां उड़ीसा से कितने अंधे हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) हिन्दी, तामिल और तेलगू ।

(ग) और (घ). अभी उस केन्द्र में उड़ीसा से कोई भी प्रशिक्षार्थी न होने के कारण उड़ीया नहीं सिखायी जाती ।

पालम हवाई अड्डे पर सोने की बरामद

†८४८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २२ मई, १९६० को पालम हवाई अड्डे पर चुंगी अधिकारियों ने एक यूनानी यात्री से लगभग १,७०,००० रुपये का सोना बरामद किया था ;

---

†भूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उसके तस्कर व्यापारियों के किसी गिरोह के सदस्य होने के बारे में जांच की गयी है ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(घ) उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

†**वित्त मंत्री** (**श्री मो ा जी देसाई**) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). यथोचित जांच की गयी है । मालूम होता है कि इस मामले में कुछ लोग उसके साथ हैं ।

(घ) यूनानी राष्ट्रीय जन के विरुद्ध इस मामले में विभाग द्वारा ही न्याय निर्णय किया गया है और बरामद सोना (१३५९ ६७ तोले) पूरी तौर से ज़ब्त कर लिया गया है । उस पर अभियोग भी चलाया जा रहा है ।

दिल्ली कारखाना क्षेत्रों में सुबह के और रात के स्कूल

†८४९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्कूल शिक्षक संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि कारखाना क्षेत्रों और बस्तियों में जहां श्रमिक लोग रहते हैं, सुबह के और रात के स्कूल खोले जायें; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री** (**डा० का० ला० श्रीमाली**) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

†८५०. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री विभूति मिश्र :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री खुशवक्त राय :
श्री भक्त दर्शन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के दस अध्यापकों को नौकरी से अलग कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उनकी नौकरी खत्म करने के क्या कारण थे ?

†**शिक्षा मंत्री** (**डा० का० ला० श्रीमाली**) : (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन अध्यापकों की नौकरी विश्वविद्यालय ने उनके सेवा करारों की शर्तों तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अनुसार, जिनसे उसके कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें संचालित होती हैं; समाप्त कर दी है।

केरल, मैसूर, और मद्रास में पैट्रोल की आवश्यकता

†८५१. श्री अ० क० गोपालन :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री वें० प० नायर :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल, मैसूर और मद्रास के राज्यों में मोटर स्पिरिट, डीज़ल तेल, किरोसिन और ल्यूब्रिकेटिंग तेल की अनुमानित वार्षिक आवश्यकता कितनी है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : पैट्रोल से बनी वस्तुओं के सम्बन्ध में राज्यवार खपत के आंकड़े नहीं रखे जाते और न ही उस आधार पर अग्रिम अनुमान तैयार किये जाते हैं; सामान्यतया उन क्षेत्रों को मुख्य बन्दरगाह सप्लाई क्षेत्र कहा जाता है। वर्तमान कोचीन और मद्रास सप्लाई क्षेत्र केरल, मैसूर और मद्रास राज्यों को मिलाकर एक क्षेत्र के लगभग बराबर है। १९५९ में इन दो सप्लाई क्षेत्रों में लाइट डेस्टिलेट्स (मुख्यत: मोटर स्पिरिट) और मिडिल डेस्टिलेट्स (मुख्यत: किरोसिन और डीजल) की कुल खपत क्रमश: १ लाख २० हजार टन और ६ लाख ४० हजार टन थी। ल्यूब्रिकेन्ट्स के सम्बन्ध में प्रत्येक सप्लाई क्षेत्र के अलग अलग आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं।

'कलरिपयट्टू' पटेबाजी'

†८५२. श्री वें० प० नायर :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री नारायणन्कुट्टि मेनन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को मालूम है कि "कलरिपयट्टू" नामक मलाबार ढंग की पटेबाजी धीरे-धीरे लोप हो रहा है; और

(ख) इस ढंग के पटेबाजी को भारत में लोकप्रिय बनाने के लिये भारत सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० सा० ला० श्रीमाली) : (क) जी नहीं।

(ख) भारत में 'कलरिपयट्टू' की उन्नति के लिये भारत सरकार ने कोई विशेष कार्यवाही नहीं की है। इस कला की उन्नति देशी खेलों की उन्नति के सम्बन्ध में भारत सरकार के कार्यक्रम का एक अंग है और कार्यक्रम के अंतर्गत 'कलरिपयट्टू' की संस्थाओं को अनुदान भी दिये जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

‡'Kalaripayattu' Fencing

केरल में पुरानी नक्काशी

†८५३. श्री विभूति मिश्र :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री वारियर :
श्री वसुदेवन नायर :

क्या **वैज्ञानिक अनुसधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलाबार के विनाड् ताल्लुक में घने जंगल के बीच पुरानी नक्काशी (केव एन्ग्रेविंग्स) पायी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस नक्काशी की क्या विशेषता है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां, किन्तु इसे नई खोज नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस सम्बन्ध में एक लेख पहले ही "इण्डियन ऐन्टिक्विटी" के सितम्बर, १९०१ के अंक में प्रकाशित हो चुका है, जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ख) इस नक्काशी की विशेषता इसी में है कि इस प्रकार की दूसरी नक्काशी केरल में अभी तक नहीं पायी गयी है ।

प्रतिरक्षा संस्थापनों में असैनिक कर्मचारी

†८५४. **श्री केशव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा संस्थापनों के असैनिक कर्मचारियों को किस प्रकार का आवास स्थान दिया जा रहा है; और

(ख) असैनिक कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने और उन्हें देने की कोई योजना है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). विवरण संलग्न है ।

विवरण

प्रतिरक्षा सेवाओं के मुख्य असैनिक कर्मचारी और कुछ श्रेणी के मिलिटरी फार्म कर्मचारी सरकारी आवास स्थान के अधिकारी हैं और उन्हें जगह दी गयी है । अन्य श्रेणियों के असैनिक कर्मचारी सरकारी आवास स्थान के अधिकारी नहीं होते किन्तु सेवाओं के कर्मचारियों की आवश्यकतायें पूरी होने के बाद जो फालतू आवास स्थान बच जाता है उसे उन अन्य श्रेणियों के असैनिक कर्मचारियों को देने के बारे में विचार किया जाता ह ।

२. १३ युद्ध-सामग्री कारखानों में कुछ बस्तियां संलग्न हैं जहां लगभग २४,००० कर्मचारियों को स्थान दिया गया है । भारतीय नौसेना के विवाहित कर्मचारियों के लिये निम्नलिखित प्रकार से स्थान दिया गया है :—

बम्बई कमान	६४९ क्वार्टर
ईस्ट कोस्ट कमान . .	. १६३ क्वार्टर
हाइड्रोग्राफिक आफिस, देहरादून .	. ३ क्वार्टर

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा सेवाओं के असैनिक कर्मचारियों की स्थान सम्बन्धी आवश्यकताओं की समीक्षा सेवाओं के कर्मचारियों की आवश्यकता के साथ साथ समय समय पर की जाती है और निधि आदि के उपलब्ध होने पर अतिरिक्त क्वार्टर भी बनाये जाते हैं।

३. प्रतिरक्षा असैनिक कर्मचारियों के लिये मकान बनाने की निम्नलिखित योजनाओं पर विचार किया जा रहा है :—

(१) देहू, दिल्ली छावनी, पुलगांव, पानागढ़, बम्बई और आवदी में प्रतिरक्षा असैनिक कर्मचारियों के लिये उनकी स्थायी संख्या के १५ प्रतिशत तक, मकानों का निर्माण।

(२) सेना इंजीनियरिंग सेवा और सेना फार्मों के ७४ असैनिक कर्मचारियों के लिये मकान बनाना।

(३) जबलपुर, मेरठ, आगरा, जालन्धर और देहू रोड की प्रत्येक छावनी में कम आय के समुदाय के लोगों के लिये मकान बनाने की योजना के अन्तर्गत निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय से प्राप्त किये जाने वाले ऋण से छावनी बोर्डों द्वारा कम लागत के २०० मकानों का निर्माण। छावनी बोर्ड इन मकानों को प्रतिरक्षा असैनिक कर्मचारियों और छावनी निधि कर्मचारियों को किराये पर देगा।

(४) युद्ध-सामग्री कारखानों की सम्पदाओं में १९६०–६१ में १९६८ क्वार्टरों का निर्माण।

भूतत्वज्ञों की कमी

†८५५. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में भूतत्वज्ञों की बड़ी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक विशषज्ञ समिति के अनुमानों के अनुसार, तीसरी योजना अवधि के अन्त तक २००० भूतत्वज्ञों और व्यावहारिक भूतत्वज्ञों की आवश्यकता है। भूतत्वज्ञों और वास्तविक भूतत्वज्ञों की वर्तमान उपलब्धि प्रतिवर्ष लगभग २९० है।

(ख) (१) हमारे विश्वविद्यालयों के भूतत्व विभागों का, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये अनुदानों से, उच्च अध्ययन और व्यावहारिक अनुसन्धान करने के लिये विकास किया जा रहा है।

(ख) सात चुने हुए विश्वविद्यालयों में व्यावहारिक भूतत्व के विशेष-पाठ्य-क्रम आयोजित किये जा रहे हैं। ये पाठ्य-क्रम भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था खड़गपुर और भारतीय खान तथा व्यावहारिक भूतत्वज्ञ स्कूल धनबाद में भी रखे गये हैं। वे कानपुर और बम्बई की प्रौद्योगिकी संस्थाओं में भी जारी किये जायेंगे जब वे पूरी तरह कार्यारम्भ कर देंगी।

(३) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, भारतीय खान विभाग तथा अन्य संगठनों के सहयोग से, भूतत्व और व्यावहारिक भूतत्व के विद्यार्थियों का क्षत्रीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रजी में

इन उपायों के फलस्वरूप प्रतिवर्ष ४०० भूतत्वज्ञ तैयार होने की सम्भावना है ।

राजस्थान के लिये कोयले का चूरा

८५६. { श्री प० ला० बारूपाल :
श्री र० चं० व्यास :
श्री दीनबन्धु परमार : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९ और १९६० में राजस्थान को कितने टन कोयले का चूरा (स्लेक कोल) दिया गया ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : राजस्थान को कोयले का चूरा निम्नलिखित मात्रा में दिया गया है :—

१९५९ . . .	९७,५४८ टन
१९६० . . .	१५३,२९६ टन

पंजाब में जूनियर टेक्निकल स्कूल

†८५७. **श्री हेम राज** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में १९६० में कितने जूनियर टैक्निकल स्कूल खोलने का प्रस्ताव है ;

(ख) वे किन स्थानों पर खोले जायेंगे; और

(ग) क्या प्रत्येक विकास खण्ड में ऐसा एक स्कूल खोलने का प्रस्ताव है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) से (ग). पंजाब की संशोधित दूसरी पंचवर्षीय योजना में राज्य में तीन कनिष्ठ शिल्पिक स्कूल खोलने का उपबन्ध है । ये १९५९ में कांगड़ा, कपूरथला और गुड़गांव में खोले जावेंगे । चालू वर्ष में कोई दूसरा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अपाहिजों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र

†८५८. **श्री हेम राज** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) विभिन्न राज्यों में अपाहिजों के लिय कितने प्रशिक्षण केन्द्र खोले गय हैं ;

(ख) उनमें से कितने राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं और कितने सीधे केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रणाधीन केन्द्रों को प्रशिक्षण के लिय अपेक्षित कच्चा माल प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) तथा (ख). भारत सरकार देहरादून में प्रौढ़ अंधों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र चला रही है । राज्य सरकारों द्वारा अपाहिजों के लिये चलाये

†मूल अंग्रजी में

गये प्रशिक्षण केन्द्रों सम्बन्धी सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत-गोआ सीमा पर माल पकड़ा जाना

†८५९. **श्री कालिका सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में और अब तक, समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम तथा विभिन्न आयात तथा निर्यात या नियंत्रण विधियों के अन्तर्गत भारत-गोआ सीमा के क्षेत्र में किस प्रकार का माल और किन तिथियों तथा स्थानों पर पकड़ा गया;

(ख) माल पकड़ने के अतिरिक्त क्या कार्रवाई की गई थी; और

(ग) कितने लोगों पर मुकद्दमा चलाया गया और कितनी लागत का माल पकड़ा गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) माल, अर्थात् सोना, आभूषण, मुद्रा, विदेशी शराब, घड़ियां, और अन्य माल जिनका मूल्य ८.४० लाख रुपये था, भारत-गोआ सीमा पर करवार, कैसल राक और डोडामार्ग मंडलों में १ अप्रैल १९५९ से ३० जून, १९६० के बीच पकड़ा गया था ।

(ख) माल पकड़ लिया गया था और उपयुक्त मामलों में अपराधियों को व्यक्तिगत दण्ड दिये गये थे । कुछ मामलों में अपराधियों पर मुकद्दमे भी चलाये गये थे ।

(ग) ४ व्यक्तियों पर चोरी छुपे सोना लाने ले जाने के मामलों में मुकद्दमा चलाया गया । ऐसे व्यक्तियों से कुल २४१८ तोले सोना पकड़ा गया जिसका मूल्य ३.०९ लाख रुपये था ।

जबलपुर में प्रतिरक्षा कर्मचारियों का निष्कासन

†८६०. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जबलपुर में कुछ प्रतिरक्षा कर्मचारियों को बिना किसी वैकल्पिक आवास दिये रंझी (जबलपुर) से बलपूर्वक निकाल दिया गया था;

(ख) क्या तीन कर्मचारियों ने मई, १९६० में भूख-हड़ताल की थी;

(ग) क्या इस मामले के बारे में मध्य प्रदेश की सरकार से कहा गया; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) से (घ). विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ प्रतिरक्षा कर्मचारियों को कुछ मकानों से जो उनके पास किराये पर थे, निकाल दिया । ये मकान कुछ व्यक्तियों द्वारा रांझी गांव (जबलपुर) में, वहां की सरकार की भूमि पर, अवैध रूप से बनाये गये थे । क्योंकि राज्य सरकार को अपने लिये भमि की आवश्यकता थी, उन मकानों के स्वामियों को, उन से बकाया किराया (जो नाममात्र था) देने के

†मूल अंग्रेजी में

पश्चात, एक साथ लगने वाले गांव रिछाई में एक समीपवर्ती वैकल्पिक स्थान पर चले जाने का अवसर दिया गया। यह बात नहीं मानी गई और निष्कासन करना पड़ा।

(ख) रांझी के कुछ व्यक्तियों ने, जिन में से तीन प्रतिरक्षा कर्मचारी थे, निष्कासन के विरोध में भूख-हड़ताल कर दी। तथापि, उन्होंने बिना शर्त भूख-हड़ताल कुछ दिनों में तोड़ दी और जिला न्यायाधीश से क्षमा मांग ली।

(ग) तथा (घ). यह मामला मुख्यतया मध्य प्रदेश की सरकार से सम्बन्धित है, परन्तु क्योंकि कई प्रतिरक्षा कर्मचारी इस में अन्तर्ग्रस्त थे, राज्य सरकार के मुख्य मंत्री से उनको वकल्पिक स्थान देने की प्रार्थना की गई। उन्होंने कहा कि एक समीपवर्ती क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों को अब भी स्थान दिये जा सकते हैं यदि वे बकाया किराया देने और इस समय अवैध रूप से कब्जे में लिये हुए क्षेत्र को खाली करने को तैयार हैं। कर्मचारियों को राज्य सरकार की इस पेशकश को मानने की सलाह दी गई है।

सान्ता क्रुज में चोरी से लाया गया सोना

†८६१. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सान्ता क्रुज हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने ३० मई, १९६० को १ लाख रुपये के मूल्य का सोना पकड़ा था;

(ख) क्या कोई विदेशी राष्ट्रजन गिरफ्तार किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) से (ग). जी, हां। ३० मई, १९६० को एक सीरियाई राष्ट्रजन श्री मुहम्मद सलीम-अल-वातार, बेरुत से सान्ता क्रुज हवाई अड्डे पर पहुंचा। उसकी तलाशी लेने पर लगभग १०२० तोले सोना, जिसका मूल्य १,३२,६०० रुपये था, विशेष रूप से बनाई हुई और उसके पहने हुई जैकेट में छिपाया हुआ पकड़ा गया। तुरन्त सोना जब्त कर लिया गया और उस पर १००० रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना किया गया। उसके विरुद्ध मुकद्दमा दर्ज कर दिया गया है।

आंध्र प्रदेश में तांबा

†८६२. **श्री रामी रेड्डी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में तांबे के निक्षेपों का भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण से क्या परिणाम निकला है; और

(ग) क्या खोजने के लिये कोई कदम उठाया गया है या कार्रवाई आरम्भ करने का विचार है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी, हां।

(ख) **गानी कालावा क्षेत्र :** गानी कालावा क्षेत्र में, कुरनूल जिला में आध फुट से छः फुट गहरी तांबे की खाई और ०.०३ प्रतिशत तांबे से २.७४ प्रतिशत तक तांबा १०० से २३० फुट गहराई के बीच पाया गया है। उन खाइयों की मात्रा निर्धारित करने के लिये अग्रेतर कार्य चल रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अग्निमुण्डाला : अग्निमुण्डाला के पुराने काम व्यापक पाये गये हैं। क्वार्टजाइट और श्चिस्ट्स में हरे धब्बे और कुछ स्थानों पर संयुक्त मैदानों में मैलेचाइट और एज्योराइट के एन्क्लेव स्टेशनंज वहां तांबा अयस्क होने के न्यूनाधिक प्रमाण हैं। बिजली और मैगनेट के उपायों को उपयोग करके भू-भौतिकीय जांच इस क्षेत्र में १९५३-५४ और १९५५-५६ में की गई थी परन्तु कोई विशेष भू-भौतिकीय संकेत नहीं मिले।

गारिमणिपेंटा : गारिमणिपेंटा निक्षेपों में अधिक तांबा दिखाई नहीं देता, तथापि क्षेत्र का अन्तिम रूप में त्याग करने से पूर्व उनका विस्तारपूर्वक परीक्षण किया जा रहा है।

मैला राय—पैलम्बैलू क्षेत्र : बहुत से पुराने काम, संभवत: तांबा मिश्रित धातुओं के लिये, कोठामुडियम कोयला खानों के उत्तर से १४ मील पर पैलम्बैलू गांव और मैलाराय गांवों के समीप पहाड़ियों पर पाये गये हैं। क्वार्टज़ाइट में जोकि गड्ढों के ढलानों और चारों ओर पर मैलेचाइट और शीशे कुछ मात्रा में पाये जाते हैं तथा कुछ स्थानों में ये मैलेचाइट संयुक्त मैदानों में और दरार में पाये जाते हैं और ये इस बात के प्रमाण हैं कि तांबा अयस्क मिलता है। विद्युत् और चुम्बक के आधार पर किये गये विस्तृत भू-भौतिकीय जांच १९५४-५५ के दौरान में पुराने काम करने के स्थानों के निकट चार मील के क्षेत्र में की गई थी। मैलाराम क्षेत्र में भू-भौतिकीय अंशों के कोई विशिष्ट प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन जलामबैलू क्षेत्र में दो स्थानों पर इनका आभास मिला और उचित समय पर इनके बारे में खुदाई के द्वारा जांच की जायेगी।

(ग) गनी क्षेत्र में अगस्त १९५९ में खुदाई का काम शुरू किया गया था जो अब प्रगति पर है। अग्निमुण्डाला क्षेत्र में, जहां कि जांच का काम अब चल रहा है, यदि आवश्यकता हुई तो वहां भी खुदाई की जायेगी। मैलाराम, मलम्बैलू क्षेत्रों में इस चालू वर्ष में काम करने का विचार है। भविष्य का कार्यक्रम तो आजकल जो जांच हो रही है उस पर अथवा भविष्य में की जाने वाली जांच पर निर्भर है।

एम० ई० एस०, कानपुर

†८६३. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री जगदीश अवस्थी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर में एम० ई० एस० के प्राधिकारियों ने ४ लाख रुपये के दो ठेके 'एफ' श्रेणी के एक ठेकेदार को दे दिये थे, जो केवल ४०,००० रुपये तक का ठेका ले सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस व्यत्यय का क्या कारण है।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, हां। दो अवधि ठेके, जो प्रत्येक २ लाख रुपये का था, १९५७-५८ में एक 'एफ' श्रेणी के ठेकेदार को दिये गये थे। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार अवधि ठेके (जो छोटे कामों के निर्माण और मरम्मतों के लिये साधारणतया एक साल की विशिष्ट अवधि के लिये किये जाते हैं। अनुमोदित ठेकेदारों के साथ किये जा सकते हैं चाहे उनकी श्रेणी कोई भी हो और ठेके की लागत कितनी हो;

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना

†८६४. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ और अखिल भारतीय सेवाओं जैसे भारतीय सूचना सेवा की स्थापना करना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप और ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). कोई अखिल भारतीय सूचना सेवा नहीं है । संभवत: निर्देश केन्द्रीय सूचना सेवा की ओर है जो सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के अधीन हैं । सरकार ने दो नई केन्द्रीय सेवाएं, अर्थात् भारतीय अर्थशास्त्र सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा स्थापित करने का फैसला किया है । इन दो सेवाओं की स्थापना के बारे में अब तक की गई प्रगति ३ अगस्त, १९६० के लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या १२३ के उत्तर में दर्शाई गई है ।

विदेशों को भेजे गये शिष्ट मंडल

†८६५. **श्री पहाड़िया :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मोहम्मद इमाम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों ने १९५९ में कितने शिष्टमण्डल बाहर भेजे थे;

(ख) क्या इन शिष्टमण्डलों के सदस्य सभी सरकारी कर्मचारी थे;

(ग) इन पर कितना व्यय किया गया; और

(घ) इन में से प्रत्येक को क्या कार्य सौंपा गया था ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) से (घ). अपेक्षित सूचना विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से एकत्रित की जा रही है और तैयार होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आदिम जाति क्षेत्रों के लिये शिल्पिक संस्थाएं (टेक्निकल इंस्टीट्यूट)

†८६६. **श्री रा० चं० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिम जाति लोगों के लिये पांच में से चार शिल्पिक संस्थाओं (टेक्निकल इंस्टीट्यूट) का निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो निर्णय में विलम्ब का क्या कारण है ; और

(ग) क्या इन संस्थाओं ने कार्य आरम्भ कर दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) तथा (ख) दूसरी योजना अवधि में अनुमोदित छः संस्थाओं में से, एक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। सम्बद्ध राज्य सरकारों के प्रतिवेदन के अनुसार, विलम्ब मुख्यतया शिल्पिकों की कमी और राज्यों के लोक निर्माण विभागों पर कार्य के पड़े भार के कारण हुआ है।

(ग) छः में से पांच ने कार्य आरम्भ कर दिया है। इस महीने छठी संस्था की कार्य आरंभ करने की संभावना है।

पंजाब में सामाजिक तथा नैतिक स्वास्थ्य-रक्षा तथा बाद की देखभाल का कार्यक्रम

†८६७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९-६० और १९६०-६१ में अब तक पंजाब राज्य को केन्द्र की ओर से सामाजिक तथा नैतिक स्वास्थ्य रक्षा और बाद की देखभाल के कार्यक्रम के लिये कोई सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो ये किन स्थानों पर स्थापित है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १९६०-६१—४२,००० रुपये।

१९६०-६१—२.४ लाख रुपये की राशि पंजाब में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये १९६०-६१में आवंटित की गई है। यह राशि मार्गोपाय ऋणों के रूप में मासिक किश्तोंमें दी जा रही है और वित्तीय वर्ष के अन्त में जारी होने वाली भुगतान मंजूरियों में समायोजित कर दी जाये गी।

(ख) अमृतसर, फरीदकोट, करनाल, जालंधर और सोनीपत।

पंजाब में सांस्कृतिक संगठनों को अनुदान

†८६८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धात और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में अब तक पंजाब राज्य में सांस्कृतिक कार्रवाइयों के विकास के लिये किन संगठनों को अनुदान दिया गया था ; और

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक को कितनी राशि मंजूर की गई ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) तथा (ख)

संस्था का नाम	राशि
हिन्द स्वीपर सेवक समाज (पंजाब) गुड़गांव	२०० रुपये

(इस में पंजाब के सांस्कृतिक संगठनों को तीन राष्ट्रीय अकादमियों द्वारा दिये गये अनुदान और १९६०-६१ में राज्य की राजधानी में एक नाट्यशाला के निर्माण के लिये पंजाब सरकार को दिया गया ६२,५०० रुपये का अनुदान सम्मिलित नहीं है।)

---

†मूल अंग्रेजी में

लोहा और इस्पात का आयात

†८६९. **श्रीमती रेणुका राय :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून १९६० तक इस्पात का कितना आयात हुआ है ;

(ख) पिछले वर्ष की इसी अवधि में कितना आयात हुआ था ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र में लोहा और इस्पात के उत्पादन में वृद्धि के कारण लोहा और इस्पात के आयात में कितनी कमी हुई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) लगभग ४,४३,००० टन ।

(ख) ४,७४,७१४ टन ।

(ग) सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में छड़ों के अधिक उत्पादन के कारण, सिलाखों, सरियों और हल्की संरचना जैसे कच्चे देशी माल की उपलब्धि में वृद्धि के कारण, १९६० में छड़ों और इन मालों का आयात तदनुसार घट गया या बन्द हो गया । दूसरी ओर, प्लेटों, चादरों और तार जैसे कम मिलने वाले सामान का पहले की अपेक्षा पड़े पैमाने पर आयात किया गया ।

उत्तरी सीमा की रक्षा

†८७०. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के उत्तरी सीमावर्ती जिलों में विदेशियों के अवैध प्रवेश को रोकने के लिये कोई उपयुक्त पूर्वोपाय किये गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** सरकार ने भारत के उत्तरी सीमा जिलों में विदेशियों के अतिक्रमण को रोकने के लिये सब संभव कार्रवाई की है । सीमा की लंबाई और इस के मानचित्र के कारण किसी किसी स्थान पर अतिक्रमण की संभाव्यता को रोकना संभव नहीं है ।

लवडेल, मद्रास में युवक नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर

८७१. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उदकमौदलम (मद्रास) के पास लवडेल में २० जून, १९६० से युवक नेता प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था ;

(ख) उस में कितने प्रशिक्षार्थी थे और वे किन-किन जगहों से उस शिविर में शामिल होने के लिये आये थे ;

(ग) शिविर के संगठन पर कुल कितनी रकम खर्च की गई ; और

(घ) वहां पर जिन नवयुवकों को नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया गया उन की सेवायें किस प्रकार काम में लाई जा रही हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३३**]

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) ७,१७७ रुपये ।

(घ) आशा है कि जिन शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है वे अपनी-अपनी संस्थाओं में युवक कल्याण सम्बन्धी क्रियाकलापों में वृद्धि करेंगे ।

विवरण

क्रम संख्या	नाम	विश्वविद्यालय	स्थान
१	प्रो० आर० डी० बसावडा	गुजरात	अहमदाबाद
२	डा० प्रियवाला शाह	”	अहमदाबाद
३	प्रो० वासुदेव पी० मेहता	”	अहमदाबाद
४	श्रीमती आर० सीतालक्ष्मी	आन्ध्र	गुनटूर
५	श्री के० राघवेन्द्र राव	”	एलरु
६	श्री के० एस० रामकृष्ण राव	”	विजयनगरम्
७	कुमारी एस० जूलियट	केरल	एलेप्पी
८	श्री एन० नारायण पिलाई	”	एलेप्पी
९	कुमारी ओ० सी० लीलम्मा	”	गुरुवायूर
१०	प्रो० गुलाम अहमद	मराठवाडा	जलना
११	श्री के० के० सिंह	गोरखपुर	गोरखपुर
१२	श्री एस० एन० मिश्र	”	”
१३	श्री आर० पूनुराज	मद्रास	पोल्लाची
१४	प्रो० के० एस० गोपाल	”	पांडीचेरी
१५	श्री एस० नूर मुहम्मद	”	तिरुची
१६	प्रो० वसन्त वापट	बम्बई	बम्बई
१७	कुमारी एन० के० पण्डित	”	”
१८	श्रीमती वी० डी० खडके	”	”
१९	प्रो० सुबोध घोष	कलकत्ता	कलकत्ता
२०	प्रो० आर० के० मित्रा	”	”
२१	प्रो० कृष्ण दत्त	”	”
२२	प्रो० जे० पी० दुबे	विक्रम	इन्दौर
२३	कुमारी भारती शर्मा	”	”
२४	प्रो० एच० पी० वर्मा	जबलपुर	जबलपुर
२५	श्रीमती आशा देशपाण्डे	”	”
२६	कुमारी वी० भट्टाचार्य	”	”
२७	श्री एम० डी० पध्ये	मराठवाडा	नांदेड़

तिब्बती भाषाओं का अध्ययन

†८७२. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तिब्बती भाषाओं का अध्ययन विदेशी भाषाओं के अध्ययन के लिये छात्र-वृत्तियां देने की सरकारी योजना में सम्मिलित है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** जी, नहीं ।

छोटे पैमान के उद्योगों के विकास के लिए अमरीकी ऋण

†८७३. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री कालिका सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे उद्योगों के निकाय के लिये भारत को अमरीकी विकास ऋण निधि ने ऋण मंजूर किया है ;

(ख) ऋण की राशि कितनी है ; और

(ग) उस ऋण का उपयोग किस प्रकार किया जायगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) जी, नहीं । उन्होंने ऐसे करने का इरादा प्रकट किया है ।

(ख) तथा (ग). अभी ब्यौरा तय करना है ।

जीवन बीमा निगम द्वारा सम्पत्ति का क्रय

†८७४. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **वित्त** मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २७५७ के उत्तर के संबंध में जीवन बीमा निगम द्वारा नई दिल्ली में 'आनन्द बाजार पत्रिका (प्राइवेट) लि०' की सम्पत्तियां खरीदने के बारे में पूछा गया ब्यौरा देने की कृपा करेंगे ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** 'आनन्द बाजार पत्रिका (प्राइवेट) लि०' का प्रस्ताव था कि जीवन बीमा निगम कुतुब रोड, नई दिल्ली में उनकी सम्पत्ति खरीदने पर विचार करले। निगम ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया ।

यूनेस्को की मानव शास्त्र संबंधी छात्रवृत्तियां और अधिछात्रवृत्तियां

†८७५. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री र० चं० माझी :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानवशास्त्र संबंधी यूनेस्को की छात्रवत्तियों और अधिछात्र वृत्तियों की योजना के अन्तर्गत अब तक कितने अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है ;

(ख) १९५८–५९ और १९५९–६० में कितने अभ्यर्थी भेजे गये थे ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या वे सब वापिस आ गये हैं ; और

(घ) क्या उनको नौकरी दे दी गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ६८ ।

(ख) १९५८–५९ १४

१९५९–६० १६

(ग) जी, हां ।

(घ) छात्रवृत्तियों और अधिछात्रवृत्तियों के लिये युनेस्को की शर्त हैं कि अभ्यर्थी काम में लगे हुए हों और यथोचित रूप से पोषित हों । नियोजक प्राधिकारी की पहली गारन्टी देनी पड़ती है कि वह विदेश से लौटने पर अभ्यर्थी को काम पर लगाएगी । इसलिये यह निश्चित है कि ये सब अभ्यर्थी अच्छी तरह काम पर लगे हुए होने चाहियें ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

†८७६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० चं० माझी :
श्री नैक राम नेगी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम शिल्पिकों के प्रशिक्षण के लिये दस स्कूल स्थापित करेगा ;

(ख) इन स्कूलों को चलाने में प्रति वर्ष कितना अनुमानित व्यय होगा ; और

(ग) क्या सारा खर्च सरकार बर्दाश्त करेगी और यदि नहीं तो व्यय कैसे बर्दाश्त किया जाएगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) यह निगम करगाली, गिरिडीह, कुरासिया और तलचेक में १९५६ से कनिष्ठ शिल्पिक व्यक्तियों के लिये चार स्कूल चला रहा है । उन्होंने हाल में दूसरा स्कूल भूककुंड में खोला है । वर्तमान पांच स्कूल, जिनमें प्रशिक्षणार्थियों के स्थान हाल में दुगने हो गये है, निगम की आगामी योजना में कम से कम पहले तीन वर्षों की आवश्यकता के लिये पर्याप्त होंगे । इसीलिये निगम इस समय अपने स्कूलों की संख्या बढ़ाना नहीं चाहती । अब से दो वर्षों में स्थिति पर पुनर्विचार किया जाएगा ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, कानपुर

†८७७. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० चं० माझी :
श्री नेक राम नेगी :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेकनालाजी, कानपुर के स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के पहले दल को दाखिल कर लिया गया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विद्यार्थियों का चुनाव किस ढंग से किया गया ;

(ग) कुल कितने विद्यार्थियों ने प्रवेश पाने के लिये आवेदन-पत्र भेजे ; और

(घ) कुल कितने विद्यार्थियों को प्रविष्ट किया गया ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)**: (क) विद्यार्थियों के पहले दल का चुनाव कर लिया गया है और दाखिले हो रहे हैं।

(ख) उम्मीदवारों का चुनाव, इस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिये अर्हतादायक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया गया था।

(ग) ७,७३६।

(घ) जिन १०० विद्यार्थियों का प्रवेश करने का विचार था उनमें से अब तक ७८ विद्यार्थियों ने अपनी फीस अदा की है।

मृत्यु दंड में परिवर्तन

†८७८. **श्री तंगामणि :**
श्री रामी रेड्डी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रपति ने १९६० में मध्य प्रदेश में कुछ डाकुओं को दिये गये मृत्यु दंड में परिवर्तन कर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उन डाकुओं की संख्या कितनी है और उनके क्या नाम हैं ;

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख). जी नहीं। राष्ट्रपति ने तहसीलदार सिंह और श्यामा नाइक दो डाकुओं को, जिन्हें उत्तर प्रदेश में इटावा के अतिरिक्त सैशन जज ने अपराधी ठहराया था, प्राप्त मृत्यु दंड को आजीवन कैद के रूप में परिवर्तित कर दिया है।

कनाट प्लेस में चोरियां

†८७९. **श्री मोहम्मद इलियास :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाट प्लेस, नई दिल्ली में चोरियों की संख्या में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन महीने में कुल कितनी चोरियां हुई ; और

(ग) इन चोरियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). इस प्रकार के अपराधों में उल्लेखनीय रूप से कमी हो रही है। पिछले साढ़े तीन महीनों में ऐसी केवल १८ घटनाओं की सूचना मिली है जब कि पिछले वर्ष इसी अवधि में ३४ घटनायें हुई थीं।

(ग) पुलिस बड़ी सावधानी और सतर्कता से काम ले रही है और बड़े व्यापक रूप से गश्त की जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रसिद्ध व्यक्तियों के घरों का परिरक्षण

†८८०. **श्री मोहम्मद इलियास :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे देश के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों जैसे रवीन्द्र नाथ ठाकुर, राजा राम मोहन राय और अन्य लोगों के घरों के परिरक्षण के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री** (**डा० ह्म० मो० दास**) : प्रत्येक मामले पर उसकी विशेषताओं के आधार पर विचार किया जाता है ?

स्नातकोत्तर डिग्रियों में तीसरी श्रेणी का समाप्त किया जाना

†८८१. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने यह सुझाव दिया है कि एम० ए० और एम० एस० सी० इत्यादि स्नातकोत्तर श्रेणियों की परीक्षाओं में तीसरी श्रेणी समाप्त कर दी जाये ; और

(ख) यदि हां , तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

†**शिक्षा मंत्री** (**डा० का० ला० श्रीमाली**) : (क) सरकार को ऐसा कोई सुझाव नहीं मिला ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिपुरा में कोयले का संभरण

†८८२. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा को कोयले का जितना कोटा दिया गया था, वह अभी तक उठाया नहीं गया ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात खान और ईंधन मंत्री** (**सरदार स्वर्ण सिंह**) : (क) जी हां । त्रिपुरा राज्य को १९५९–६० में कोयले और साफ्ट कोक का जितना कोटा दिया गया था, उसमें से सारा माल नहीं उठाया गया ।

(ख) उसके मुख्य कारण ये थे :—

(१) त्रिपुरा प्रशासन के अधिकृत एजेंटों द्वारा समय पर कार्यक्रम का पेश न किया जाना;

(२) पाकिस्तान के रास्ते माल के यातायात में कठिनाई, क्योंकि रेलवे यातायात पर प्रतिबन्ध लगा था ; और

(३) कोयला सप्लाई करने वाली खानों से पर्याप्त वैगनों की मांग न आना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी-नाविकों द्वारा तस्कर व्यापार

†८८३ **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एस० एस० फ्रांगसांग और हालीदीस के १२ चीनी नाविक जिनके पास से बड़ी भारी मात्रा में सोना पकड़े जाने के पश्चात्, जिसे वह तस्कर-व्यापार के लिये लाये थे, २६ जून, १९६० को कलकत्ता पत्तन के सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा समुद्र-सीमा शुल्क अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किये गये ;

(ख) इन दो जहाजों का, जिनमें ये चीनी नाविक नौकरी करते थे, रजिस्ट्रेशन किन देशों में हुआ है और इन जहाजों का मालिक कौन है ; और

(ग) इन चीनियों के विरुद्ध चलाये गये मुकदमों का अन्तिम परिणाम क्या रहा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) २३ जून १९६० को एस० एस० हांगसांग के नाविकों से ११५४ तोला सोना और एम० वी० हालीदास के नाविकों से १६० तोला सोना पकड़े जाने के परिणाम स्वरूप सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा १२ चीनी नाविक (११ एस० एस० हांगसांग के और १ एम० वी० हालीदीस का) गिरफ्तार किये गये ।

(ख) एस० एस० हांगसांग एक ब्रिटिश मालवाही जहाज है । इसका रजिस्ट्रेशन हांगकांग में हुआ है और यह जहाज इन्डो-चाइना स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड का है । एम० वी० हालीदीस नार्वे का मालवाही जहाज है जिसका रजिस्ट्रेशन ड्रामेन (नार्वे) में हुआ है । इस जहाज की मालिक ब्रुसगार्ड कियोसटरुड एंड कम्पनी, ड्रामेन है ।

(ग) ये मामले न्यायालय के विचाराधीन हैं ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन

†८८४. **श्री जीन चन्द्रन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सरकारी कल्याण स्कूलों और अन्य आदिम जाति स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये मध्याह्न-भोजन के वास्ते १५ न० पै० प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुदान दिये जाते हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों में आदिम जातियों के सभी बच्चों को यह अनुदान नहीं दिये जाते ; और

(ग) सरकार का इस भेदभाव को समाप्त करने और सभी विद्यार्थियों को यह अनुदान दिलाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) कुछ राज्य सरकारें अपने राज्यों की दूसरी पंचवर्षीय योजना के पिछड़ी जातियों के क्षेत्र के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों का मध्याह्न भोजन के लिये अनुदान देती हैं । विभिन्न राज्यों में अनुदान की दर भिन्न है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). इस बात का निर्णय संबंधित सरकार करती है कि इस योजना के अन्तर्गत किन किन बच्चों को लिया जाता है और यदि कोई भेदभाव है तो हो सकता है कि यह केवल बच्चों की आवश्यकता में भिन्नता होने अथवा धन की कमी के कारण हो। इस मामले का संबंध राज्य सरकारों से है।

विकास ऋण निधि

†८८५. **श्री परुलकर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास ऋण निधि से विभिन्न परियोजनाओं के लिये मार्च, १९६० तक कुल कितना धन प्राप्त हुआ है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** :

	करोड़ रु०
स्वीकृत	९२.८
व्यय	४३.५८

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को अनुदान

†८८६. **श्री हाल्दर :**
श्री नागी रेड्डी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये किन संस्थाओं को केन्द्रीय अनुदान दिये गये हैं ; और

(ख) इनमें से प्रत्येक संस्था को कितना अनुदान दिया गया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). इस संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

संगठन का नाम	१९५९-६० में स्वीकृत केन्द्रीय सहायतानुदान की राशि
	रुपये
(एक) अनुसूचित जातियां	
१. हरिजन सेवक संघ	३,१२,०००
२. ईश्वर शरण आश्रम	६२,३००
३. भारत दलित सेवक संघ	७२,४००

†मूल अंग्रेजी में

४--इलाहाबाद विश्वविद्यालय (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र) . . . १,४६,६३०

(दो) अनुसूचित आदिम जातियां

१. भारतीय बाल कल्याण परिषद .	४७,०००
२. टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंस .	१,२१,६००
३. भारतीय लोक कला मंडल	१५,०००
४. भारतीय आदिम जाति सेवक संघ .	३,६८,०००

त्रिपुरा में वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण

†८८७. **श्री मोहम्मद इलियास :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २६६० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद द्वारा स्वीकृत संकल्प पर, जिसमें उन्होंने अपने कर्मचारियों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण करने की मांग की है, विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निश्चय किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). मुख्य आयुक्त द्वारा नियुक्त एक समिति केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये त्रिपुरा प्रशासन के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों के पुनरीक्षण के प्रश्न पर विचार कर रही है। इस समिति की सिफारिशों का उचित ध्यान करते हुये इन कर्मचारियों के वेतन-क्रमों के बारे में अन्तिम निश्चय किया जायेगा। क्षेत्रीय परिषद के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को भी वही लाभ प्राप्त होंगे जो कि प्रशासन के अन्तर्गत वैसे ही पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेंगे।

भारत सेवक समाज

†८८८. **श्री कोडियान :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सेवक समाज को सरकार ने इसके जन्म से लेकर अब तक कुल कितना धन अनुदानों के रूप में दिया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार समाज द्वारा किये गये कार्य का मूल्यांकन करने के लिये एक मूल्यांकन समिति नियुक्त करने का है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) भारत सेवक समाज को अब तक कुल १,३९,१४,७३६ रु० दिया जा चुका है।

(ख) इस समय ऐसा करने का कोई विचार नहीं है।

विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेल

†८८९. **श्री कोडियान :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कितना धन व्यय किया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) राजकुमारी स्पोर्ट्स कोचिंग योजना के अन्तर्गत दक्ष प्रशिक्षकों की सेवायें उपलब्ध करने के अलावा, सरकार ने विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिये निम्नलिखित योजनायें चालू की हैं :—

१. क्रीड़ा-क्षेत्रों की प्राप्ति ।

२. खेलों के सामान की खरीद ।

३. विश्वविद्यालयों/कालेजों के प्रांगण में 'सिंडर मार्गों' तैरने के लिये जलाशयों, जिम्नास्टिक गृह, पैविलियन और स्टेडियम का निर्माण ।

(ख) उक्त (१) और (२) मद के अन्तर्गत योजनाओं के संबंध में विश्वविद्यालयों और कालेजों के लिये कोई अलग रकम निर्धारित नहीं की जाती। किन्तु इन योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों को हाई/हायर सैकेंडरी स्कूलों और उससे आगे की शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देने के लिये १९५९–६० में १०.३३ लाख रु० मंजूर किये गये थे और चालू वित्तीय वर्ष में इस कार्य के लिये २० लाख रुपया दिया जायेगा ।

योजना संख्या (३) के अन्तर्गत १९५९-६० में विश्वविद्यालयों और कालेजों के लिये १९००० रु० स्वीकृत किया गया और १९६०–६१ में अब तक २,४५,००० रु० मंजूर किये जा चुके हैं ।

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संघ

†८९०. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह अनिवार्य है कि प्रशासक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फेडरेशनों/यूनियनों/संस्थाओं के साथ होने वाली बातचीत का रिकार्ड रखें ;

(ख) यदि हां, क्या इन संस्थाओं के साथ होने वाली बातचीत के रिकार्ड की प्रतियां इन संस्थाओं को भेजी जाती हैं ; और

(ग) क्या सभी मंत्रालयों द्वारा इस संबंध में एक सा तरीका अपनाया जाता है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) मंत्रालयों को ऐसी कोई हिदायत नहीं दी गई कि वे ऐसी मुलाकातों का औपचारिक रिकार्ड रखें ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ; और

(ग) जी नहीं । प्रत्येक मंत्रालय अपनी आवश्यकताओं की दृष्टि से जो सब से अच्छा तरीका हो, उसका अनुसरण करता है ।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

†८९१. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक अपनी कोई वार्षिक रिपोर्ट पेश की है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) न्यास ने अब तक १ अगस्त, १९५७ से ३१ जुलाई, १९५८ तक की अवधि की एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है ; और

(ख) रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३४]**

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

†८९२. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास पर उसकी स्थापना से लेकर अब तक कितना व्यय किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : ३० जून, १९६० तक २,५३,६७३ रु० और ६४ न० पै० ।

लद्दाख की सीमा

†८९३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन महीनों में लद्दाख सीमा पर चीनी सैनिकों अथवा पुलिस द्वारा कितने भारतीय पदाधिकारियों अथवा सैनिकों की हत्या की गयी अथवा उन्हें घायल किया गया ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : पिछले तीन महीनों में लद्दाख सीमा पर चीनियों द्वारा हमारी सेना और पुलिस का कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ ।

कांगड़ा और होशियारपुर में भूतपूर्व सैनिक

†८९४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८, १९५८–५९ और १९५९–६० में पंजाब के कांगड़ा और होशियारपुर जिलों के कितने भूतपूर्व सैनिकों को खेती के लिये भूमि बांटी गयी ताकि वे आजीविका उपार्जन कर सकें ; और

(ख) इस अवधि में उन्हें और किस प्रकार की वित्तीय सहायता दी गयी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जानकारी नीचे दी जाती है :—

	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५९–६०
कांगड़ा	कुछ नहीं	कुछ नहीं	१
होशियारपुर	कुछ नहीं	कुछ नहीं	३

(ख) बसने वाले लोगों को जो वित्तीय सहायता दी गयी है वह जलवायु, भूमि की किस्म, जमीन के क्षेत्रफल और बसने वाले की कोटि को ध्यान में रखते हुये ट्रेक्टर, बैलों, उपकरणों, कुओं/नलकूपों, घरों और सांझी इमारतों जैसे पंचायत घर, बीजस्टोर, औषधालय और स्कूल आदि के रूप में दी गयी है ।

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा सेनाओं को चावल और तेल का सम्भरण

†८९५. **श्री झूलन सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रतिरक्षा सेनाओं को प्रतिवर्ष हाथ से कूटे हुये चावल, हाथ से पीसा हुआ गेहूं का आटा और कच्ची घानी का तेल का कितना संभरण किया गया और उसका मूल्य क्या था ; और

(ख) क्या ग्रामोद्योग संगठनों ने कभी सैनिक अधिकारियों से ग्रामोद्योगों द्वारा उत्पादित इन स्वस्थ्यकर खाद्य पदार्थों के संभरण के लिये अनुरोध किया है , और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) कुछ नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

प्रसारण के सम्बन्ध में हेग सम्मेलन

†८९६. **श्री हेम बरुआ :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हेग में अभी हाल ही में हुये एक सम्मेलन में कलाकारों के प्रसारण संबंधी अधिकारों पर चर्चा की गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन के इस संबंध में क्या निष्कर्ष हैं ;

(ग) क्या भारत ने इस सम्मेलन में भाग लिया था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारत ने इस सम्मेलन में कोई विशिष्ट सुझाव पेश किये थे ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी हां ।

(ख) विशेषज्ञ इस सम्मेलन में निजी रूप से शामिल हुये थे । इस सम्मेलन में जो मसौदा तैयार किया गया था, वह अभी तक सदस्य-राज्यों के पास विचारार्थ नहीं आया ।

(ग) संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति संस्था की ओर से इस सम्मेलन की कार्य-वाही में निजी रूप से भाग लेने के लिये दो भारतीय विशेषज्ञों को बुलाया गया था ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

स्मारकों में कृत्रिम प्रकाश

†८९७. **श्री नरसिंहन :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के अधीन किन किन स्मारकों में कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था है ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई प्रयोग आदि किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो किन स्मारकों में ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) अजन्ता गुफाओं, एलोरा गुफाओं, एलीफेंटा गुफाओं, बाघ, बदामी और बृहदेश्वर मन्दिर, तंजोर में प्रकाश की क्या व्यवस्था है ;

(ङ) क्या उपरोक्त स्मारकों में प्रकाश के संबंध में कोई प्रयोग किये गये थे ;

(च) यदि हां, तो किन विशेषज्ञों के निरीक्षण में ;

(छ) क्या यह सच है कि तंजोर के बृहदेश्वर मन्दिर में अब स्थायी रूप से प्रकाश रहता है ; और

(ज) यदि हां, तो क्या वहां पर रोशनी की प्रणाली का ब्योरा देने वाला एक विवरण, जिसमें उस पर आने वाली लागत का भी उल्लेख हो, सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास):** (क) स्मारकों की पूरी सूची प्रस्तुत करना बड़ा कठिन है क्योंकि 'कृत्रिम प्रकाश' (artificial lighting) एक बड़ा अस्पष्ट शब्द है।

(ख) जी हां ।

(ग) अजन्ता गुफाएं ।

(घ) **अजन्ता :** बिजली का उत्पादन दो डीजल सेटों द्वारा किया जाता है और इससे सभी महत्वपूर्ण गुफाओं में, जिनमें चित्र हैं, प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। इन चित्रों को दिखाने के लिये लचकदार हस्त-लैम्पों को इस्तेमाल किया जाता है जिनमें उपयुक्त प्रतिबिम्बक (Reflector) लगे हुये हैं ।

एलोरा गुफाएं, बाघ और बदामी : इन स्थानों पर प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है ।

बृहदेश्वर मंदिर, तंजोर : मन्दिर प्राधिकारियों के बिजली के मुख्य कनेक्शन से प्रकाश की अस्थायी फिटिंग की गयी है । अंधेरे चक्करदार मार्ग में जहां कि चित्र हैं, और ऊपर की मंजिल के कक्ष में भी इसी से रोशनी की जाती है ।

(ङ) जी हां । केवल अजन्ता गुफाओं में ।

(च) १. मैसर्स फिलिप्स, मद्रास, और

२. मिस्टर लारेंस हैरिसन ।

(छ) जी नहीं ।

(ज) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मद्रास में पुरालेख विद्या अधीक्षक

†८९८. **श्री नरसिंहन :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास पुरालेख-विद्या अधीक्षक का कोई कार्यालय था ;

(ख) यदि हां, तो मद्रास में इस कार्यालय का काम कब शुरू हुआ था ;

(ग) मद्रास में यह कार्यालय कब बन्द हुआ ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या मद्रास सरकार और भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के बीच इस विषय पर पत्र-व्यवहार हुआ था ; और

(ङ) क्या इस कार्यालय को पुनः मद्रास ले जाने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास):** (क) जी हां ।

(ख) १९१६ में ।

(ग) १९२०–२१ ।

(घ) जी हां ।

(ङ) जी नहीं ।

पुरातत्व विभाग

†८९९. **श्री नरसिंहन :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में पुरातत्व विभाग में कितने पदाधिकारियों की सेवा की अवधि में वृद्धि की गयी ; और

(ख) पुरातत्व विभाग में पदाधिकारियों की सेवा की अवधि में वृद्धि किस आधार पर की गयी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क)

१९५८–५९	शून्य
१९५९–६०	दो
१९६०–६१	दो

(ख) विभिन्न पुरातत्वीय शाखाओं में अधिक अनुभव और विशेष ज्ञान । पुरातत्वीय कार्यों को शीघ्र बढ़ावा देने के विचार से उनका रखा जाना आवश्यक समझा गया है । वर्ष १९६१ में पुरातत्व विभाग के शताब्दी समारोह तक उनकी सेवाओं की आवश्यकता है ।

दिल्ली में सरकारी बस्तियों में मनोरंजन केन्द्र

†९००. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी बस्तियों में मनोरंजन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में ऐसे कितने केन्द्र खोले जायेंगे ; और

(ग) उन पर कुल कितनी धनराशि व्यय होगी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) जी, हां ।

(ख) नौ ।

(ग) २,६४,९६० रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में सरकारी स्कूलों में क्लर्कों और अध्यापकों के वेतन

†९०१. **श्री बै० च० मलिक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी स्कूलों में नियोजित क्लर्कों/प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के वेतन-क्रमों को, जोकि भारत सरकार ने १७ जून, १९५४ को पुनरीक्षित किये थे, भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनको शीघ्र ही लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) भारत सरकार द्वारा १७–६–१९५४ को जारी किये गये आदेश में क्लर्कों और प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के लिये कोई पुनरीक्षित वेतन-क्रम मंजूर नहीं किये गये थे ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

भारत में पाकिस्तानी छात्र

९०२. **श्रीमती मिनिमाता** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में अभी कितने पाकिस्तानी छात्र पढ़ रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : २१–३–५८ तक प्राप्त सूचना के अनुसार ८८३ पाकिस्तानी विद्यार्थी भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्ययन कर रहे थे ।

आणविक अनुसन्धान

९०३. **श्रीमती मिनिमाता** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी कितने भारतीय छात्र विदेशों में आणविक अनुसंधान कर रहे हैं ; और

(ख) किन किन देशों ने भारतीय छात्रों को इस विषय में अनुसंधान के लिये सुविधायें दी हैं ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) भारत सरकार की अपनी छात्रवृत्ति स्कीमों के अधीन चार छात्र विदेशों में एटोमिक अनुसंधान कर रहे हैं । गैर-सरकारी विद्यार्थियों के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला

†९०४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५८–५९ और १९५९–६० में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के नियंत्रणाधीन सब राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के विभिन्न निदेशकों (डायरेक्टर्स) द्वारा पृथक् पृथक् देश में और विदेश में अपने अपने दौरों पर कुल कितना धन खर्च किया गया ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : वर्ष १९५८-५९ और १९५९–६० में निदेशकों के भारत के दौरे पर परिषद् ने क्रमशः ९७,३३२·२९ रुपये और १३६,३८३·७२ रुपये खर्च किये । विदेशों के दौरे पर वर्ष १९५८–५९ में ४५८८·२३ रुपये और १९५९–६० में ३४,५९७·८३ रुपये खर्च किये गये ।

दिल्ली में स्कूल के छात्रों से दान लिया जाना

†९०५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कुछ स्कूल अपने विद्यार्थियों को स्कूल में प्रवेश के समय, स्कूल छोड़ते समय और अन्य अवसरों पर दान देने के लिये बाध्य करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस को रोकने के लिये क्या पग उठाये जायेंगे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) सहायता-प्राप्त स्कूलों के प्रबंधकों को अनधिकृत रूप से धन वसूल करने को तत्काल रोकने के लिये चेतावनी दे दी गयी है यदि वे चेतावनी के दिये जाने के बाद भी ऐसा करते हैं, तो उनको दी जाने वाली सरकारी अनुदान की राशि वापस ले ली जायेगी ।

हांडीधुआ कोयला खान

†९०६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हांडीधुआ कोयला खान के नये मालिकों ने मई १९५९ से, जब कि यह पुराने प्रबंधकों से ली गयी थी, अब तक प्रति माह कितना कोयला निकाला ; और

(ख) उड़ीसा में तलचर में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अधीन जो अन्य खाने हैं, उनसे कोयला निकाले जाने के बारे में इसकी क्या तुलना है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). हांडीधुआ कोयला खान में से अक्तूबर, १९५९ से, जब से इस में नये मालिक के अधीन उत्पादन आरम्भ हुआ, निकाले गये कोयले की मात्रा की राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

---

†मूल अंग्रेजी में

की तलचर और धौलबेड़ा कोयला खानों में से निकाले गये कोयले की तुलना निम्न प्रकार है :

	हांडीधुआ कोयला खान (टनों में)	तलचर कोयला खान (टनों में)	धौलबेड़ा कोयला खान (टनों में)
१९५९			
अक्तूबर .	८६३	१३,१०५	९,३८७
नवम्बर .	२,४७१	१४,००४	१०,०३७
दिसम्बर .	२,८५१	१३,८४४	१०,१८९
१९६०			
जनवरी	४,५६९	११,२६८	९,६०१
फरवरी	३,९८४	१२,४००	१०,०१०
मार्च	५,००८	१२,७४०	१०,६८१
अप्रैल	७,७०६	१३,००४	११,००४
मई	९,०७७	१४,००५	१२,०४२
जून . . .	६,३९५	१२,२९४	१२,०४५

टैगोर की कृतियों का उड़िया भाषा में अनुवाद

†**९०७. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टैगोर जन्म-शताब्दी समारोह के अवसर पर रवीन्द्र नाथ टैगोर की कृतियों का उड़िया भाषा में अनुवाद करने के लिये कुल कितना रुपया मंजूर किया गया है ;

(ख) इस अवसर पर उडिया भाषा में अनुवाद के लिये टैगोर की कौन कौन सी कृतियां चुनी गयी हैं ; और

(ग) साहित्य अकादमी ने जिन अनुवादकों को यह कार्य दिया है, उनके क्या नाम हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) साहित्य अकादमी द्वारा इस कार्य के लिये अभी कोई विशिष्ट धनराशि नहीं रखी गयी है । व्यय मुख्यतः अनुवादकों को मानदेय अथवा पारिश्रमिक के भुगतान, कागज, छपाई और जिल्द-साजी पर होगा ।

(ख) अकादमी टैगोर की निम्नलिखित रचनाओं का उड़िया भाषा में अनुवाद करा रही है:

(१) एकोत्तरासती	(१०१ कवितायें)
(२) एकविंशति	(२१ लघु कथायें)
(३) तीन उपन्यास .	गोरा, चोखर बाली और जोगाजोग ।
(४) सात नाटक .	विसर्जन, राजा, चित्रांगद, डाकघर, मुक्तधारा, चीरकुमार सभा और रक्त करबी ।

†मूल अंग्रेजी में

(५) चुने हुए निबन्धों के दो खंड जिनमें दार्शनिक, धार्मिक, अर्थ शास्त्र सम्बन्धी, राजनीतिक, सामाजिक तथा साहित्यक निबन्ध, मात्राभाषणों, डायरियों और पत्रों से उद्धरण शामिल हैं ।

(ग) इन पुस्तकों के लिये अनुवादकों के नाम नीचे पुस्तक के नाम के सामने दिये हुए हैं :

एकोत्तरशती	श्री शचि रावत राय
एकविंशति	श्री के० सी० पाणिग्रही
गोरा	श्री सुनन्दा कार
चोखर बाली	श्री चित्तरंजन दास
जोगा जोग	श्री गोपी नाथ महंती
विसर्जन	श्री राधा मोहन गदनायक
चित्रांगद	श्री प्रभात कुमार मुखर्जी
राजा	श्री बसन्त कुमार सन्तरी
डाक घर	श्री सुनन्दा कार
मुक्त धारा	श्री वैकुण्ठनाथ पटनायक
चीरकुमार सभा	श्री जतिन दास
रक्त करबी	श्री शचि रावत राय
निबन्ध खंड १	श्री जी० के० बप्ता
निबन्ध खंड २	श्री ओ० एम० बेहरा

सभा पटल पर रखे गये पत्र

बीमा अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं बीमा अधिनियम, १९३८ की धारा २ग की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) दिनांक १८ जून, १९६० का एस० ओ० १५०३ ।

(२) दिनांक १८ जून, १९६० का एस० ओ० १५०४ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए, संख्या एल टी— २२९१/६०]

छूट की घोषणायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं विदेशियों का पंजीयन अधिनियम, १९३९ की धारा ६ के परन्तुक के अन्तर्गत निम्नलियखत छूट की घोषणाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) दिनांक ६ जुलाई, १९६० की संख्या १/१५/६० एफ० आई० (३ घोषणायें) ।

(२) दिनांक २९ जुलाई, १९६० की संख्या १/१९/६० एफ० आई० (१ घोषणा) ।

[पुस्तकालय में रखी गईं । देखिए संख्या एल टी—२२९२/६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव :** मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह संदेश मिला है निम्नलिखित विधेयकों को राज्य सभा ने अपनी बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है :

१. त्रिपुरा भू-राजस्व तथा भूमि सुधार विधेयक, १९६०, जिसे लोक सभा ने ३ अगस्त, १९६० को पारित किया था ।

२. बैंकिंग सेवाय (संशोधन) विधेयक, १९६०, जिसे लोक सभा ने ११ अगस्त, १९६० को पारित किया था ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में आंत्रशोथ (गैस्ट्रो एन्टेराइटिस) महामारी

†**श्री रघुनाथ सिंह** (बाराबंकी) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

'दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में आंत्रशोथ (गैस्ट्रो एन्टेराइटिस) महामारी ।'

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य अधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार १ जनवरी से ६ अगस्त, १९६० तक ४८२५ लोगों को आंत्रशोथ होने, और इन में से १०४० रोगियों के मरने की खबर मिली है । एक तार के उत्तर में हमें बताया गया है कि यद्यपि अल्मोड़ा तथा बुलन्दशहर जिले में हैजा किसी भी व्यक्ति को नहीं हुआ, परन्तु ६ अगस्त, १९६० को समाप्त होने वाले सप्ताह में बुलन्दशहर जिले में ११७ व्यक्तियों को आंत्रशोथ हुआ जिस में से ६४ व्यक्ति मर गये । १९५८ में २४,०५७ व्यक्तियों को यह रोग हुआ जिन में से ९,१६९ व्यक्ति मर गये । १९५९ में ४७७४ व्यक्तियों को यह रोग हुआ जिन में से ७२३ व्यक्ति मर गये ।

संक्रामक रोगों की रोकथाम करने की जिम्मेदारी साधारणतः राज्य सरकारों पर होती है और वे सभी आवश्यक कार्यवाही करती हैं । जब भी कभी कोई राज्य सरकार इस सम्बन्ध में हम से सहायता मांगती है, हम हमेशा उसकी सहायता करते हैं । मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि जब भी कभी सहायता की मांग की गई, केन्द्रीय सरकार प्राविधिक परामर्श देने तथा औषधि का संभरण करने को तैयार है । सामान्यतः इस प्रकार की मांग की जाती है जब राज्य सरकार यह समझती है कि वह स्वयं स्थिति संभालने के लिये समर्थ नहीं रही है ।

दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में १ जनवरी से १६ अगस्त, १९६० तक कुल १,०८४ व्यक्तियों को आंत्रशोथ होने की खबर मिली है जिन में से ५१ व्यक्ति मरे हैं । १९५८ तथा १९५९ में इसी अवधि में क्रमशः ४८० तथा २१० व्यक्ति रोग ग्रस्त हुए थे जिन में से क्रमशः ३२ और ९ मरे थे ।

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री करमरकर]

स्वास्थ्य सेवाओं के महा निदेशालय के अधिकारियों ने स्थानीय स्वास्थ्य कर्मचारियों से सम्पर्क बनाया हुआ है । तीन सप्ताह हुए केन्द्रीय अनुसंधान संस्था, कसौली से एक विशेष क्षेत्रीय जांच यूनिट बुलाया गया था । यह यूनिट कुछ मोहल्लों में हुए हैजे के छटपुट केसों की जांच के लिये बुलाया गया था । स्वास्थ्य सेवाओं के महा-निदेशक के सभापतित्व में एक बैठक भी की गई थी जिसने वर्तमान स्थिति पर और इस रोग की रोकथाम के लिए की जाने वाली कार्यवाही पर विचार किया । हैजे की रोकथाम के लिए की जाने वाली सामान्य कार्यवाही, जैसे सफाई व्यवस्था में सुधार गन्दगी का तुरन्त दूर ले जाया जाना, मक्खियों को मारना, पीने के पानी को रोग के कीटाणुओं से साफ रखना, खाने पीने की गन्दी चीजों को नष्ट करना और हैजे के टीका लगाना, आदि कार्यवाही तेज कर दी गई है । इस वर्ष अब तक लगभग ४,५०,००० व्यक्तियों के हैजे के टीके लगाये जा चुके हैं । सभी अस्पतालों, डिस्पैन्सरियों, एम० सी० एच० केन्द्रों तथा अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना की डिस्पैंसरियों में हैजे के टीके लगाने की व्यवस्था की गई है ।

मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि इस रोग की वृद्धि को रोकने के बारे में सभी संभावित कार्य किए जायेंगे ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : रोग के आंकड़े तो हमें बताये गये हैं परन्तु यह नहीं बताया गया कि रोग होने के कारण क्या थे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं कुछ ऐसी आदत देख रहा हूं कि माननीय सदस्य अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर वक्तव्य के बाद भी प्रश्न पूछने लगते हैं । माननीय मंत्री विस्तार से बता चुके हैं कि रोग की रोक-थाम की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है । परन्तु सहायता मांगने पर केन्द्र सरकार अवश्य सहायता कर सकती है । यदि माननीय सदस्य इससे अधिक कुछ और जानना चाहते हैं तो प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं । मैं स्पष्टतः माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि कुछ विशेष मामलों के अलावा मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर प्रश्न पूछे जाने की अनुमति नहीं दूंगा ।

सदस्य के निरोध के बारे में वक्तव्य

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : श्रीमान्, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्री प्रभु नारायण सिंह के निरोध के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति न देते हुए आपने कहा था कि मैं राज्य सरकार से तथ्यों का पता लगाऊं और उनको सभा के समक्ष रखूं । मैं ऐसा ही कर रहा हूं ।

कानून का उल्लंघन करने के एक संगठित आन्दोलन के सिलसिले में श्री प्रभु नारायण सिंह ने वाराणसी जिले में कई स्थानों पर सार्वजनिक और असार्वजनिक सभायें कीं, जिन में उन्होंने लोगों को कानून का उल्लंघन करने के आन्दोलन का समर्थन करने के लिये, स्वयंसेवकों के रूप में भरती होने और चन्दा देने के लिये उकसाया । उन्होंने नौगढ़

---

†मूल अंग्रेजी में

तथा चकिया के जंगलों में जनता को पेड़ काटने के लिए और भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए उकसाया । उन्होंने जनता को तहसील आदि कार्यालयों पर धरना देने, नदरों को तोड़ने, भोखा बांध क्षेत्र की परती भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने, रेलगाड़ियों की जंजीर खींचने और इसी प्रकार के अन्य गैर-कानूनी काम करने के लिये भी भड़काया । इसीलिए २ मई, १९६० को निवारक निरोध अधिनियम के अधीन उनको नजर बन्द कर लिया गया। ऐसा करने के आदेश वाराणसी के जिलाधीश ने २९ अप्रैल, १९६० को जारी किये थे जिससे श्री प्रभु नारायण सिंह शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने में बाधक न हों । निवारक निरोध अधिनियम की धारा ९ के अनुसार श्री प्रभु नारायण सिंह का मामला एक सलाहकार बोर्ड को सौंप दिया गया जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री भार्गव और श्री निगम तथा लखनऊ के जिला न्यायाधीश श्री शर्मा थे । श्री प्रभु नारायण सिंह का अभ्यावेदन सलाहकार बोर्ड को भेज दिया गया था । ४ जुलाई को वह स्वयं बोर्ड के सामने उपस्थित हुए और बोर्ड ने उनकी जांच की जिसमें उन्होंने अपनी बातें बताईं । सभी तथ्यों पर विचार करके बोर्ड ने यह फैसला दिया कि उनको नजरबन्द करने के लिये पर्याप्त कारण हैं । इसीलिए निवारक निरोध अधिनियम की धारा ११ की उप-धारा (२) के आधीन श्री प्रभु नारायण सिंह अग्रेतर आदेशों के जारी होने तक नजर बन्द रहेंगे परन्तु नजरबन्दी की तारीख से १२ महीनों की अवधि से अधिक के लिये नहीं ।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात और बताना चाहता हूं । यह कहा गया कि निवारक निरोध अधिनियम इस वर्ष ३१ दिसम्बर को समाप्त हो जायेगा, इसलिए इस अवधि से अधिक की अवधि तक नजरबन्द रखने के आदेश नहीं दिए जा सकते । ऐसी बात नहीं है । अधिनियम तो वर्ष के अन्त में समाप्त हो जायेगा लेकिन इसके समाप्त होने से पहले दिए गए आदेशों के अधीन एक वर्ष के लिये सजा दी जा सकती है । अधिनियम की धारा १, उपधारा (३) के द्वारा इस सम्बन्ध में सभी शंकाओं का समाधान हो जाता है । अधिनियम की उपधारा में बताया गया है कि अधिनियम ३१ दिसम्बर, १९६० को समाप्त हो जायेगा परन्तु इस तिथि से पहले दिए गए आदेशों के अधीन कार्यवाही जारी रहेगी । इस प्रकार निवारक निरोध अधिनियम के अधीन उस तिथि से पहले दिए गए आदेश लागू रहेंगे । अधिनियम की समाप्ति के बाद नजरबन्दी के और आदेश नहीं दिए जायेंगे परन्तु जो आदेश दिए जा चुके हैं उनको उनकी समाप्ति तक लागू ही माना जायेगा ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोज़ाबाद) : माननीय मंत्री के वक्तव्य से यह पता नहीं लगता कि श्री प्रभु नारायण सिंह को कितनी अवधि के लिए नजरबन्द किया गया है । कानून के अनुसार ऐसा होना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त धारा १३ की उपधारा (ख) के अनुसार केन्द्रीय सरकार विशेष परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकती है । श्री प्रभु नारायण सिंह की नजरबन्दी विशेष परिस्थितियों में ही हुई है । मैं बता चुका हूं कि श्री प्रभु नारायण सिंह का वही निर्वाचन क्षेत्र है जो राज्य के गृह मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी का है । और ३० अप्रैल को वह दिल्ली में थे परन्तु वाराणसी के जिलाधीश ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश २९ अप्रैल को ही दे दिए थे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करना सोच रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गो० ब० पन्त** : सरकार को पूरा संतोष है कि निरोध नितांत आवश्यक था । १ मई से वहां पर एक आन्दोलन शुरू किया गया है और इस सिलसिले में २००० से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका तथ्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है । स्वयं नजरबन्द व्यक्ति ने भी कुछ हद तक इन बातों को स्वीकार कर लिया है । इसलिए उत्तर प्रदेश के गृह-मंत्री को इस मामले में घसीटना अनुचित और आपत्तिजनक है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या बोर्ड की कार्यवाही की प्रति सभा पटल पर रखी जा सकती है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : जो आदेश श्री प्रभु नारायण सिंह को दिए गए थे मैं उसकी प्रति सभा पटल पर रख सकता था परन्तु उससे उनके कारनामों का कच्चा चिट्ठा खुल जाता । लेकिन मैं ने यही ठीक समझा कि गोपनीय कार्यवाही को गोपनीय ही रहने दूं ।

दक्षिण पूर्व रेलवे पर लाइन टूटने के बारे में वक्तव्य

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : श्रीमान् १५–८–६० को ८.०० बजे दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर––रूपसा सेक्शन पर रूपसा––बस्ता स्टेशनों के बीच स्थित एक पुल (संख्या २३९) का कुछ हिस्सा, पानी के बहुत तेज बहाव के कारण बह गया था । इस के बह जाने से इस सेक्शन पर यातायात एकदम बन्द हो गया । पुल के दो बीच के "स्पैन" नदी में लगभग २०० फुट बह गये और दो खम्भे बिल्कुल टूट गये । शेष बचे हुए एक खम्भे को और खड़गपुर की ओर के नदी के किनारे को भी हानि पहुंची है ।

रिपोर्टों से पता लगता है कि पानी पुल के स्थान पर बाढ़ के अधिकतम स्तर से १० फुट ऊंचा बह रहा था । ऐसा पता लगा है कि पुल से १५ मील दूर मयूरभंज में एक जलाशय के बांध के टूट जाने से इतना अधिक पानी बहा । मुख्य इंजीनियर घटनास्थल पर १६ तारीख की सुबह पहुंच गये थे और उन्होंने मरम्मत आदि का काम आरंभ कर दिया था । आज सबेरे सामान्य प्रबन्धक भी वहां पहुंच गये ।

ऐसा विचार है कि ६० फीट ऊंचे स्लीपरों के दो अस्थाई गर्डर बना कर इस पुल पर आवागमन चालू किया जाये । क्योंकि अभी भी बहुत पानी बह रहा है इसलिए सीधी गाड़ियां २६ तरीख से पहले नहीं चलाई जा सकेंगी ।

३ अप तथा ४ डाउन हावड़ा––मद्रास मेल को रायपुर––विजयनगरम लाइन से होकर चलाया जाना था परन्तु दुर्भाग्यवश १६–८–६० के सबेरे दक्षिण-पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर––झाड़सुगुडा सेक्शन पर गारपोस तथा बामरा स्टेशनों के बीच एक और स्थान पर लाइन टूट जाने से हावड़ा––नागपुर सेक्शन पर भी गाड़ियों का चलना बन्द कर दिया गया । इसीलिए रायपुर हो कर मद्रास जाने वाली गाड़ियां तथा हावड़ा––नागपुर सेक्शन पर चलने वाली गाड़ियां नहीं चलाई जा सकीं । परन्तु इस जगह की मरम्मत १६–८–६० को १८.४० बजे तक पूरी कर दी गई थी और अब नागपुर और मद्रास को गाड़ियां रायपुर होकर आने जाने लगी हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

समिति के लिए निर्वाचन

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भूतपूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग के समय समय पर संशोधित दिनांक ८ अगस्त, १९३५ के संकल्प संख्या एफ० १२२-३/३५-६० के पैराग्राफ ३ (२) के उप खण्ड (घ) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबन्धों के अधीन ६ सितम्बर, १९६० से आरम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिये केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में काम करने के लिये अपने में से तीन सदस्य चुनें ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ

विनयोग (संख्या ३) विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में कुछ सेवाओं पर व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिए उक्त सेवाओं के लिए तथा उक्त वर्ष के लिये अनुदत्त राशियों से अधिक राशियों के भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में कुछ सेवाओं पर व्यय की गई राशियों को पूरा करने के लिए उक्त सेवाओं के लिए तथा उक्त वर्ष के लिये अनुदत्त राशियों से अधिक राशियों के भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक को पुर स्थापित करता हूं ।

विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में रेलवे संबंधी व्यय के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ अग्रेतर राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में रेलवे संबंधी व्यय के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ अग्रेतर राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री जगजीवन राम** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक––(जारी)

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी निम्न प्रस्ताव पर आग्रेतर विचार करेगी :––

"कि प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन अधिनियम, १८६७ में आग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

श्री तंगामणि : अपना भाषण जारी रखें ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : विधेयक को पुरः स्थापित करते समय माननीय मंत्री ने बताया था कि प्रेस आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने प्रेस पंजीयक का पद निर्माण किया। उन्होंने प्रेस आयोग के प्रतिवेदन में कुछ उद्धरण देकर यह भी स्पष्ट किया कि पंजीयक की नियुक्ति इस कारण से की गयी कि राज्य सरकारेंपत्र पत्रिकाओं के बारे में ठीक जानकारी नहीं रखती थीं। परन्तु रजिस्ट्रार को भी कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ा इस लिये इन संशोधनों की आवश्यकता पड़ी। खैर इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि प्रेस आयोग ने स्वयं ऐसे संशोधन करने के लिये सुझाव दिये थे ।

इसके बाद मैं यह बताना चाहता हूं कि इन संशोधनों से कुछ ऐसी प्रवृत्तियों का विकास होगा जो बाद में खतरनाक सिद्ध होंगीं। उदाहरणस्वरूप प्रेस रजिस्ट्रार की नियुक्ति आवश्यक थी और वह की जा चुकी है किन्तु क्या यह आवश्यक है कि उसे डिक्लेरशेन (अखवार निकालने को आज्ञा) रद करने का अधिकार दिया जाय ?

दूसरी बात यह है कि पहले कानून के अनुसार राज्य सरकारों को कुछ पत्रों को छूट देने का अधिकार दिया गया है। परन्तु इस कानून से वह अधिकार छिन जायगा ।

तीसरी बात यह है कि जब से इस देश में पत्रों का प्रकाशन शुरू हुआ है तभी से प्रेस तथा सरकार के बीच एक प्रकार का संघर्ष चलता रहा है। पत्र सदैव यही चाहते रहे हैं कि उन्हें और अधिक स्वतंत्रता होनी चाहिये। पहले उन्हें यह स्वतंत्रता तो थी कि वे जिस प्रेस से चाहें अखवार छपवा सकते थे किन्तु अब डिक्लेरेशन में प्रेस का नाम भी देना होगा। अब पत्र के मालिक का नाम भी छपेगा। यदि सरकार की इच्छा इस कार्यवाही से पत्रकारों की सुरक्षा करने की है तो वह दूसरे तरीके से भी की जा सकती है ।

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: किन्तु इस संशोधन का उद्देश्य और भी है। श्रमजीवि पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करने का उद्देश्य तो है ही ।

†**श्री तंगामणि** : इस तरह पर भी आप श्रमजीवि पत्रकारों के हितों की रक्षा नहीं कर पायेंगे। मैं अपने इस तर्क को उदाहरण देकर पुष्ट करूंगां। यह सभी जानते हैं कि अब दिल्ली का इंडियन एक्स-

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रेस अखबार, पहली कम्पनी छापती है और चित्तर, मदुरै इत्यादि के इंडियन एक्सप्रेस एक दूसरी कम्पनी। दो कम्पनियों के अखबार एक ही नामों से छपते हैं । इसका कारण यह है कि दोनों कम्पनियों का स्वामित्व एक ही व्यक्ति के हाथों में है। पहले इंडियन एक्सप्रेस मद्रास से निकाला जाता था किन्तु मालिकों ने चालाकी करके इसे चि ूर से निकालना शुरू कर दिया। इस प्रकार की चालबाजी पत्रकारों के लिये हितकर कभी नहीं हो सकती। किन्तु मालिक ऐसा करते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : एक स्थान पर अखबार बंद करके दूसरे से चलाने के लिये क्या कोई कानूनी आपत्ति है ?

†**डा० केसकर** : जब एक दंडाधिकारी के क्षेत्राधिकार से दूसरे के क्षेत्राधिकार में अखबार निकाला जायगा तो नया डिक्लेरेशन करना होगा। इस बात पर दंडाधिकारी विचार न करेगा कि पहली जगह पर अखबार क्यों बंद किया गया। दंडाधिकारी डिक्लेरेशन तभी स्वीकार करेगा जब किसे पता चल जायगा कि एक नाम का उपयोग कोई दूसरा नहीं करने जा रहा। यदि कोई दूसरा व्यक्ति अपनी तरफ से उस नाम का उपयोग करना चाहेगा तो उसकी अनुमति नहीं दी जायेगी।

†**श्री तंगामणि** : जब पत्र प्रकाशित करने का डिक्लेरेशन कर दिया जायेगा तो दूसरी जगहों से उस के संस्करण निकालने में कोई रुकावट न होगी ।

†**डा० केसकर** : यदि कोई शाखा किसी दूसरे स्थान पर हो तो पत्र वहां से तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक वहां का दंडाधिकारी आज्ञा प्रदान न करे।

†**श्री तंगामणि** : भाषायों के अखबारों के बारे में शायद ऐसी कोई बात नहीं है।

†**डा० केसकर** : दंडाधिकारी ही इस मामले का निर्णय कर सकता है।

†**श्री तंगामणि** : मैं यह कह रहा था कि पहले कानून के अनुसार राज्यों को जो अधिकार दिया गया था उसे शायद छीना जा रहा है। यद्यपि रजिस्ट्रार को तथ्यों की उपलब्धि के लिये काफी अधिकार प्राप्त होने चाहिये तथापि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में राज्य सरकार ही कार्यवाही कर सकती है ।

'डिक्लेरेशन' स्वीकार करने से पहले जिला दंडाधिकारी को प्रेस पंजीयक से सलाह करनी पड़ेगी और इस प्रकार की मंत्रणा से मामलों के निपटारे में काफी देर हो जाया करेगी। इससे अच्छा तो यही होगा कि पंजीयक आए दूसरे महीने पत्रों की सूची जिला न्यायाधीशों को भेजें जिससे कि उनके काम में देर न हो ।

विधेयक की धारा ५ के अनुसार, अखबार पर सम्पादक का नाम भी छपता रहेगा परन्तु पत्रकार इस पक्ष में नहीं थे। किन्तु मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि इस विधेयक द्वारा दंडाधिकारी के क्षेत्राधिकार की व्याख्या कर दी गयी है ।

इसके बाद विधेयक में यह व्यवस्था भी की गयी है कि यदि एक पत्र दूसरी भाषा में निकालना हो तो डिक्लेरेशन की स्वीकृति के बाद ही ऐसा किया जाय। यह तो ठीक है परन्तु इस कार्य से उसका क्रम टूट जायगा। इसके लिए कुछ मोहलत होनी चाहिये। यों तो जिस साप्तहिक को पाक्षिक बनाना हो उसे भी तब तक रोकना पड़ेगा जब तक कि जिला दंडाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न हो जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तंगामणि]

खंड २ (४) में कहा गया है कि नियम (४) के स्थान पर यह व्यवस्था की जायगी कि यदि कोई मुद्रक या प्रकाशक विदेश जाने या किसी अन्य कारण से ९० दिन की अवधि से अधिक समय तक के लिए अनुपस्थित रहेगा तो पत्र को जारी रखने के लिये नये 'डिक्लेरेशन' की आवश्यकता पड़ेगी। परन्तु यदि कोई मुद्रक या प्रकाशक जेल चला जाय तो उसका क्या दोष होगा ? इस प्रकार से काफी अन्याय होने की आशंका बनी रहेगी।

यद्यपि इस विधेयक को लाने का उद्देश्य प्रशंसनीय है तथापि इस का प्रभाव लाभप्रद न होगा।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : श्रीमान्, जो विधेयक राज्य-सभा से होकर इधर आते हैं यदि उनके साथ हमें उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण तथा मूल अधिनियम के संबंधित अंश भी मिल जाया करें तो ज्यादा लाभप्रद होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह समझ सकता हूं कि इस तरह लोक-सभा के सदस्यों को पूरी सुविधा नहीं मिल सकती। लेकिन मैं इस प्रकार का आदेश जारी कर चुका हूं कि जब राज्य सभा से पारित विधेयकों पर यहां चर्चा हो तो उनकी प्रतियां उपलब्ध होनी चाहियें। यहां मेरे पास प्रतियां मौजूद हैं।

†**श्री त्यागी** : परन्तु विधेयक के साथ तो वे नहीं मिलीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो सदस्य लेना चाहें ले सकते हैं। मैं सचिवालय को आदेश दूंगा कि ऐसे विधेयकों की प्रतियां सदस्यों को तभी दी जायें जब विधेयक पर यहां विचार हो।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : विधेयक की प्रतियां तो उसी समय उपलब्ध होनी चाहिएं जब कि विधेयक राज्य-सभा में पेश किया जाय। हो सकता है कोई सदस्य उस पर आपत्ति करना चाहे।

†**अध्यक्ष महोदय** : तब आपत्ति किस तरह की जा सकती है। यह किया जा सकता है कि जब राज्य सभा में कोई विधेयक पुर स्थापित हो तो उसकी प्रतियां सदस्यों को दी जाया करें और जब उनपर यहां चर्चा हो तो भी कुछ प्रतियां यहां मौजूद रहें ताकि जिन सदस्यों को जरूरत हो वे उन्हें ले सकें।

†**श्री अन्सार हरवानी** (फतेहपुर) : श्रीमान्, मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। हमारे देश में पत्रों का उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र के कब्जे में है इसलिये स्वाभाविक रूप से उस उद्योग में कुछ त्रुटियां भी हैं।

प्रेस आयोग की सिफारिश के अनुसार एक वेतन बोर्ड बनाया गया था उसने कुछ सिफारिशें कीं पर प्रेस के मालिकों ने इस तरह से कार्यवाही की कि उनसे किसी भी पत्रकार को अधिक लाभ न पहुंचा। इस दिशा में अमृत बाजार पत्रिका का मामला सर्वविदित है। खैर हमें उस मामले में इतनी प्रसन्नता अवश्य है कि सरकार ने उपयुक्त कार्यवाही करके उस पत्रिका का नाम एक स्थान पर बदलवा कर प्रयाग पत्रिका करवा दिया।

इसी प्रकार हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड का मामला भी है। यह अखबार अपना एक संस्करण दिल्ली से भी निकालता है कि तु वेतन बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित न करने के लिये मालिकों ने एक चालाकी यह की है कि दिल्ली से निकलने वाले संस्करण पर "दिल्ली" शब्द लिख दिया गया है। अन्यथा शेष बातें सभी वही हैं। हम इस विधेयक के लिये सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हैं किन्तु सरकार को यह भी समझ कर चलना चाहिये कि लोग कानून से बचने के लिये अनेक रास्ते ढूंढ लेते हैं। इस

---

†मूल अंग्रेजी में

लिये सरकार को चाहिये कि वह काफी सख्ती से विधेयक पर अमल करे। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

†**श्री नलदुर्गकर** (उस्मानाबाद) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस विधेयक में कुछ उपबंध ऐसे भी हैं जिनके कारण न केवल श्रमजीवी पत्रकारों को हानि पहुंचेगी बल्कि मालिकों को भी हानि होगी ।

मूल अधिनियम की धारा ६ के अनुसार जिला दंडाधिकारी 'डिक्लेरेशन' की पुष्टि कर सकता था परन्तु अब उसे प्रेस पंजीयन से यह पूछना होगा कि इस नाम का कोई पत्र कहीं पहले से तो नहीं निकल रहा है। प्रेस पंजीयक ही जानकारी देने की सर्वोत्तम स्थिति में होगा। अब यदि प्रेस पंजीयक से जानकारी प्राप्त करने के बाद एक 'डिक्लेरेशन' की पुष्टि कर दी जाय तो उसी आधार पर उसे रद्द नहीं किया जा सकता ।

किसी 'डिक्लेरेशन' को रद्द करते समय भी दंडाधिकारी तत्संबंधी जानकारी प्रेस पंजीयक से ही प्राप्त करेगा। इसका मतलब यह है कि यदि किसी स्थान पर कोई पत्र पहले से चल रहा हो तो उसी नाम का दूसरा चालू करने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह शायद ठीक हो परन्तु यदि प्रेस पंजीयक एक बार यह कह दे कि अमुक नाम का कोई पत्र नहीं तो 'डिक्लेरेशन' पुष्ट हो जायगा और अखबार निकलने लगेगा पर यदि फिर प्रेस पंजीयक न्यायालय को यह लिख भेजे कि अमुक नाम का एक पत्र है तो दंडाधिकारी उस 'डिक्लेरेशन' को रद्द कर देगा। इस तरह की कार्यवाही पत्र के लिये घातक सिद्ध होगी। इसलिये ऐसे मामलों को प्रेस पंजीयक की शिकायत पर दोबारा न खोला जाना चाहिये ।

†**डा० केसकर** : माननीय सदस्य ने शायद न तो मूल विधेयक ठीक से देखा है और न ही संशोधन विधेयक। 'डिक्लेरेशन' तभी रद्द किया जा सकेगा जब कि ऐसा करने के लिये काफी कारण होंगे ।

†**श्री नलदुर्गकर** : पर मैं तो केवल यही कह रहा हूं कि नाम के आधार पर बाद में 'डिक्लेरेशन' को रद्द करना अखबार वालों के लिये हानिकारक होगा। मेरा अभिप्राय यह है कि प्रेस पंजीयक की गलती के कारण किसी और पक्ष को नुकसान नहीं होना चाहिये। मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें पंजीयक को हिदायत दे देनी चाहिये कि इस मामले में वह सावधानी से काम चलाये। सरकार को यह व्यवस्था भी करनी चाहिये कि यदि इस प्रकार की कार्यवाही से किसी व्यक्ति को हानि पहुंचे तो वह खंड ८० के अन्तर्गत जैसी कि व्यवस्था थी, अपील कर सके ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरुदासपुर) : प्रस्तावक के उद्देश्य की अपेक्षा इस विधेयक के अधिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। इस विधेयक पर विचार करते समय विधिक न्यायिक, नियोजक एवं कर्मचारियों के सम्बन्धों की बात उठाई जा रही है। प्रवृत्ति की दृष्टि से यह प्रक्रियात्मक विधेयक है और इसका समाचार पत्रों और पुस्तकों के पंजीयन की प्रक्रिया को दृढ़ और उनको स्पष्ट करना है। इस विधेयक से हमको बहुत लाभ होगें तथा बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी अतः इस विधेयक पर दो दष्टि से विचार करना आवश्यक है ।

इस विधेयक के द्वारा मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक की भांति मालिक को भी समाचार पत्र का कार्यवाहक अधिकारी बनाने की व्यवस्था की गई है। जो बहुत अच्छी है। यह व्यवस्था पत्रकारिता और मालिक कर्मचारी के सम्बन्ध दोनों के हित में होगी। हर बात के लिये सम्पादक को ही उत्तरदायी ठहराना ठीक नहीं है। इस विधेयक में समाचार पत्रों के अस्तित्व की परिभाषा भी दी गई है। और प्रत्येक पदाधिकारी का क्या अस्तित्व एवं स्थान होगा उसकी व्याख्या भी की गई है। अतः मेरा विचार है कि इस विधेयक में समाचार पत्र उत्पादन व्यवस्था की रूपरेखा पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट कर दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

दुर्भाग्यवश हमारे देश में समाचार पत्रों के मालिक अब तक उद्योगपति ही रहे है। और कोई कठिनाई आनेपर वे उससे अलग हो जाते है। वे समाचार पत्रों को भी अन्य कारखानों आदि के साथ साथ चला रहे हैं। लेकिन अब इस विधेयक के अनुसार उन्हें उन सभी परिणामों को भोगना पड़ेगा जिन से कि वे अब तक बचे रहते थे।

अब तक एक व्यक्ति कई स्थानों से समाचार पत्र निकालता था लेकिन कहीं भी उसका नाम प्रकाशित नहीं होता था लेकिन अब इस विधेयक के अनुसार उसका नाम भी प्रकाशित होगा अतः वह लोगों की जानकारी में आ जायेगा कि अमुक व्यक्ति समाचार पत्र का मालिक है। इससे पत्रकारों को भी सुविधा होगी क्योंकि वे वस्तुतः उत्तरदायी व्यक्ति कौन है और उससे उनके कैसे सम्बन्ध होने चाहियें इस बात का पता चल जायेगा।

इससे दूसरा लाभ यह होगा कि समाचार पत्रों की स्थिति अच्छी हो जायेगी। अब इस विधेयक के द्वारा यह व्यवस्था भी की गई है जो व्यक्ति भारत के बाहर रहता है वह भारत में प्रकाशित होने वाले किसी समाचार पत्र का मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक अथवा मालिक नहीं हो सकता। मेरे विचार से यह एक बहुत ही अच्छा संशोधन है इससे समाचार पत्रों का काम ही अच्छा नहीं होगा बल्कि कर्मचारियों एवं मालिकों के सम्बन्ध भी अच्छे हो जायेंगी। इस विधेयक के अनुसार इन पत्रों में अब वे लोग ही होंगे जो वास्तव में कि इन पत्रों में काम कर रहे होंगे।

तीसरा लाभ यह होगा कि समाचार पत्रों का पंजीयन अब अच्छा हो जायेगा। बोगस समाचार पत्रों का पंजीयन अब बंद हो जायेगा बेकार के, झूठे तथा अनियमित पत्र निकाल कर लोग फायदा उठाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। इस विधेयक के द्वारा बार बार नाम बदलकर पत्र निकालने की व्यवस्था भी समाप्त हो जायेगी।

इस विधेयक के द्वारा देश की न्यायिक प्रक्रिया, तथा देश की विधि और व्यवस्था पर भी काफी अच्छा प्रकाश डाला गया है। हम एक अपील बोर्ड की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर किसी के साथ रजिस्ट्रार प्रथवा मजिस्ट्रेट ने कोई अनाचार किया है तो वह अपील बोर्ड में अपील कर सकता है। अतः यह एक बहुत अच्छी व्यवस्था है।

इस विधेयक के द्वारा समाचार पत्रों का काम पहले की अपेक्षा बहुत आसान हो जायेगा। यह विधेयक रजिस्ट्रार के कार्य को भी पहले की अपेक्षा और भी अधिक प्रभावी बनायेगा। यह समाचार पत्र निकालने वाले विभिन्न व्यक्तियों में उनके दायित्वों का बंटवारा करता है। इसके द्वारा काम करने वाले पत्रकारों को भी अप्रत्यक्ष लाभ होगा।

अतः में इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इन सभी बातों पर अच्छी तरह विचार करेंगे और काम करने वाले पत्रकारों की पूरी पूरी निगरानी शीकायतें सुनेंगे तथा उन्हें दूर करने का प्रयत्न करेंगे और समाचार पत्रों पर बराबर निगाह वह रखेंगे ताकि उनमें कोई कुप्रवृत्तियां उत्पन्न न हों। आशा है कि यह विधेयक समाचार पत्र उद्योग में स्वस्थ भावना उत्पन्न करेगा और समाचार पत्रों के मालिकों में उत्तरदायित्व की भावना भरेगा।

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर) : जनाब चेयरमैन साहब, मैं वजीर इशाअात को इस बिल के लाने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं इस बिल की पूरी हिमायत करता हूं क्योंकि इस बिल से हमें तवक्को है कि हमारे वर्किंग जरनलिस्ट्स की जो मुश्किलात हैं वह किसी हद तक दूर हो जाएंगी।

अक्सर इस हाउस में बिलें पेश की जाती हैं, बिलें पास हो जाती है, लेकिन उन बिलों पर अमल नहीं होता । मुझे उम्मीद है कि इस बिल के पास होने के बाद वजीर इशाअात यह भी देखेंगे कि इस बिल को पूरी तरह से हावी किया जाए । मेरे दोस्त आनरेबिल हरवानी साहब ने जो कि खुद एक जरनलिस्ट रह चुके हैं, उन दिक्कतों का जिक्र किया जो कि खुद उनके सामने आयीं और जिनका उनके दूसरे दोस्त मजा चख रहे हैं ।

इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क में जहां तक अखबार नवीसी का ताल्लुक है वह एक इंडस्ट्री बन चुकी है और यह इंडस्ट्री चन्द लोगों के हाथों में है । चाहे उन लोगों को जरनलिज्म से दूर का भी वास्ता न हो, चाहे वह जरनलिज्म की ए.बी. सी. डी. भी न जानते हों लेकिन वह इस इंडस्ट्री पर छाए हुए हैं क्योंकि उनके पास दौलत है । हमने इस बिल को पास करने के बाद उन छोटे छोटे लोगों की तरफ भी देखना है और उनकी मुश्किलात को भी दूर करना है जो कि इस इंडस्ट्री में काम करते हैं और जो कि हकीकत में जरनलिज्म के लिये जिम्मेदार हैं । इस बारे में शर्मा साहब ने कुछ तजकिरा किया ।

मैं सिर्फ दो बातों की तरफ वजीर इशाअात साहब की तवज्जह दिलाना चाहता हूं जो कि बहुत अहम हैं । एक बात तो यह है कि हिन्दुस्तान में किताबों के कापी राइट के बारे में इस में कोई तजकिरा नहीं किया गया है । हमारे बहुत से आर्थर्स की किताबें दूसरे मुल्कों में छपती हैं, मसलन मौलाना साहब की किताबें पाकिस्तान में छपनी शुरू हो गयी हैं लेकिन उन के कापी राइट की हिफाजत करने के लिए हमारे पास कोई जरिया नहीं है । इस में कोई शक नहीं कि सवालात का जबाब देते वक्त कई दफा वजीर साहब ने यकीन दिलाया है कि इस के बारे में कदम उठाया जाएगा लेकिन पिछली चन्द सालों में हम ने देखा है कि पाकिस्तान में और दूसरे मुल्कों में जहां फारसी बोली या समझी जाती है, हमारी किताबें छप रही हैं और उन से हजारों रुपया बनाया जाता है । मिसाल के तौर पर मौलाना साहब का कुरान शरीफ का तरजुमा पाकिस्तान में छप रहा है और उस से बहुत सा रुपया बनाया जा रहा है । और इस तरफ कोई तवज्जह नहीं दी जाती । मैं इस की तरफ हुकूमत की तवज्जह दिलाना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस नाजायज तरीके को रोकने का कोई ढंग निकाला जाएगा ।

दूसरी बात है एडीटर्स के बारे में । देखने में आया है कि कुछ लोग जिनका जरनलिज्म से कोई दूर का भी वास्ता नहीं है और जो जरनलिज्म की ए० बी० सी० डी० भी नहीं जानते, आज अपने पैसे के बल बूते पर एडीटर बने बैठे हैं । वह इस तरह से खुद एडीटर बन कर किसी दूसरे आदमी के गुजारे को रोक लेते हैं और एक असिसटेंट एडीटर रख लेते हैं जिस से तमाम काम एडिटिंग का काम लिया जाता है । मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं । हिन्दुस्तान का एक मशहूर अखबार फिल्मफेयर है । उस के एडीटर साहब को मैं जाती तौर पर जानता हूं और वजीर साहब भी उनको बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे । वह जरनलिज्म की ए० बी० सी० डी० भी नहीं जानते लेकिन इसलिये कि वह उनकी मिल्कियत है या उन के किसी रिश्तेदार की मिल्कियत है, वह एडीटर बने बैठे हैं । इसलिये मैं इस तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कदम उठाया जाये जो कि इस तरह से नाजायज तरीके से दूसरों को महरूम करते हैं । हमें उन के खिलाफ कदम उठा कर सच्चे जरनलिस्ट्स को काम करने का मौका देना चाहिये ।

इन चन्द अल्फाज के साथ मैं इस बिल की पूरी हिमायत करता हूं ।

†श्री नौशीर भरूचा : मुझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस जैसे महत्वपूर्ण विधेयक से उतना उत्साह उत्पन्न नहीं हुआ जितना आशा की जाती थी। समाचार पत्र ही अन्ततोगत्वा प्रजातंत्र के रक्षक हैं और जब तक वे पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक यह संभव नहीं है कि वे पत्र अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति कर सकें।

इस विधेयक के द्वारा पहली बात यह की जा रही है कि समाचार पत्रों में उन के मालिक के नाम भी छापे जायें। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि समाचार पत्र पर मालिक का नाम प्रकाशित करने से समाचार पत्रों के अच्छे प्रशासन में सरकार को कैसे सहायता मिलेगी। जहां तक कि किसी एक व्यक्ति के नाम और उस के मालिक होने की बात है वह तो प्रकाशित की जा सकती है और उस के स्वामित्व में परिवर्तन होने पर उसे प्रकाशित भी किया जा सकता है लेकिन उस हालत में क्या होगा जब कि किसी समाचार पत्र का मालिक कोई लिमिटेड कम्पनी हो। हम देखते हैं कि लिमिटेड कम्पनियों में आये दिन परिवर्तन होते रहते हैं लेकिन उन परिवर्तनों के होने पर वे नाम नहीं छापे जा सकते। कम्पनी के नाम में परिवर्तन होने पर ही वह छापा जा सकता है। अतः इस सम्बन्ध में इस विधेयक के उपबन्ध किस प्रकार प्रभावी हो सकते हैं।

हो सकता है कि कुछ अस्थायी कारणों, जैसे कागज की कमी, धन की कमी आदि के कारण किसी समाचार पत्र के प्रकाशित होने की अवधि में कुछ परिवर्तन करन पड़ा हो। इस विधेयक के अनुसार उसे फिर से "डिक्लेरेशन" लेना होगा। यह बात ठीक नहीं है। मेरे विचार से इन कारणों के आधार पर उस समाचार पत्र को किसी प्रकार अयोग्य नहीं बनाना चाहिये और सरकार को उन कारणों की खोज करनी चाहिये।

इस विधेयक के अनुसार यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि कोई मुद्रक व प्रकाशक ९० दिनों से अधिक अपने कार्य से अलग रहता है तो उस पत्र को फिर से "डिक्लेरेशन" लेना चाहिये। मेरा निवेदन है कि उसे ९० दिन के पश्चात् डिक्लेरेशन फाइल करने से पूर्व एक सप्ताह का समय और दिया जाये क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कारण विशेष से वह एक दो दिन देर से लौटता है। ऐसी स्थिति में यह व्यवस्था उस के लिये घातक होगी।

ये समाचार पत्र सामान्य व्यवसाय की अपेक्षा बिल्कुल अलग ढंग से चलाये जाते हैं। इनका प्रकाशन एक दिन के लिये भी रुक नहीं सकता। इस विधेयक के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई समाचार पत्र इस विधेयक के किसी भी नियम का पालन नहीं करता है अथवा उसकी अवहेलना करता है तो उसका 'डिक्लेरेशन' रद्द किया किया जा सकता है। मेरे विचार से 'डिक्लेरेशन' रद्द करने का दंड अतिरिक्त दंड होगा क्योंकि विधेयक के अनुसार अन्य बातों के लिये पहले ही काफी दंड की व्यवस्था की गई है। विधेयक की प्रस्तावित धारा ८(ख) के शब्द बहुत ही व्यापक हैं। 'डिक्लेरेशन' के रद्द करने का अभिप्राय तो अखबार उद्योग को बंद करना है अतः इस पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिये क्योंकि यह कोई मामूली बात नहीं है। मालिक लोग समाचार पत्रों के दैनिक कामों की देखभाल नहीं करते, ऐसी स्थिति में उन्हें अन्य लोगों जैसे, सम्पादक, प्रकाशक अथवा मुद्रक की भूल के लिये दंड देना अनुचित होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

ये समाचार पत्र सरकार की नीति के अच्छ आलोचक होते हैं अतः उन पर अधिक दबाव डालना उचित नहीं है । फिर यह भी तो देखने में आता है कि भूलें तो सभी से होती हैं। कोई भी प्रशासन सम्पूर्ण नहीं है । अतः छोटी छोटी भूलों के लिये अखबारों का "डिक्लेरेशन" रद्द करना ठीक नहीं है ।

विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि यदि मजिस्ट्रेट यह समझता है तो वह 'डिक्लेरेशन' रद्द कर सकता है, ये शब्द एसे हैं जिन के बारे में कहीं भी कोई अपील नहीं की जा सकती इसलिये मेरा निवेदन है कि इन शब्दों के स्थान पर यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि यदि गवाही के आधार पर यह सिद्ध हो जाय कि समाचार पत्र ने भूल की है तभी उस के खिलाफ़ कार्यवाही की जानी चाहिये । मेरा विचार है कि इस विधेयक में ऐसे खंड रखे गये हैं जिन के आधार पर कभी भी प्रेस को बन्द किया जा सकता है । अतः ये खंड अवांछनीय एवं अनुपयुक्त हैं ।

अतः मेरा निवेदन है कि समाचार पत्रों के 'डिक्लेरेशन' को रद्द करने के जो अधिकार दिये गये हैं वे ठीक नहीं हैं और हो सकता है कि इनका प्रयोग उचित ढग से न हो। इस आज्ञा के रद्द करने से मालिक को लाखों रुपये की हानि हो सकती है । अतः मेरा निवेदन है कि छोटे न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध अपील करने की व्यवस्था उच्च न्यायालयों में की जानी चाहिये । अपीलीय बोड जिस की स्थापना कि हम करने जा रहे हैं उस के अपील करने से कोई लाभ नहीं है । वहां ८ से १० महीने तक का समय लग सकता है और तब तक समाचार पत्र बन्द पड़े रहेंगे । अतः इस प्रकार का अधिकार सरकार या मजिस्ट्रेट को नहीं दिया जाना चाहिये । केन्द्रीय सरकार को भी सभी अधिकार नहीं दिये जाने चाहियें । अतः इन सभी बातों के आधार पर मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : पुराने अधिनियम की धारा ६ के अनुसार समाचार पत्र निकालने की आज्ञा की, मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी करने के बाद एक प्रति तो मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा कर देनी होती थी और दूसरी प्रति उच्च न्यायालय या उच्च दीवानी अदालत में। लेकिन इस विधेयक के खंड ३ द्वारा इस प्रथा में परिवर्तन कर दिया गया है ।

आजकल जितने भी विधेयक इस सभा में प्रस्तुत किये जा रहे हैं उन में यह प्रवृति दिखाई पड़ रही है कि सरकार न्यायाधिकरण नियुक्त करने के काम पर सारी सत्ता अपने हाथ में लेती जा रही है जो प्रजातंत्र की दृष्टि से ठीक नहीं है । ऐसा करने से केन्द्रीकरण की नीति बढ़ती जा रही है । इस विधेयक के अनुसार अपीलें सुनने के लिये सरकार द्वारा नामजद दो सरकारी कर्मचारियों के बोर्ड की व्यवस्था न्यायालयों के अधिकार हड़प लेने की प्रवृति की द्योतक है । यह लोकतंत्र के लिये खतरनाक है और इस प्रकार आवश्यकता से केन्द्रीयकरण किया जा रहा है । अतः इस दृष्टि से मैं इस विधेयक को प्रगतिशील न मान कर प्रतिक्रियावादी के रूप में ही अधिक पाता हूं ।

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर): यह विधेयक इतना सीधा सादा एवं सरल नहीं है, जितना की देखने में प्रतीत होता है । यह समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का, जो लोकतंत्र का मूलाधार है, अतिक्रमण करता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सूपकार]

इस विधेयक को देखने से स्पष्ट है कि डिक्लेरेशन रद्द करने के बारे में सरकार अपने पास अधिक से अधिक अधिकार लेना चाहती है । लेकिन जहां तक मेरा विचार है इन अधिकारों का दुरुपयोग ही होगा।

डिक्लेरेशन के रद्द करने का अधिकार मजिस्ट्रेट के विवेक और उसकी इच्छा पर निर्भर रहेगा । हालांकि अपील की व्यवस्था की गई है लेकिन यह व्यर्थ ही है क्योंकि यह बोर्ड दो सरकारी पदाधिकारियों का होगा । इस से तो अच्छा था कि इस अपील की व्यवस्था ही नहीं की जाती । इसके अलावा अपीलों के निबटारे में भी विलम्ब होगा क्योंकि इन सरकारी कर्मचारियों को इन अपीलों की सुनवाई के अतिरिक्त अपने भी बहुत से काम करने होंगे । और हो सकता है कि इस दौरान में अपील करने वालों को काफी नुकसान का सामना भी करना पड़े । इस के अतिरिक्त अपीलीय बोर्ड का निर्णय भले ही कुछ क्यों न हो लेकिन विधि का मूलभूत सिद्धांत यह है कि वह निर्णय न्यायप्रद हो और साथ ही देखने में भी न्याय जैसा लगता हो । अतः अपीलीय बोर्ड को लोगों में विश्वास की भावना उत्पन्न करनी चाहिये ।

इस विधेयक के द्वारा एक व्यवस्था यह की गई है कि मालिक का नाम अखबार पर प्रकाशित किया जाय । इसका उद्देश्य यह है कि मालिक श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के उपबन्धों की अवहेलना न करे । लेकिन यदि श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम का उल्लंघन करने के लिये मालिक को कुछ दंड देने की व्यवस्था न की गई तो अखबार में उसका नाम भी प्रकाशित करने से कुछ भी लाभ न होगा । लेकिन इस विधेयक में मालिक को किसी प्रकार का दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

वास्तव में कठिनाई यह नहीं है कि किसी अखबार के नाम का अनुचित रूप से लाभ उठाया जायेगा —कठिनाई तो उन अखबारों के सम्बन्ध में आती है जो श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के उपबन्धों से बचने के लिये किसी नगर में अपने संस्करण का प्रकाशन बन्द कर देते हैं और दूसरे किसी नगर में प्रायः मिलते जुलते नाम से वही अखबार पुनः प्रकाशित करने लगते हैं ।

इस विधेयक में मालिक शब्द की परिभाषा भी ठीक ठीक नहीं दी गई है । इसलिये मालिक का नाम भी प्रकाशित करने का उपबंध का कोई अर्थ नहीं रहेगा । अतः मालिक शब्द की परिभाषा देनी चाहिये तथा यह भी स्पष्ट करना चाहिये कि किसी लिमिटेड कम्पनी के मालिक होने पर किस व्यक्ति को दोषी ठहराया जायेगा । अतः मेरे विचार से यह विधेयक प्रेस की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने वाला ही है ।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मुझे इस विधेयक के सम्बन्ध में काफी शंकाएं हैं । समाचार पत्र उद्योग में लगभग सात-आठ करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है । भाषाई समाचार पत्रों की व्यवस्था तो बहुत ही शोचनीय है । कोई पत्र भी नफे में नहीं चल रहा है । मुझे यह भी भय है कि इस विधेयक के उपबन्धों द्वारा अखबारों की स्वतंत्रता में भी हस्तक्षेप न हो जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मालिकों का नाम अखबारों में प्रकाशित हो, यह उपबन्ध बाहरी तौर पर बड़ा सरल दिखाई देता है । परन्तु समाचार उद्योग पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव होगा। विशेष रूप से छोटे अखबारों में पूंजी लगाने के सम्बन्ध में इसका काफी बुरा असर होगा। क्या सरकार की इच्छा यह है कि सम्पादक की किसी भूल का दंड मालिक को दिया जाय। छोटे अखबारों में तो मालिक केवल रुपया लगाता है और सम्पादकों को अखबार की नीति के सम्बन्ध में पूण स्वतंत्रता रहती है । इस उपबन्ध से इन अखबारों के स्वामित्व के बारे में पूरा परिवर्तन हो जाने की सम्भावना है। देश का जनमत तैयार करने वाले यही छोटे छोटे अखबार होते हैं।

मैं सरकार से स्पष्टतः यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का यही विचार है कि सम्पादक की भूल की सजा मालिक को दी जाय ? यदि यही है तो यह अखबारों की स्वतंत्रता में सीधा हस्तक्षेप है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस मामले को स्पष्ट करें। इस के बड़े गम्भीर परिणाम होने की संभावना है ।

इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना चाहिये, ताकि वह इसके विभिन्न उपबन्धों की उचित प्रकार से जांच कर सके । मैं कुछ धाराओं का उल्लेख करना चाहता हूं । धारा ५ के अन्तर्गत नियम (२घ) में कहा है कि यदि किसी अखबार का स्वामित्व (टाइटिल), भाषा अथवा अखबार निकालने की अवधि में परिवर्तन होगा तो नया 'डिक्लेरेशन' प्राप्त करना होगा। यह कुछ स्पष्ट नहीं है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : यहां स्वामित्व का सवाल नहीं है । "टाइटिल" से अभिप्राय यहां अखबार के नाम से है ।

†**श्री आचार** : क्षमा कीजिये, मेरी ग़लती हुई। मैं अब अगली बात पर आता हूं । धारा ८ (ख) के अन्तर्गत 'डिक्लेरेशन' को रद्द करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को दिया गया है । 'डिक्लेरेशन' को रद्द करना अखबार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है । इस बात के कितने बुरे परिणाम हो सकते हैं, इस सम्बन्ध में श्री नौशीर भरूचा प्रकाश डाल चुके हैं। मैं केवल अपीलीय अदालत के बारे में कुछ कहूंगा । यह ठीक उपबन्ध नहीं है कि 'डिक्लेरेशन' को रद्द करने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास हो और अपील केवल बोर्ड के पास ही हो सकती है । पता नहीं अदालतों से दूर रहने की सरकार की प्रवृति क्यों होती जा रही है । इस के अतिरिक्त अपील सुनने वाले जिस बोर्ड का निर्माण किया गया है । उसकी स्थिति भी बड़ी विचित्र है । उस में एक सभापति होगा और एक अन्य सदस्य; इन्हें केन्द्रीय सरकार मनोनीत करेगी। अब यदि किसी मामले में दोनों सदस्यों में मतभेद हो जाता है तो उसका निर्णय कैसे होगा, यह बात भी स्पष्ट नहीं है ।

मेरा निवेदन है कि सरकार द्वारा मनोनीत बोर्ड को इतने व्यापक अधिकार देना ठीक बात नहीं कही जा सकती। इस सम्बन्ध में तो उच्च न्यायालय अथवा जिला अदालत में अपील करने की व्यवस्था होनी चाहिए। यह भी उस में स्पष्ट नहीं कि इस बोर्ड का एक सदस्य वह होगा जिसे न्यायिक प्रशिक्षण प्राप्त होगा। इस अवस्था में 'डिक्लेरेशन' के रद्द होने के महत्वपूर्ण मामलों में पूर्णतया न्याय प्राप्त हो सकेगा, इस में मुझे सन्देह ही है । इसलिए मेरा मत यही है कि इससे अखबारों की स्वतंत्रता पर ही प्रभाव पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वारियर (त्रिचूर) : मैं इस विधेयक का समर्थक हूं परन्तु मैं मंत्री महोदय से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

मेरा निवेदन है कि देश के राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए सरकार को एक अधिक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए था। इस समय इस उद्योग में बड़ी अस्तव्यस्तता है और विकास के लिए कोई योजना नहीं है । एकाधिकारियों के अधीन चलने वाले अखबारों के उदाहरण मौजूद हैं जिन पर कड़ा नियंत्रण रखना बड़ा उचित और आवश्यक प्रतीत होता है । आयोजित अर्थ व्यवस्था की दृष्टि से भी जिसका कि हम अपने देश में विकास कर रहे हैं यह और भी आवश्यक है ।

अखबारी कागज पर भी सरकार का पूरा नियंत्रण होना चाहिये । बड़े बड़े अखबारों को आसानी से कागज का काफ़ी कोटा प्राप्त हो जाता है । परन्तु छोटे छोटे अखबार मुहं ही देखते रह जाते हैं। उन्हें कई कई दिन अखबारों के रजिस्ट्रार साहिब के कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मंत्री महोदय को इस दिशा में उचित कार्यवाही करनी चाहिये । और यदि आवश्यकता हो तो डाक सेवा के स्थान पर टेलीफोन और तार की सेवाओं का भी उपयोग करना चाहिए। देशी भाषाओं के अखबारों को विशेष रूप से अखबारों के कागज का कोटा देने में कठिनाइयां आती हैं। माननीय मंत्री से मैं यह भी जानना चाहता हूं कि दिल्ली में इस दिशा में केन्द्रीयकरण का क्या उद्देश्य है ? यदि इस में कोई हित की बात है तो उन्हें स्पष्ट करनी चाहिए ।

स्वामित्व का निर्णय करना सरल बात नहीं है । कुछ बड़े अखबारों के, जो बड़ी बड़ी कम्पनियों द्वारा चलाये जाते हैं, मालिक का पता ही नहीं चल सकता । प्रायः मालिक बदलते रहते हैं। कई बार सम्पादकों को इसलिए हटा दिया जाता है कि उन के विचार मालिकों के अनुरूप नहीं होते । प्रकाशक की भी लगभग यही स्थिति है । उसको कई बार यह भी पता नहीं होता कि अखबार में क्या चल रहा है और बेचारा कई मामलों में फंस जाता है अखबार में मुख्य उत्तरदायित्व तो सम्पादक, सह सम्पादक तथा उप सम्पादकों का होता है ।

मुद्रक तो बिल्कुल ही निर्दोष व्यक्ति होता है । वह अपने मुद्रणालय में रुपया लगाकर अपने जीवन निर्वाह के लिए छापने का काम लेता है । अतः उसका उत्तरदायित्व केवल छापने के तकनीकी काम से होता है । और अन्य मामलों में उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता। अखबारी मामलों में उसे नहीं घसीटा जाना चाहिए। परन्तु उसके मुकाबले में जो व्यक्ति मालिक होता है उसे सब बातों का पता होता है । उसे आप निर्दोष नहीं कह सकते । उसे इस बात का पूरा ज्ञान होता है कि अखबार की नीति क्या है । अतः मेरा निवेदन है कि इन उपबन्धों को स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन है कि यदि आपने अपील की व्यवस्था की है तो इसें सुनने का अधिकार अदालत को होना चाहिये । इस मामले पर मंत्री महोदय को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। लोगों का स्वतंत्र न्यायपालिका पर अधिक विश्वास है । इस के बिना लोगों को काफी परेशानी होगी। इस के साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इस दिशा में काम हमेशा शीघ्रता से होना चाहिए। अखबार के मामले में यदि शीघ्रता न हो तो उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** यह एक बहुत अच्छा विधान है। इसका स्वागत किया जाना चाहिये । क्योंकि इसमें कोई विवादास्पद बात नहीं । अखबारों के मालिक और कर्मचारी दोनों को इसका समर्थन प्राप्त है । यह विधेयक १९५५ के अधिनियम के कार्यकरण में प्राप्त अनुभवों के आधार पर प्रक्रिया में सुधार करने और उसके स्पष्टीकरण के लिये लाया गया है । यह आरोप कि यह अखबारों की स्वतंत्रता छीनता है, वास्तविकता पर आधारित नहीं । कुछ ऐसे संशोधन हैं जिन पर मतभेद हो सकता है सामूहिक तौर पर विधेयक काफी अच्छा है और इसका स्वागत किया जाना चाहिये ।

मैं कुछ संशोधनों का उल्लेख करूंगा । एक व्यवस्था यह की गयी है कि कोई भी अखबार प्रकाशित नहीं हो सकता जब तक कि उसका समुचित रूप से प्रमाणीकरण न हो जाय । यह तो ठीक है इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती । परन्तु यदि मजिस्ट्रेट 'डिक्लेरेशन' और प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार से परामर्श करने लगेगा तो इससे बिलम्ब होने की संभावना है । मेरा निवेदन है कि खंड ३ के इस संशोधन में यदि समय की अवधि निर्धारित कर दी जाय तो यह बहुत अच्छी बात होगी । इस अवधि के भीतर मजिस्ट्रेट को जांच इत्यादि का कार्य पूरा कर ही लेना होगा । इससे काफी सुविधा हो जायेगी और बहुत से लोगों की शिकायत दूर हो जायेगी । मेरा विश्वास है कि मंत्री महोदय मेरे इस सुझाव पर ध्यान देंगे ।

दूसरा संशोधन यह है कि अखबार के मालिक का नाम उस पर होना चाहिए । यह बहुत अच्छी बात है ; अखबारों के स्वामित्व को देखते हुए इससे अखबारों में व्यक्त विचारो की जांच करने में सहायता मिलेगी । अन्य लोकतंत्रवादी देशों में भी ऐसी ही प्रथा है। अतः कोई कारण नहीं कि हम भी इस ढंग को न अपनायें । मैं इस बात से सहमत नहीं कि इससे उलझनें पैदा हो जायेंगी । यह हो सकता है कि अखबार के स्वामित्व के बदलने पर कुछ विवाद उठ खड़े हों । यदि मालिक की परिभाषा करके उसमें विवाद हल होने के समय तक के लिए उस अखबार को चलाने वाले व्यक्ति को 'मालिक' मान लिया जाये, तो यह व्यवस्था व्यवहारिक रहेगी क्योंकि खंड २(ङ) में जो यह कहा गया है कि स्वामित्व के बदलते ही अखबार को नया 'डिक्लेरेशन' प्राप्त करना होगा, उससे काफी उलझनें उत्पन्न हो जाने का भय है । मालिक की परिभाषा में उपरोक्त स्पष्टीकरण कर देने से मामला काफी साफ हो जायेगा और इससे अखबार के हित को भी कोई हानि नहीं पहुंचेगी। इसके अतिरिक्त इस उपबन्ध में और कोई दोष नहीं और इसका स्वागत होना चाहिए ।

तीसरी बात प्रस्तावित धारा ५ के नियम (४) के सम्बन्ध में है । इसका सम्बन्ध प्रकाशक और मुद्रक के ९० दिन तक अनुपस्थित रहने अथवा "असमर्थ" हो जाने के सम्बन्ध में है । "असमर्थता" या "दौर्बल्य" बड़ा ही अस्पष्ट शब्द है । प्रश्न यह है कि प्रकाशक अथवा मुद्रक की असमर्थता का निश्चय कौन करेगा ?

†**डा० केसकर :** मालिक ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** यदि अदालत इसका फैसला करेगी तो "डिक्लेरेशन" रद्द होने की कार्यवाही आरम्भ हो जायेगी । मेरा निवेदन है कि यह अच्छी बात होगी यदि यह व्यवस्था कर दी जाय कि यदि ऐसा कोई मामला किसी मजिस्ट्रेट के सामने आये तो उसे सम्बन्धित पक्ष को नोटिस देकर ही 'डिक्लेरेशन' को रद्द करने की कार्यवाही करनी चाहिए । नोटिस की बात बड़ी आवश्यक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० केसकर]

चौथी बात यह कि नियम ८ (ख) में व्यवस्था है कि कई मामलों में मजिस्ट्रेट 'डिक्लेरेशन' को अपने अधिकार से रद्द कर सकता है। सिद्धान्ततः तो यह बात ठीक है। परन्तु मैं इस बात पर जोर दूंगा कि नियम ८(ख)(१) के शब्दों को इतना स्पष्ट कर देना चाहिए कि यह साफ पता लगे कि यह नियम धारा ५ के अन्तर्गत ही है और धारा २० के अन्तर्गत बनाये गये औपचारिक नियम नहीं।

यह ठीक है कि अपील की व्यवस्था है, परन्तु अपील सुनने का अधिकार अदालतों को क्यों नहीं दिया गया ? उद्देश्य तथा कारणों में यह कहने के कोई कारण नहीं दिये गये कि अपील के लिए एक बोर्ड होगा, जिसका एक सभापति होगा और एक सदस्य। यदि इन दोनों में मतभेद हो जाय तो क्या होगा और चुनाव विधि की तरह इस मामले में भी अपील का अधिकार उच्च न्यायालय को दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के पास अधिक काम होने के कारण, यदि उस पर अधिक बोझ डालना ठीक नहीं समझा गया तो जिला न्यायाधीश की व्यवस्था हो सकती थी। खैर अब मंत्री महोदय को यह आश्वासन देना चाहिए कि इस बोर्ड का सभापति कोई न्यायिक अधिकारी होगा ताकि वह अपने अनुभव और योग्यता द्वारा मामलों पर निश्चित रूप से और निष्पक्ष राय दे सके। यह बात भी स्पष्ट हो जानी चाहिए कि यदि बोर्ड के सभापति और सदस्य में मतभेद हो जायेगा तो आगे क्या होगा। यह कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में सभापति का मत ही अन्तिम मत होगा।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरी बातों पर विचार करेंगे।

†**डा० केसकर :** मैं उन माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक के बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं। कुछ सदस्यों ने इस विधेयक के उपबन्धों का स्वागत किया है और कुछ सदस्यों ने इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद इसे प्रेस की स्वतंत्रता आदि के लिये घातक बताया है।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

मैंने प्रारम्भ में भी यह कहा था और अब भी यह दुहराता हूं कि यह विधेयक जिसका सम्बन्ध मुख्य रूप से समाचार पत्रों के मालिकों तथा प्रकाशकों से है, देश के प्रमुख प्रकाशकों एवं मालिकों की निकायों से अच्छी तरह चर्चा करने के पश्चात् तैयार किया गया है। इन निकायों में देश के सभी समाचार पत्र, छोटे तथा बड़े, आ जाते हैं। मैं श्री आचार को यह बताना चाहता हूं कि देश की विभिन्न भाषाओं के समाचार पत्रों ने इस विधेयक का हार्दिक स्वागत किया है। भारतीय भाषा समाचार पत्र संस्था तथा केरल न्यूजपेपर्स एसोसियेशन ने एक संकल्प पारित करके इस विधेयक तथा इसके सभी उपबन्धों का स्वागत किया है। हमने यह सामान्य सावधानी इसके बारे में इसलिये ली क्योंकि इसका उद्देश्य प्रेस तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम को अच्छा तथा अधिक प्रभावी बनाना है। इसके अतिरिक्त इसका और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है अतः हम यह चाहते थे कि प्रकाशक तथा वे व्यक्ति जिनका कि प्रतिदिन प्रकाशन से सम्पर्क रहता है यह बता सकें कि इस विधेयक का अमुक अमुक उपबन्ध ठीक नहीं है अथवा इसके कारण अनावश्यक देरी होगी अथवा इसके कारण समाचार पत्र की निरंतरता पर प्रभाव पड़ेगा अथवा इसी प्रकार की अन्य बातें होंगी, और इस आधार पर हम इस विधेयक में परिवर्तन कर सकें। और बहुत से उपबन्धों में उनके सुझावों के आधार पर हमने परिवर्तन भी किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय :** माननीय मंत्री महोदय अपना भाषण कल जारी रखें। अब हम दूसरा विषय लेंगे।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**सभापति महोदय :** अब हम राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रतिवेदन पर बहस करेंगे।

†**श्री सै० अ० मेहदी** (रामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड के वर्ष १९५८–५९ के वार्षिक प्रतिवेदन पर (लेखा-परीक्षित लेखे और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित) जो ११ मार्च, १९६० को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा को आरम्भ करने का अवसर दिया है। कोयला उद्योग देश के महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है क्योंकि इस पर हमारे बुनियादी उद्योगों की प्रगति निर्भर है। हमारे पास कोयले की कमी नहीं है, तथापि आवश्यकता इस बात की है कि उसका उपयोग उचित तरीके से किया जाय।

यह निगम १९५६ में ११ कोयला खानों से आरम्भ हुआ था। तदन्तर इसकी निरन्तर प्रगति होती जा रही है। निगम ने दूसरी पंच वर्षीय योजना के लिये पर्याप्त ऊंचा लक्ष्य रखा है, तीसरी योजना में इसके कार्य की और अधिक वृद्धि की जायेगी।

कोयले के खुदान का काम खतरों और बाधाओं से भरा हुआ है अतः हमें चाहिए कि हम उन सभी आधुनिक सुविधाओं का उपयोग करें जो हमें प्राप्त हो सकती हैं। हमें चाहिये कि हम श्रमिकों के काम करने की दशा में सुधार करें। प्रतिवेदन में बताया गया है कि २५०० खनिकों के तथा ५०० अन्य प्रकार के क्वार्टरों का निर्माण किया गया है। खनिकों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए यह कम है, मैं आशा करता हूं निगम इस ओर उचित ध्यान देगा।

जहां तक कोयले के उत्पादन का प्रश्न है, १९५५ में सरकारी क्षेत्र में ४० लाख टन कोयले का उत्पादन हुआ जो अब बढ़ कर ६० लाख टन हो गया है। इसका अधिकांश उत्पादन निगम के द्वारा हुआ है। इसी अवधि में गैर सरकारी क्षेत्र में ४०० लाख टन कोयले का उत्पादन हुआ है। आंकड़ों को देखने से ज्ञात होता है कि कोयले का उत्पादन १९५८ में घटा है, इसका कोई भी कारण प्रतिवेदन में नहीं दिया गया है। मेरा अनुरोध है कि सरकार को इस ओर सतर्क रहना चाहिये ऐसे समय जब कि देश में इस्पात तथा अन्य वस्तुओं के विशाल संयंत्रों की स्थापना हो रही है, कोयले का उत्पादन आवश्यक परिमाण में होना चाहिये जिससे कि उत्पादन पर इसका कोई कुप्रभाव न हो।

मेरा सुझाव है कि कोयला निगम को चाहिये कि वह उन गैर-सरकारी कोयला खानों का अधिग्रहण कर लेवे जो वित्तीय संसाधनों की कमी से कुशलतापूर्वक काम नहीं कर रहे हैं और फल-स्वरूप जिनका उत्पादन उनकी क्षमता से कम है। निगम को यह भी चाहिये कि तीसरी योजना के दौरान उच्च श्रेणी के कोयले की मांग को पूरा करने के लिये वह कोयला धोने के कारखानों की स्थापना करे। कोयले के पर्याप्त उत्पादन के बावजूद भी यह शिकायतें सुनने को मिलती हैं कि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सै० अ० मैहदी]

परिवहन की कठिनाइयों के कारण कोयला गन्तव्य स्थान पर समय से नहीं पहुंच सका है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये और इन कोयला खानों का परिवहन सम्बन्धी कार्य भी अपने हाथ में ले लेना चाहिये।

मंत्रालय को गैर-सरकारी कोयला खानों के कार्य पर निगाह रखनी चाहिये तथा कोयले की उपलब्धि तथा उसकी उत्पादन वृद्धि के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करनी चाहिये।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मैं मंत्री महोदय का अधिक समय नहीं लूंगा। मैं उनसे केवल यह जानना चाहता हूं कि ५ सितम्बर, १९५६ से राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने किस प्रकार कार्य किया है? सभा में दिये गये प्रतिवेदन के अनुसार तीसरी पंच वर्षीय योजना के लिये कोयला उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया है वह बहुत अधिक है, उसमें से कोयला विकास निगम ३ करोड़ टन कोयले का उत्पादन करेगा तथापि आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि निगम ने दूसरी पंच वर्षीय योजना के दौरान जो कार्य किया है उससे वह अपना लक्ष्य प्राप्त करने में अधिक सफल नहीं रहा है। दूसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में १२० लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, १३ मार्च, १९५८ को मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया कि १९५८ तक सरकारी क्षेत्र में कोयले का कुल उत्पादन केवल ५७.९३ लाख टन था। गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादन का लक्ष्य ४५३.४० लाख टन था जिसमें से कुल उत्पादन उस अवधि में ३९५.४७ लाख टन हुआ, इस प्रकार यद्यपि गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादन काफी अच्छा रहा लेकिन सरकारी क्षेत्र ने इस विषय में कोई विशेष प्रगति नहीं की है। इसका क्या कारण है इसके कारणों का उल्लेख करते हुए मैं एक दो उदाहरणों का उल्लेख करूंगा। इस निगम का उद्देश्य नई जमीनों में कोयला खानों की खोज करना और मध्य प्रदेश की बड़ी कोयला खानों को अधिग्रहण करना था, तथापि जांच करने वाले (स्क्रीनिंग) संयंत्र के पुराने हो जाने के कारण यह कार्य नहीं किया जा सका, अतः वर्तमान संयंत्र को बदलने की आवश्यकता है। इसी प्रकार यद्यपि कोरबा कोयला खानों के सम्बन्ध में रूसी विशेषज्ञों का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है, तथापि अभी तक उसकी जांच हो चुकी है या नहीं यह पता नहीं चल सका है, यह ज्ञात हुआ है कि कोयले की दरों के सम्बन्ध में कोयला विकास निगम और मध्य प्रदेश सरकार के बीच विवाद उठ खड़ा हुआ था। तथा निगम को कोई १० लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी है, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस मामले का स्पष्टीकरण करें।

करगली कोयला धोने के कारखाने की क्षमता ५५० टन प्रति घंटा है, तथापि इस क्षमता के केवल ५० प्रतिशत का ही इस समय उपयोग किया जा रहा है, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इसकी कुल क्षमता का उपयोग किन कारणों से नहीं किया जा सका?

कोयला बोर्ड का मुख्य कार्यालय कलकत्ता से रांची चला गया है, वहां कर्मचारियों को मकानों की कठिनाई हो रही है, अतः सरकार को चाहियें कि इन कर्मचारियों तथा कोयला खनिकों के लिये क्वार्टरों का उचित प्रबन्ध किया जाय। इस सम्बन्ध में भी शिकायतें प्राप्त हुई ह कि कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में उपयुक्त नियम नहीं है। स्थिति यह है कि सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को वह सुविधायें भी नहीं दी जाती है जो कि गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को उपलब्ध हैं। उदाहरणार्थ यद्यपि गैर-सरकारी क्षेत्र में खनिकों को क्वार्टर निःशुल्क दिये जाते हैं, सरकारी

†मूल अंग्रेजी में

क्षेत्र में उनसे २ रु० किराया लिया जाता है। अनुशासन संहिता जो पन्द्रहवें और सोलहवें भारतीय श्रम सम्मेलन में स्वीकृत की गई थीं, उसकी यद्यपि बहुत प्रशंसा की गई है तथापि उसे सरकारी क्षेत्र में लागू नहीं किया जा रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि यह संहिता सरकारी क्षेत्र में किस सीमा तक लागू की जायेगी।

अन्त में मैं यह बात पुनः दुहराना चाहता हूं कि जब राष्ट्रीय कोयला निगम की स्थापना हुई थी तो उस समय सरकारी क्षेत्र में १२० लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कोयला वाले क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम लागू किया गया। इसके अतिरिक्त और भी कई सुविधायें दी गईं। इतना होते हुए भी उत्पादन में यह कमी क्यों हुई, क्या सरकारी क्षेत्र अपने उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने में समर्थ होगा, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि कोयला विकास निगम की वह कठिनाइयां जिनके कारण उत्पादन कर आघात होता हो तत्काल दूर की जायें।

†**श्री मुरारका** (झुंझनू) : दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में १२० लाख टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। तथापि यह ज्ञात होता है कि इसका एक तिहाई से अधिक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। यह स्मरण रखना चाहिये कि योजना में निश्चित किये गये उद्योगों के लक्ष्य परस्पर एक दूसरे के आश्रित हैं, विशेषतः कोयले, विद्युत् और रेलवे इत्यादि के लक्ष्य, जिनका उद्योगों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ने की आशंका है। अतः कोयले के लक्ष्यों की प्राप्ति न होने से कई उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है।

सिंदरी कारखाने के उत्पादन में ५०००० टन की कमी हुई है। इसका कारण यह बताया गया है कि अच्छी श्रेणी का कोयला न मिलने के कारण और मशीनों के पुराने होने के कारण ऐसा हुआ है। इसके कारण हमें १.५ करोड़ रुपये की हानि हुई है। हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी के प्रतिवेदन में भी यह कहा गया है कि यदि कोयला धोने के तीनों प्रस्तावित कारखाने शीघ्र ही लागू नहीं होंगे तो इस्पात के तीनों कारखानों को कोयले का उचित संभरण नहीं हो सकेगा। अतः यह आवश्यक है कि कोयला धोने के तीनों कारखानों की स्थापना के लिये शीघ्र कार्यवाही की जाय। तथापि प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि इनकी स्थापना १९६२ से पहिले नहीं हो सकेगी। इतना ही नहीं करगली कोयला धोने के कारखाने की केवल ६०–६५ प्रतिशत क्षमता का ही प्रयोग किया जा रहा है? यह समझ में नहीं आता कि उसकी पूरी क्षमता के उपयोग न किये जाने का क्या कारण है? करगली के संबंध में लेखा परीक्षकों ने अपने प्रतिवेदन में अच्छी राय प्रगट नहीं की है, उन्होंने कहा है कि कुछ टैक्नीकल त्रुटियां भी थीं। इसके उत्तर में निगम के निदेशकों ने जो कुछ कहा है वह दुखपूर्ण है। उन्होंने प्रतिवेदन में इस आरोप का उत्तर देते हुये कहा है कि इस कोयला धोने के कारखाने का उद्देश्य हिन्दुस्तान स्टील कारखाने को कोयले का संभरण करना था, अतः उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही उसका उत्पादन बढ़ाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझ कर उत्पादन कम रखने का प्रयत्न किया गया हो।

तीसरी परियोजना के परिच्छेद ११ पृष्ठ २०५ में कहा गया है कि कोयला धोने के कारखानों की क्षमता का उपयोग न होने और उनकी स्थापना में विलम्ब होने के कारण देश में इस्पात उद्योग का उचित विकास नहीं हो सका। अतः निगम को चाहिये कि वह इस मामले में बहुत सतर्क रहे कि इन तीनों इस्पात के कारखानों की आवश्यकता की पूर्ति में कमी न होने पावे। विशेषतः करगली के कोयले की पूरी क्षमता का उपयोग करने का भरसक प्रयत्न किया जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुरारका]

इसके अतिरिक्त कांच, सोडा और ऐश और सीमेंट के उद्योगों को भी कोयले में उत्पादन की कमी के कारण असर पहुंचा है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री कोयला संसाधनों के विकास में व्यक्तिगत रूप से रुचि लें अन्यथा इससे उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका है।

अब मैं निगम के लाभ हानि के लेखे को लेता हूं। प्रतिवेदन में कहा गया है कि जिन कोयला खानों से हानि होती थी उनसे कम हानि हुई और जिनसे लाभ होता था उनसे अधिक लाभ हुआ। यदि अधिक लाभ और कम हानि के लेखों को जोड़ा जाय तो कुल राशि ३८ लाख है, जब कि प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि कुल लाभ केवल ८.७२ लाख रुपये हुआ।

निगम के लाभ और हानि के लेखे में कुछ राशियों के संबंध में लेखा परीक्षकों ने भी आपत्ति की है। मैं उनको सभा के सम्मुख रखना चाहता हूं। उदाहरणार्थ केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई सेवाओं के अधीन १८,७९,६९० रु० की राशि रखी गई है। यह नहीं कहा गया है कि यह राशि केन्द्रीय सरकार वसूल करेगी या नहीं। वास्तव में इसे व्यय में दिखाना चाहिये था। इसी प्रकार ७.२३ लाख रुपये की राशि है यह मुख्य कार्यालय का प्रशासनिक व्यय है, इसे पूंजी व्यय के अधीन दिखाया गया है, जबकि इसे राजस्व व्यय में दिखाना था। इसी प्रकार अस्थगित व्यय के सिलसिले में दिये जाने वाले ब्याज की राशि को भी पूंजी लेखे के अन्तर्गत दिखायी गयी है जब कि इसे राजस्व लेखे के अन्तर्गत दिखाना चाहिये था। यदि हम इन सब बातों को शामिल करें तो ज्ञात होगा कि निगम को विशुद्ध हानि हुई है ।

यह कहा गया है कि निगम के कुछ अधिकारी अमेरिका गये और वहां से ३२,८८,८२७ लाख डालर के उपकरणों को वह केवल १,०५,५२२ डालरों में लाने में समर्थ हुये। मैं इस बचत के लिये निगम के अधिकारियों और प्रबन्धकों को धन्यवाद देता हूं ।

तीसरी योजना में हमने ९७० लाख टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। दूसरी योजना में हमारे उत्पादन का लक्ष्य ६००० लाख टन था जिसमें से हम ५३० से ५४० लाख टन तक कोयला उत्पादन करन में समर्थ होंगे। इस प्रकार हम तीसरी योजना की अवधि के दौरान ३७० लाख टन कोयले का उत्पादनकरना होगा। इसमें २१० लाख टन कोयले का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में और १६ लाख टन का गैर-सरकारी क्षेत्र में होगा। माननीय मंत्री महोदय को चाहिये कि वह इस बात की पूरी कोशिश करें कि तीसरी योजना में रखे लक्ष्य पूरे हों, इस संबंध में प्रतिवर्ष उन्हें यह देखना चाहिये कि क्रमशः उत्पादन में प्रगति होती है या नहीं ?

महालेखा परीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में यह आरोप लगाया है कि इस निगम की सम्पत्ति का बीमा नहीं किया गया ह यह एक संविहित निगम है, इसकी सम्पत्ति का तत्काल बीमा करना चाहिये। लेखा परीक्षक ने यह भी आरोप लगाया है कि पुरानी बकाया राशि को वसूल करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। पिछले तीन वर्षों से ४४ लाख रुपये की राशि बकाया में पड़ी हुई है। मैं आशा करता हूं कि इस राशि को वसूल करने की तत्काल कार्यवाही की जायेगी ।

लेखा परीक्षकों ने इस बात पर भी आपति उठाई है कि निगम से सम्पति कर लेने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है इसका कारण यह है कि निगम की सम्पति और आस्तियों का अभी तक निर्धारण नहीं किया गया है, यह कहा गया है कि कुछ प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयों के कारण ऐसा करना संभव नहीं हो सका है, इसके प्रत्युत्तर में प्रतिवेदन में कहा गया है कि आस्तियों की कीमतों का निर्धारण हो जाने के पश्चात् ही वह निगम के अंशों के लागत

में परिवर्तन करेंगे । वस्तुतः सरकार को निगम को कोई वस्तु देने के पूर्व ही उसके मूल्य का निर्धारण कर लेना चाहिये । जब तक ऐसा न हो तब तक उस संपत्ति को ऋण के रूप में मानना चाहिये न कि पूंजी के रूप में । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री निगम के अध्यक्ष से इस स्थिति का स्पष्टीकरण मांग कर उसमें उचित सुधार करेंगे । अब मैं परिवहन की सुविधाओं को लेता हूं । इन सुविधाओं की कमी के कारण कई खानों का तेजी से विकास नहीं हो रहा है । अतः यह आवश्यक है कि जब सरकार तीसरी योजना के लिये कोयले तथा रेलवे के लक्ष्य निर्धारित करे तो उनमें परस्पर संतुलन हो तथा वे वास्तविक स्थिति के आधार पर निश्चित किये जांय ।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री उक्त विषयों पर उचित ध्यान देगें जिससे कि ६०० या ७०० करोड़ रुपयों की लागत से स्थातित किये जाने वाले इस्पात संयंत्र केवल कोयले की कमी के कारण बन्द न हो जांय ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : श्रीमान्, यूरोप के सामान्य मंडी वाले देशों में कोयले का उत्पादन आजकल ५ प्रतिशत से घटाकर १२ प्रतिशत तक कम किया जा रहा है । परन्तु हमारे यहां कोयले का अभाव है । अभाव इस कारण नहीं कि देश में कोयला नहीं अपितु इस कारण है कि हमारे देश में कोयला निकालने तथा उसे दूर दूर तक ले जाने की समुचित व्यवस्था नहीं है ।

प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि हम नयी तथा पुरानी खानों से उतना कोयला नहीं निकाल सके हैं जितना कि हमने निश्चित किया था । द्वितीय योजना के अन्त तक ६०० लाख टन कोयला प्रतिवर्ष निकालने का लक्ष्य निर्धारित हुआ था ; इसमें से २६ लाख टन कोयला सिंगारेनी की खान से निकाला जाना था । परन्तु गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों में कम उत्पादन हुआ है । पुरानी ११ खानों में से ५ खानें नुकसान में चल रही हैं और नयी खानों में से भी आधा उत्पादन हुआ है ।

कम उत्पादन के लिये चार कारण बताये गये हैं अर्थात् रेलवे परिवहन की सुविधाओं है की कमी, बिजली की कमी, कोयला खोदने की मशीनरी की कमी तथा अच्छे खनिकों की कमी । जहां तक परिवहन का सम्बन्ध है, रेलवे विभाग से कहा जाना चाहिये कि वह कोयला क्षेत्रों में परिवहन की पर्याप्त सुविधायें दें । इस समय भूरकुंड तथा कुर्सिया की खानों में इसी कठिनाई के कारण उत्पादन बन्द है । बिजली की कमी को मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड पूरा करे ताकि कोरबा क्षेत्र का काम ठीक ढंग से चले । जहां तक मशीनरी का सम्बन्ध है दूसरी योजना में २० करोड़ रुपये की मशीनरी की आवश्यकता है परन्तु अभी तक ११ करोड़ रुपये की मशीनें आयी हैं । इस कमी को भी पूरा किया जाना चाहिये ।

इसके अलावा हमें कुल ४०,९५० खान कर्मचारियों की आवश्यकता है । किन्तु सरकार ने कर्मचारियों के प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की है । यद्यपि धन आबाद, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में खनिज के विषय में अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाने लगी है तथापि इससे हमारी ३०/३५ प्रतिशत आवश्यकता ही पूरी की जा सकती है... इससे अधिक नहीं । मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संख्या को बढ़ायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अरविन्द घोषाल]

हमें इस्पात के कारखानों के लिये कोयले की बड़ी आवश्यकता है । किन्तु हम अब तक केवल एक ही कोयला धोने का कारखाना लगा पाये हैं । यदि रूसी सहायता से सरकार कोरबा में भी कोयला धोने का कारखाना लगा दे तो इससे स्थिति में काफी सुधार हो सकता है ।

जहां तक सिंदरी के उर्वरक के कारखाने के उत्पादन की कमी का सम्बन्ध है, उस विषय में, मैं तो यही कहूंगा कि उत्पादन की कमी कोयले की कमी के कारण नहीं हुई बल्कि उत्पादन कोयले की किस्म के निर्धारण के झगड़े के फलस्वरूप कम हुआ है। सिंदरी के रासायनिक तथा खान प्रबन्धकों में इस प्रकार का झगड़ा नहीं होना चाहिये । यद्यपि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के काम में त्रुटियां हैं, तथापि इसने थोड़ी बहुत प्रगति अवश्य की है जिसके लिये मैं इसे धन्यवाद देता हूं ।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : कोयला विकास निगम की प्रगति को हम योजना में निर्धारित लक्ष्यों की दृष्टि से ही आंक सकते हैं । योजना के अनुसार कोयले का अधिक उत्पादन करना हमारे देश के लिये बहुत आवश्यक है ।

दूसरी योजना के लिये ६०० लाख टन कोयला प्रतिवर्ष निकाले जाने का लक्ष्य निर्धारित हुआ था । गैर-सरकारी क्षेत्र को १०० लाख टन तथा सरकारी क्षेत्र को १२० लाख टन कोयला और ज्यादा निकालना था । किन्तु मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि अभी तक सरकारी क्षेत्र के निर्धारित लक्ष्य का २५ प्रतिशत कोयला ही निकाला जा सका है । यह बड़ी शोचनीय दशा है । नयी खानों से अब तक केवल ५ लाख टन कोयला ही निकलने लगा है । इस गति से हम कहीं भी पहुंच नहीं पायेंगे । आपको याद होगा मैंने कई बार सभा में बताया है कि सरकारी क्षेत्र कुछ भी प्राप्त न कर सकेगा परन्तु माननीय मंत्री बार बार हमें आशायें दिलाते रहे हैं ।

सरकार को यह भी तुरन्त तय कर लेना चाहिये कि क्या उन खानों को जारी रखना राष्ट्र के हित में होगा जिनको घाटे में चलाया जा रहा है । इस पर शीघ्र ही निर्णय किया जाना चाहिये ।

भूरकुंड कोयले की खान में काफी कोयला है किन्तु अभी तक वहां से केवल ५०,००० टन कोयला प्रति मास निकाला जा रहा है । इस खान से अधिक कोयला निकालने की व्यवस्था करनी चाहिये । इसके साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि प्रत्येक खान के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाये ताकि पता चल सके कि वास्तविक प्रगति कितनी हो रही है ।

पुरानी खानों के कोयले से ३२ लाख रुपये का लाभ हुआ था परन्तु निगम का सारा लाभ २२ लाख रुपये है, अतः इससे यही परिणाम निकलता है कि नयी खानों में १० लाख रुपये का घाटा चल रहा है । इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री को ध्यान देना चाहिये ।

निगम के हिसाब किताब पर लेखापरीक्षकों ने बहुत आपत्तियां की हैं । यदि इतनी आपत्तियां किसी गैर-सरकारी फर्म के लेखे पर हो जाती तो निदेशक शर्म से गड़ जाते । खैर कुछेक आपत्तियां गंभीर हैं । बताया गया है कि अभी तक नियमित खानों की आस्तियों

---

†मूल अंग्रेजी में

तथा दायित्वों का ही मूल्यांकन नहीं किया गया । यह बड़े दुःख की बात है । यदि मंत्री महोदय काम में थोड़ी रुचि ले लें तो इनका मूल्यांकन एक आध दिन में भी हो सकता है।

लेखा-परीक्षकों ने लिखा है कि कर्गली के कोयला धोने के कारखाने में अभी ५५ प्रतिशत तक का ही काम हो रहा है । कारखाने वालों ने उत्तर में इस बात को अपरोक्ष रूप से स्वीकार करते हुए कहा है कि चूंकि वे केवल हिन्दुस्तान स्टील को ही कोयला देते हैं इसलिये उतने ही उत्पादन करते हैं । इस तरह हमें सन्देह होता है कि शायद वास्तविकता कुछ और ही हो। इस सम्बन्ध में भी हम सारी स्थिति जानना चाहते हैं। हमें यह भी बताया जाये कि शेष तीन कोयला धोने के कारखाने कब तक खोले जायेंगे । इसी प्रकार कुछ कागजात को लेखापरीक्षक देख ही न सके क्योंकि वे अभी तक संभरण तथा उत्सर्जन निदेशालय में पड़े हुए हैं । बड़ी विचित्र स्थिति है निगम के लेखे की। और भी अनेक आपत्तियां लेखा-परीक्षकों ने की हैं ।

निगम की लाखों रुपयों की मशीनरी का अभी तक बीमा नहीं हुआ है । इस दिशा में भी सरकार को देखना चाहिये और यदि कोई रास्ता निकले तो सारी मशीनरी का बीमा करवा देना चाहिये। इन सब चीजों के बावजूद मैं आशा करता हूं कि निगम तीसरी योजना का निर्धारित लक्ष्य शायद प्राप्त कर सकेगा ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

दूसरी योजना के अन्त तक भी हम जो कुछ कर सकें उसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि उत्तर प्रदेश से इसका कोई खास सम्बन्ध नहीं है लेकिन फिर भी वहां की जो लेबर कोल माइंस में लगी हुई है उससे इसका सीधा सम्बन्ध है। गोरखपुर से तथा पूर्वी क्षेत्र से काफी मजदूर इस कोल के प्रोडक्शन में लगे हुए हैं और जहां तक मुझे पता है, उनकी दक्षता बहुत अधिक है । मैंने अभी इस रिपोर्ट को देखा है और देखने के बाद मुझे आश्चर्य हुआ है कि जहां पर गवर्नमेंट का, सरकार का करीब १९ करोड़ रुपया लगा हुआ है, जो कि कर्ज के रूप में दिया गया है और करीब ९ करोड़ रुपया शेयर कैपिटल में लगा हुआ है और इस तरह से करीब २८ करोड़ रुपया लगा हुआ है वहां पर भी घाटा पड़ रहा है । जो प्राफिट एंड लास एकाउंट है उसको देखा जाये तो पता चलेगा कि ६,४९,८६४ रुपया घाटा ही है । हम देश में सोशलिस्टिक पेटर्न आफ सोसाइटी की स्थापना करना चाहते हैं और शनैः शनैः शायद यह गवर्नमेंट का विचार भी है कि अधिक से अधिक इस तरह के काम सरकारी क्षेत्र में लिये जायें ।

मैंने बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को देखा है। १९५८ में उनकी कुल सदस्य संख्या आठ थी । उनमें से पांच आई० सी० एस० थे और तीन बाहरी थे। उनमें एक लेबर रिप्रेजेंटेटिव भी था जिनका नाम श्री कान्दी प्रसाद मेहता है । यह भी नहीं कहा जा सकता है कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ऐसे आदमियों का है जो दक्ष नहीं हैं। हर काम में आई० सी० एस० को लेते हैं चाहे कोल का क्षेत्र हो, चाहे कचहरी हो और चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो और चाहे और कोई काम हो । यहां तक कि छागला साहब को भी एक बार यह रिपोर्ट करना पड़ा था कि जिनको उस काम का अनुभव भी नहीं होता है उनको भी उसके लिये रख लिया जाता है । जो भी हो, इतने विशिष्ट व्यक्तियों का बोर्ड आफ डायरेक्टर्स होते

[श्री सिंहासन सिंह]

हुए भी, हमारा काम कुछ आगे नहीं बढ़ा है। इतना ही नहीं बल्कि जो टारगेट सेकिंड फाइव यीअर प्लान का था ६० मिलियिन टन हम हर साल प्रोड्यस करेंगे उसमें इस सेक्टर को १६ मिलियन टन मिला है और जो आपकी रिपोर्ट है उसको देखने से पता चलता है कि १९५९-६० में आपने केवल २२ लाख ६४ हजार टन पैदा किया। यदि प्रगति की यही रफ्तार रही तो यह सैक्टर अपने १६ मिलियन टन के टारगेट को पूरा कर लेगा, इस पर आपको ध्यान देना है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह लेबर के बारे में है। गोरखपुर लेबर इनक्वायरी कमेटी के सिलसिले में मुझे भी कुछ खानों को देखने का मौका मिला है। मैंने देखा कि सी० आर० ओ० की लेबर आपके यहां बहुत कम है, नगण्य रूप में ही है। दो चार दस आदमी कहीं हो सकते हैं। वहां पर दो तीन कोल माइंस को मैंने देखा है और पाया है कि वे सब मैकेनाइज्ड हैं। काफी बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी वहां पर लगी हुई है और लेबर की संख्या, हाथों की संख्या बहुत ही कम है। इस चीज को देख कर मुझे बहुत दुःख हुआ है। हमारे देश में इतनी बेकारी है, इतने आदमी भूखों मर रहे हैं, और कभी कभी ट्रस्ट वर्क्स शुरू करने तक की नौबत आ जाती है और उनको खिलाना पड़ जाता है, कि कुछ ठिकाना ही नहीं। और इतनी बेकारी के होते हुए भी जब सरकार करोड़ों रुपया खर्च करके बाहर से मशीनें मंगाती है और यहां के लोगों को बेकार करती है, तो आश्चर्य होता है और यह कोई हमारे लिये सुन्दर बात प्रतीत नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे।

मैंने देखा है कि प्राइवेट सैक्टर की जो कम्पनियां हैं वे भीतर से खोद कर के सीधे कोयला निकालती हैं लेकिन सरकार द्वारा जो कोयला निकाला जाता है वह सीमा बना करके निकाला जाता है। सरकार द्वारा जितना निकाला जाता है वह पहाड़ को साफ करके, तोड़ करके, मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह फेंक करके कोल को सीधा सतह पर लाया जाता है। फिर उखाड़ते हैं और पहाड़ को इकट्ठा करके उस गड्ढे को भरते हैं। इस तरह से डबल खर्चा पड़ता है। मशीन के द्वारा पहाड़ तोड़ा, ट्रक्स से ऊपर ले गये और फिर जो कोयला निकला वह गड्ढे को भर कर के और बराबर कर के निकाला। इस तरह से डबल खर्चा होता है। इसीलिये हो सकता है कि मुनाफा भी न होता हो।

मैं प्राइवेट कम्पनीज़ में गया हूं और उनसे मैंने मैकेनाइजेशन के बारे में बात की है। उनके मेनेजर्स ने मुझे बताया है कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट को तो मैकेनाइज़ किया है मगर कोल रेंिग को मैकेनाइज़ नहीं किया है। इसका कारण उन्होंने यह बताया कि आदमियों की सहायता से हम उतना ही काम कर सकते हैं जितनी कि मशीन की सहायता से कर सकते हैं और ज्यादा इकोनोमिकली कर सकते हैं। चूंकि ट्रांसपोर्ट के मामले में आदमी उतना ला और ले जा नहीं सकता है इस वास्ते इसको मैकेनाइज किया है, और रेल से या ट्रंको से या बसों से जब इसको ले जाया जाता है और स्टेशन पर पहुंचाया जाता है तो यह ज्यादा अच्छा रहता है। इस वास्ते इसको मैकेनाइज़ किया है। लेकिन जहां तक कोल रेनिंग का काम है वह ह्यूमन हैंड कर सकता है और चूंकि लाखों और करोड़ों की संख्या में लोग इस काम के लिये मिल जाते हैं, इस वास्ते इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने भी ऐसा ही न करके एक मसला खड़ा कर लिया है और हमें बहुत दिक्कत उठानी पड़ रही है।

अभी कुछ दिन पहले यहां सदन में बताया गया था कि नैशनल इनकम ४२ प्रतिशत बढ़ा है। वह कहां गया हमको और आपको इसका कुछ पता नहीं है। अगर इन लोगों को काम दिया जाय

तो ये दूर दूर तक जाकर भी काम करने के लिये तैयार हैं और उनकी आमदनी इस तरह से बढ़ भी सकती है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक ह्यूमन हैंड्स को लगाया जाए और मशीन का आसरा न लिया जाए। एक बार अगर मशीन खराब हो जाती है तो लाखों रुपये का नुकसान हो जाता है। अगर आदमी बीमार भी पड़ जाए तो बहुत ही कम नुकसान होता है। तो मैं चाहता हूं कि इस काम को दो हिस्सों में बांटा जाए। मशीन से भी काम लिया जाए और ह्यूमन हैंड्स से भी लिया जाए। आपने कहा है कि आप १८ करोड़ की मशीनें मंगा रहे हैं, इनमें जो आ गई हैं वे तो काम में लगाई जा सकती हैं लेकिन जो नहीं आई हैं, उनको आप ने मंगायें। जो मशीनें आ गई हैं उनसे जितना काम लिया जा सकता है लिया जाए और बाकी काम ह्यूमन हैंड्स से लिया जाए।

मैं एक और चीज़ की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपको मालूम ही है कि सी० आर० ओ० द्वारा लेबर का रिक्रूटमेंट होता है। वह लेबर काफी एफिशैंटली काम करती है और उसका जो आउटपुट है वह दूसरी लेबर से अच्छा होता है। जितने भी कोल माइंस के प्रोप्राइटर्स हैं उन सभी ने मुझे बताया है कि यह लेबर बहुत अच्छा काम करती है। मुझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सरकारी विभागों में वे आदमी बहुत ही कम संख्या में हैं ? उनको सरकार क्यों नहीं रखती है। ये लोग बहुत एफिशैंटली काम करते हैं और मैं चाहता हूं कि गोरखपुर रिक्रूटिंग डिपू से आदमी लिये जायें। यदि आपने ऐसा किया तो जो पर कैपिटा प्रोडक्शन है वह दूसरी स्थानीय लेबर से अच्छा हो सकता है। यह लेबर कठिन से कठिन सीम में, छोटी छोटी सीम में भी काम कर सकती है और करने की आदी है। इस वास्ते यह आपके हित में होगा अगर आपने सी० आर० ओ० लेबर को अधिक से अधिक संख्या में लिया और इसके साथ ही इसका एक यह लाभ भी होगा कि हमारे यहां जो लोग बेकार हैं उनको काम मिल सकता है।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा जो कार्य किया जाए वह आदर्श कार्य होना चाहिये। अगर कोई इसकी तरफ उंगली उठा कर देखता है तो यह बहुत दुःख की बात होगी। आज जो प्राइवेट सैक्टर है वह इनकम टैक्स भी देता है सुपर-टैक्स भी देता है। और यह सब कुछ देने के बाद भी मुनाफा करता है। लेकिन सरकारी सैक्टर जो यह सब कुछ नहीं देता और फिर भी घाटा उठाता है तो यह बात समझ में नहीं आती है।

अगर हमने सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की स्थापना करनी है तो बहुत सा कारोबार हमें अपने हाथ में लेना होगा। रशिया में आपने देखा है कि श्री ख्रुश्चेव ने एनाउंस किया है कि वहां पर टैक्स नहीं लगेंगे, इंडस्ट्रीज को टैक्स फ्री कर दिया है, यानी इंडिविजुअल टैक्स नहीं रह गया है। वहां पर खुद स्टेट इंडस्ट्री से आमदनी कर रही है। हमारे यहां भी किसी न किसी दिन ऐसा ही हो सकता है और यह डेमोक्रेटिक तरीके से सम्भव भी हो सकता है। हो सकता है कि स्टेट व्यवसाय में पड़ कर उससे होने वाली आमदनी से अपना काम चला ले। लेकिन अगर स्टेट किसी व्यवसाय में पड़ कर घाटा उठाती है तो यह ठीक नहीं है। हमें चाहिये कि जो भी काम हम करें वह एफिशैंटली करें और जो भी इंडस्ट्री चलायें एफिशैंटली चलायें और प्राफिट में चलायें, इकोनोमिकली चलायें ताकि प्राइवेट सैक्टर भी वैसा ही करने की प्रेरणा हासिल कर सके।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : विषय पर कहने से पूर्व मैं सभा का ध्यान एक महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे देश की सरकारी कम्पनियों में गैर-सरकारी कम्पनियों के सै सारे दोष मौजूद हैं और क भी गुण नहीं है। मैं यह नहीं चाहता कि सरकारी कम्पनियों

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राजेन्द्रसिंह]

सरकारी विभागों के स्तर पर चलें पर मेरा उद्देश्य यह है कि वित्तीय दृष्टि से वे संसद को उत्तरदायी हों।

हमारे सामने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का प्रतिवेदन है। इस प्रतिवेदन से आप कोयले के उत्पादन के लक्ष्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं परन्तु आपको यह पता नहीं चल सकता कि निगम ने किस आधार पर अनुमान लगाया तथा रुपया किस आधार पर व्यय किया। चूंकि निगम के काम में जनता का रुपया लगाया जाता है इसलिये इस सभा को हक होना चाहिये कि वह देख सके कि अनुमान तथा व्यय आदि का कार्य व्यापारिक आधार पर किया जाता है अथवा नहीं। यदि इस सभा को यह हक न मिलेगा तो इसे हम प्रजातंत्र पर कुठाराघात समझेंगे। इसलिये सरकार को कोई ऐसा तरीका निकाल लेना चाहिये जिससे कि सभा वित्तीय स्थिति का ज्ञान प्राप्त करती रहे। यदि ऐसी व्यवस्था न हुई तो एक दिन जनता का विश्वास सरकारी संस्थाओं से उठ जायेगा।

जहाँ तक निगम की सफलताओं का सम्बन्ध है, उसके बारे में मुझे निराशा नहीं है। मैंने निगम द्वारा चलाई जा रही खानों को देखा है। हर नये काम में कठिनाइयाँ आती हैं और साज सामान की उपलब्धि न होने के कारण भी लक्ष्य की पूर्ति देर से होती है। इस सब के बावजूद निगम की सफलता सराहनीय है। यहां पर मैं निगम को यह सुझाव देना चाहता हूं कि नई खानों के विकास की बजाय निगम को इस समय चालू खानों से ही अधिकाधिक कोयला निकालने का प्रयास करना चाहिये।

इस समय प्रशिक्षित खनिकों का भारी अभाव है। इसलिये अन्य बातों के साथ साथ सरकार को प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं का भी विकास करते रहना चाहिये। खान कर्मचारियों में मुझे बिहारियों की संख्या काफी कम लगी अतः मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि बिहारियों के लिये भी उपयुक्त अवसर प्रदान किये जायें।

अन्त में मैं एक बात केवल यही कहूंगा कि यद्यपि आई० सी० एस० अधिकारी योग्य होते हैं परन्तु योग्यता का सारा भंडार उन्हीं के पास नहीं है। सार्वजनिक निगमों में अन्य योग्य व्यक्तियों के अनुभव का लाभ भी सरकार को उठाना चाहिये।

†**इस्पात, खान तथा ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : स्वभावतः यह वाद-विवाद निगम के वार्षिक प्रतिवेदन तक ही सीमित न रहा वरन् और भी महत्वपूर्ण विषयों के बारे में भी यहाँ पर कुछ विचार प्रकट किये गये। इससे स्पष्ट है कि माननीय सदस्य कोयले के मामले में काफी रुचि लेते हैं। मेरे लिये एक एक बात का उतर देना संभव न होगा इसलिये कुछ बातों के बारे में मैं सामान्य वक्तव्य दूंगा।

लक्ष्यों की प्राप्ति के बारे में कई एक सदस्यों ने कहा। उत्पादन की कमी पर सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की और प्राकृतिक रूप से उन्होंने यह जानने की इच्छा भी व्यक्त की कि इस योजना के अन्त तक उत्पादन की स्थिति क्या होगी। इस कारण सर्व प्रथम मैं इसी विषय पर कुछ कहूंगा।

दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सरकारी क्षेत्र को १२० लाख टन कोयले के उत्पादन की वृद्धि करनी है। इसमें से सिंगरेनी की खान से १५ लाख टन कोयला और निकाला जाना है

---

†मूल अंग्रेजी में

और शेष १०५ लाख टन कोयला निगम के जिम्मे है। हम आशा करते हैं कि सिंगारेनी की खान से निर्धारित कोयले की मात्रा निकाली जानी संभव होगी। यद्यपि निगम भी, योजना के अन्त तक अपना लक्ष्य पूरा कर लेगा तथापि कुछ कारणों से इसके उत्पादन में कुछ महीनों की देर हो जाना संभव है। नवीनतम अनुमान के आधार पर हम यह समझते हैं कि नयी तथा पुरानी दोनों प्रकार की खानों से हम कोयले की अतिरिक्त निर्धारित मात्रा का उत्पादन करने मे सफल हो जायेंगे। शायद हमें आठ दस महीने ज्यादा भी लगें। इस देरी से माननीय सदस्यों को चिंतित नहीं होना चाहिये क्योंकि नयी योजनाओं में सफलतापूर्वक काम करने के रास्ते में काफी कठिनाइयाँ आती हैं।

विभिन्न खानों से हमें जितना कोयला निकालना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी देना भी मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं ताकि सभा को निश्चित रूप से ज्ञात हो जाय कि हमने कितनी आशा प्रत्येक खान से लगा रखी है। यदि हम वर्तमान अनुमान के आधार पर मार्च, १९६१ तक के कार्यक्रम को देखें तो उस आधार पर उत्पादन में ६० लाख टन कोयले की कमी रहेगी। अर्थात् मार्च १९६१ तक हम ५४० लाख टन कोयले का उत्पादन कर सकेंगे। गैर-सरकारी क्षेत्र में मार्च, १९६१ तक १५ लाखटन कोयले के उत्पादन की कमी रहेगी। और सरकारी क्षेत्र में कोई ४५ लाख टन की। किन्तु सरकारी क्षेत्र के उत्पादन के बारे में सब से महत्व की चीज यह है कि मार्च, १९६१ तक वह सारा साजसामान स्थापित कर दिया जायगा जो उत्पादन के लिए आवश्यक होता है और फिर उस के पश्चात् अधिक पूंजीगत व्यय करने की आवश्यकता न पड़ेगी। इसी कारण, इन सारी कठिनाइयों पर दृष्टि रखते हुए ही मैं ने कहा है कि सम्भवतया आठ या दस महीने का अन्तर पड़ जाय। १९६१ के अंत तक यह कमी पूरी कर दी जायगी।

जो मासिक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उनकी सूचना मैं सभा को दूंगा। पुरानी खानों के लिए लक्ष्य २,८२,००० टन तक है। इस के बाद नयी तथा पुरानी खानें आती हैं अर्थात् जहां पुरानी खानें चालू हैं और नयी भी चालू कर दी गयी हैं। भूरकुंड तथा कुर्सिया की खानें इसी कोटि में आती हैं। भूरकुंड के लिए एक लाख टन मासिक का लक्ष्य रखा गया है और कुर्सिया के लिए भी एक लाख टन का लक्ष्य रखा गया है।

इस के पश्चात् तीसरी कोटि में नयी खानें आती हैं। उन के बारे में निम्नमासिक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :—

	टन
कठारा	१,२५,०००
गिदी "क"	१,२७,०००
सौंदा	१,०१,०००
सायल	४५,०००
बचरा	५०,०००
सायल "क"	२५,०००
गिदी "ग"	३३,०००
कोरिया	२०,०००
कोरबा	१,१६,०००
विश्रामपुर	१६,०००

[सरदार स्वर्ण सिंह]

आशा है कि हम १९६१ के अन्त तक उपर्युक्त खानों में से इतना उत्पादन करने लगेंगे। ये सारी खानें सरकारी क्षेत्र में हैं।

अब मैं मार्च, १९६१ तक प्राप्त किये जाने वाले मासिक लक्ष्यों के आंकड़े भी दूंगा। पुरानी खानों से हम २,८२,००० टन कोयला निकालना चाहते हैं।हमें विश्वास है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अन्य खानों के निर्धारित लक्ष्य ये हैं :—

	टन
भूरकुंड, नयी तथा पुरानी खानें . .	८०,०००
कुर्सिया, नयी तथा पुरानी खानें . .	१,००,०००
कठारा . . .	१,००,०००
गिही "क" . . .	७५,०००
सौंदा	१,००,०००
सायल 'घ"	४५,०००
बचरा	४०,०००
गिदी "ग"	३३,०००
कोरबा	५५,०००
कोरिया, ब्लाक १	२०,०००

कुल मिलाकर यह ९,३०, ००० टन बैठता है। शायद बचरा की खान में कुछ कठिनाई "रूफिंग" के बारे में हो ऐसी भी छोटी मोटी कठिनाई अन्य खानों के बारे में भी हो सकती है। इस कारण मैं ने उत्पादन के आंकड़ों को काफी कम करके बताया है अर्थात् यह कहा है कि मार्च, १९६१ तक शायद एक मास में ८० लाख टन कोयले का उत्पादन होने लगे। ये आंकड़े निगम के नवीनतम अनुमान पर आधारित हैं और उसने ही इन्हें हमारे पास भेजा है। टेक्निकल विशेषज्ञों ने इसकी जांच पड़ताल कर ली है। दूसरी योजना के सम्बन्ध में इतनी ही बात है।

तीसरी योजना में रखे गये लक्ष्य का जिक्र भी किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर सामान्य लोगों की भी दिलचस्पी है, अतः मैं इसे स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा।

तीसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के मसौदे में यह कहा गया है कि अस्थायी रूप से कोयला उत्पादन का लक्ष्य ९५० लाख टन रखा गया है। इस में बोकारो के लिये निश्चित २० लाख टन शामिल नहीं है, उसे भी शामिल कर कुल लक्ष्य ९७० लाख टन हो जायगा। यदि हम बोकारो के लिये आवश्यक कोयले को, जो पूर्णरूपेण धातुकर्मिक कोयला होगा, पृथक रखें तो भी हमें ३५० लाख टन अतिरिक्त कोयले का उत्पादन करना होगा। मैं आशा करता हूं कि ६०० लाख टन का लक्ष्य तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ के कुछ ही समय के अन्दर प्राप्त कर लिया जायेगा, अतः ३५० लाख टन का लक्ष्य अस्थायी रूप से रखा गया है। हम अनुभव करते हैं कि १५० से १६० लाख टन गैर-सरकारी क्षेत्र में और १९० से २०० लाख टन सरकारी क्षेत्र के लिये निर्धारित करना उचित होगा।

सरकारी क्षेत्र के लिये निर्धारित लक्ष्य में से सिंगरेनी कोयला खान में ३० से ४० लाख टन कोयले का उत्पादन हो सकेगा। १५० से १६० लाख टन कोयले का उत्पादन राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के द्वारा किया जायेगा। हम इस आधार पर ही अपना कार्य कर रहे हैं।

अतः इस लक्ष्य को बहुत ऊंचा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हमें जिस अतिरिक्त मात्रा में कोयले का उत्पादन करना है उसका देश की प्रगति के साथ बढ़ते हुए उद्योगों से अनन्योआश्रित संबंध है। हमारी कुछ अनिवार्य आवश्यकतायें हैं, उदाहरणार्थ हम इस्पात उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं और नये उर्वरक संयंत्र स्थापित करना चाहते हैं। वाणिज्यिक क्षेत्र में एक कोक बनाने की भट्टी पहिले से ही है, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में एक कोक बनाने का संयंत्र है, उन सभी स्थानों के लिये धातुकर्मिक कोयले की आवश्यकता होगी। यद्यपि हम ने अस्थायी रूप से ९७० लाख टन का लक्ष्य निश्चित किया है तथापि विभिन्न प्रकार के कोयले की वास्तविक आवश्यकता का सही पता लगाना होगा; क्योंकि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इस संबंध में श्री मुरारका और श्री गुहा आदि सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है और कहा है कि हम जो विशाल धातुर्कमिक संयंत्रों की स्थापना कर रहे हैं, अथवा आगामी योजना में जिनकी स्थापना की जाने वाली है, उन के लिये आवश्यक कोयले का उत्पादन होना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में जो भी कोक बनाने वाले संयंत्र अथवा उर्वरक संयंत्रों की स्थापना की जाय उन के लिये उचित प्रकार के कोयले का संभरण करते रहना बहुत आवश्यक है, जिस से कि हमारी पूंजी का उचित लाभ प्राप्त होता रहे और इन कारखानों के द्वारा होने वाले अच्छे उत्पादन के फल स्वरूप देश की अर्थ व्यवस्था अधिक सुदृढ़ हो। इस लिये कोक बनाने वाले कोयले की आवश्यकता का पृथक रूप से निर्धारण किया जायेगा।

कोक बनाने वाले कोयले की आवश्यकता के संबंध में कई सदस्यों ने उल्लेख किया है। मेरे एक सहयोगी ने सिंदरी के संबंध में जो कुछ कहा उसके संबंध में प्रकाशित समाचार पढ़ कर मुझे दुख हुआ। उन्होंने कहा था कि यह कमी कई कारणों से हुई थी, पहिला कोयले की कमी और दूसरा संयंत्र के पुराने हो जाने के कारण इत्यादि। अतः यह कहना कि केवल कोयले की कमी के कारण उत्पादन में कमी हुई गलत है। मैं इस संबंध में और स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। सिंदरी को प्रतिमाह ३०,००० टन कोयले की आवश्यकता होती है। नये इस्पात संयंत्रों की स्थापना हो जाने के बाद नये तरीके से कोयला वितरण किया गया, इस में से सिंदरी को २४००० टन उन्हीं स्रोतों से दिया गया, जो उन्हें स्वीकार थे, अवशेष ६००० टन के संबंध में टेक्नीकल विशेषज्ञों की यह राय थी कि वह कोयला भी अच्छा है और इस से उनका काम चल सकता है, तथापि सिंदरी के रसायन शास्त्रियों और अधिकारियों ने इस बात पर दबाव डाला कि यह कोयला भी लोडना कोयला खान से मिलना चाहिये, इस कारण उन्हें दो महीने तक लोडना कोयला खान से कोयला नहीं मिला अतः उन्हें केवल इन दो महीनों के दौरान उनकी कुल मासिक आवश्यकता जो कि ३०,००० टन प्रतिमाह है में से केवल ६००० टन कोयला, उन स्रोत से नहीं मिल सका जहां से वे चाहते थे। सरकार इस मामले में सिंदरी के टेक्नीकल विशेषज्ञों की राय जानने के पश्चात् इस मामले पर विचार करना चाहती है कि क्या त्रुटिपूर्ण कोयले के संभरण के कारण उन के उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है। इस्पात मंत्रालय सिंदरी परियोजना पर भी उतनी ही दिलचस्पी रखती है जितनी कि अन्य

[सरदार स्वर्ण सिंह]

मंत्रालय उस पर रखते हैं, अतः यह कहना कि सरकार सम्पूर्ण स्थिति पर नजर नहीं रख रही है गलत है ।

समाचार पत्रों में इस प्रकार के संवाद प्रकाशित हुए जिन से यह प्रतीत होता है कि इस्पात संयंत्रों को कोक बनाने वाला कोयला दिये जाने में कठिनाई हो रही है । हम इस मामले पर हमेशा ही निगाह रख रहे हैं। इस मामले में कोई ढील नहीं की जा सकती है क्योंकि यह रात दिन काम करने वाले संयंत्र हैं और उनको चौबीसों घंटे कोयला, लोहा तथा अन्य कच्चे माल की आवश्यकता रहती है । अतः इन वस्तुओं के संभरण में कमी होने के गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिये कोक बनाने वाले कोयले की आवश्यकता के संबंध में बहुत सावधानी से विचार किया जा रहा है । मैं इस मामले को सभा के सम्मुख और स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूं।

कोक बनाने वाले कोयले की आवश्यकता तीन क्षेत्रों में होती है : (१) इस्पात संयंत्र (२) सिंदरी, (३) कोक बनाने का वाणिज्यिक कारखाना । इनकी आवश्यकताओं का निर्धारण कर इनका हिसाब लगा लिया गया है । सभा को यह भी ज्ञात है कि अन्तिम धमन भट्टी इस योजना की समाप्ति के पूर्व चालू हो जायेगी । इस निश्चित तारीख को ध्यान में रखते हुए, जब से यह धमन भट्टी चालू होगी, इसकी आवश्यकता का हिसाब भी महीनेवार लगा लिया गया है, इस बात का पूरा प्रबन्ध कर लिया गया है कि इस्पात संयंत्रों को कोक बनाने वाले कोयले की कमी न होने पावे ।

मैं उक्त तीनों प्रयोजनों के लिये कोक कोयले की आवश्यकता के संबंध में कुछ ठोस आंकड़े देना चाहता हूं । अगस्त से अक्टूबर १९६० के दौरान कुल आवश्यकता प्रतिमाह इस प्रकार होगी । चुनी हुई श्रेणी का कोयला ४,५८,००० टन, प्रथम श्रेणी का कोयला ४,४७,००० टन । कोयला खानों में होने वाली ५ प्रतिशत खपत को छोड़कर कुल उपलब्धि इस प्रकार होगी । विशिष्ट श्रेणियों का कोयला ५,७९,५०० टन और प्रथम श्रेणी का कोयला ४,४२,७०० टन; इस प्रकार वस्तुतः १,१५,००० टन अधिक कोयले का उत्पादन होगा ।

नवम्बर १९६० से जनवरी १९६१ तक कोक कोयले की आवश्यकता में वृद्धि होगी क्योंकि कुछ और धमन भट्टियां चालू हो जायेंगी । तथापि उक्त तीनों क्षेत्रों की आवश्यकता की पूर्ति के बावजूद भी ८५,००० टन कोयला बच रहेगा । फरवरी १९६१ से मार्च १९६१ तक ७५,००० टन अधिक कोक कोयले का उत्पादन होगा । । जब तक कोई नयी कोक बनाने वाली भट्टी चालू नहीं होगी तब तक मांग की गति यही बनी रहेगी । इस की भी हमारे पास पूरी व्यवस्था है; क्योंकि ऐसी भट्टी की स्थापना एक दिन में तो हो नहीं सकती । अप्रैल १९६१ से मार्च १९६३ तक इसकी आवश्यकता एक समान रहेगी और आशा है कि यह १०.२ लाख टन से ११.१ लाख टन प्रतिमाह के आसपास होगी ।

उत्पादन पर्याप्त होगा, हमने एक लाख टन प्रतिमाह अतिरिक्त उत्पादन करने की व्यवस्था की है जिस से कि यदि किसी क्षेत्र में कोई कमी हो तो उसे पूरा किया जा सके ।

माननीय सदस्यों ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के संबंध में जो अन्य बातें कही हैं, उन की प्रमुख बातों का अब मैं उल्लेख करता हूं। करगली के कोयला धोने के कारखाने के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है । प्रतिवेदन में जो जानकारी दी गई है वह नवीनतम नहीं है । माननीय सदस्यों को इस प्रकार की आलोचना नहीं करनी चाहिये कि हमने इस कारखाने को औपचारिक रूप से नहीं लिया। इस आधार पर आलोचना करना ठीक नहीं है । अपितु इस सतर्कता की प्रसंशा की जानी चाहिये। हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि इसे लिये जाने के पूर्व वह कारखाना आवश्यक स्तर का हो जाय। अतः उसे ले लिये जाने के पूर्व उस के कार्य को आवश्यक स्तर तक उठाने की जिम्मेदारी संभरणकर्ता की है । इस कारखाने की अधिकतम क्षमता १,३५,००० टन प्रति माह है । अतः मेरे लिये यह कहना कि इस पूर्ण क्षमता का कब तक उपयोग किया जा सकेगा कठिन है, विशेषतः इसलिये कि इस समय संभरणकर्ता और निगम के बीच विवाद चल रहा है । इस मामले पर संभरण और निपटान के महानिदेशक विचार कर रहे हैं। अतः मैं इस संबंध में सभा को कोई आश्वासन नहीं दे सकता हूं। मैं केवल यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस संबंध में कुछ त्रुटियां थीं, जिन्हें दूर किया गया है और इस कारखाने का कार्य इतना बुरा नहीं रहा है ।

माननीय सदस्य कोयला धोने के तीन प्रस्तावित कारखानों के संबंध में तथा उन के लक्ष्यों के संबंध में जानना चाहेंगे । वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार दुगड़ा कोयला धोने का कारखाना १९६१ में चालू हो जायेगा। भोजूडीह १९६२ में और पथरडीह १९६३ में चालू होगा। अपने भाषण में ऊपर मैंने जो तारीखें दी हैं अथवा अतिरिक्त आवश्यकताओं के संबंध में जो आंकड़े दिये हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस्पात संयंत्रों के लिये आवश्यक कोक कोयला इन कोयला धोने वाले संयंत्रों से प्राप्त हो जायेगा ।

लेखा परीक्षा के संबंध में कुछ बातें कही गई हैं। मैं आशा करता हूं कि निगम लेखा परीक्षक द्वारा उठाई गई आपत्तियों से शिक्षा ग्रहण करेगा। मैं यहां निगम के कार्यों के संबंध में सफाई नहीं देना चाहता हूं। वह एक स्वायत-शासी संस्था है उन्हें चाहिये कि वे इन आपत्तियों का उचित उत्तर देवें । उक्त आपत्तियों में कुछ सार है या वे केवल प्रक्रिया संबंधी हैं, चाहें वे कैसी भी हों, तथापि निगम तथा सभी राज्य उपक्रमों का यह कर्तव्य है कि वे इन आपत्तियों और आलोचनाओं पर सावधानी से विचार कर उनका समुचित उत्तर देवें। मुझे इस संबंध में अधिक कुछ नहीं कहना है ।

निगम के कार्य के वित्तीय पहलू के संबंध में भी प्रश्न उठाया गया था, यह एक महत्वपूर्ण विषय है, जहां तक कोयले के सामान्य मूल्य और उसकी खोज करने के संबंध में हमारी नीति का प्रश्न है वह अनिवार्यतः लाभकारी नहीं है। मेरी यह निश्चित राय है कि राज्य उपक्रमों को अपने कार्य के द्वारा सरकार को लाभ पहुंचाना चाहिये । तथापि यह इस बात पर निर्भर है कि आप कीमत, कर इत्यादि के संबंध में क्या नीति बरतते हैं। इस निगम को वे कोयला खानें मिली हैं जो रेलवे को कोयला संभरित करने के उद्देश्य से आरम्भ की गई थी। अतः इसकी सामान्य लाभ और हानि रेलवे के लेखे में ही शामिल होती थी। फलस्वरूप उन्होंने पृथक पृथक कोयला खानों से प्राप्त होने वाले लाभ की कभी चिन्ता नहीं की। सभा में गिरडीह कोयला खान के संबंध में बहुत चर्चा हुई है। यह कोयला खान ७०–८० वर्ष पुरानी है। यह अपने अन्तिम दिनों में है इसका समस्त कोयला चार या पाँच वर्ष में समाप्त हो जायेगा। इस कोयला खान को जारी रखने के कई कारण हैं ।

[सरदार स्वर्ण सिंह]

यह कोयला अच्छी किस्म का है। वहाँ ६००० कर्मचारी काम करते हैं। वहाँ एक पूरी बस्ती बनी हुई है। हमें इस बात का निर्णय करना है कि हम यह कोयला छोड़ दें और इन सब व्यक्तियों को बेकार होने दें, अथवा इन्हें किसी अन्य स्थान में स्थानान्तरित करें। हम इस बात पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं, क्योंकि इसी खान पर ४० या ५० लाख रुपये प्रतिवर्ष की हानि होती है। यद्यपि इस कोयले को ऊंची दर पर खरीदने वाले लोग भी मौजूद हैं, तथापि इसके मूल्य नियंत्रित होने के कारण हमने इसकी अधिक दर बढ़ाने की अनुमति नहीं दी है, क्योंकि यह स्मरण रखना होगा कि यदि हमें उन्हें स अच्छी किस्म के कोयले की कीमत बढ़ाने की इजाजत देंगे तो इस्पात जिसकी कीमत नियंत्रित है, उसके भी दाम बढ़ जायेंगे अतः जैसा कि श्री गुह ने कहा है, यह केवल हिसाब संबंधी बात है कि आप किसी विशेष लेखे को एक खाते में दिखाते हैं या दूसरे खाते में। इसका आधारभूत कारण यह है कि काम करने की अवस्था में बहुत अंतर है। हम इन खानों को केवल दो कारणों से चालू किये हुए हैं, एक तो यह कि कोयले की किस्म अच्छी है और दूसरे कुछ मानवीय कारण भी हैं। यदि हम स खान को हटा लें तो वित्तीय स्थिति बिल्कुल बदल जायेगी। मैं इसका विस्तार से विवरण नहीं दूंगा तथापि यह खान उनके लाभ का बहुत बड़ा अंश स्वाहा कर जाती है। फलस्वरूप उनके लेखे अवास्तविक हो जाते हैं। निगम इस संबंध में बहुत चिन्तित है। उनका कथन है कि या तो सरकार इस घाटे की रकम को उन्हें अदा करे या उन्हें इस कोयले को ऊंची दर से बेचने की अनुमति दे। सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है और आशा है कि राष्ट्रीय हित को दृष्टि में रख कर केवल लाभ कमाने के संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं, क्योंकि खनिज विकास के संबंध में यह दृष्टिकोण हमेशा उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है—कोई निर्णय शीघ्र किया जायेगा। ६००० व्यक्तियों की बेरोजगारी की समस्या तो हमारे सम्मुख चार वर्ष पश्चात् भी उपस्थित होगी।

कर्मचारियों के प्रशिक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है। यह मामला न केवल निगम के बल्कि सरकार के भी विचाराधीन है, तथा सभी स्तरों यथा इंजीनियरिंग, टेक्नीकल, फोरमैन तथा कर्मचारी स्तर पर बहुत कुछ कार्य किया भी गया है। इस संबंध में कुल आवश्यकता का अनुमान लगा लिया गया है और इस बात के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है कि न केवल वर्तमान आवश्यकता के लिये अपितु तीसरी योजना की अवधि की आवश्यकता के लिये भी आवश्यक संख्या में कर्मचारी उपलब्ध हो सकें।

यह कहना सही है कि खदान परियोजनाओं से नतीजा हासिल करने में बहुत समय लगता है, अतः भारत भूतत्वीय सर्वेक्षण और भारतीय खान ब्यूरो के द्वारा अग्रिम रूप से खुदाई करने का काम किया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि इससे अधिक विश्वास के साथ विस्तार का कार्य हो सकेगा। मैं कह सकता हूं कि इस योजना के दौरान हमें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनसे हम तीसरी योजना के दौरान होने वाले विस्तार कार्यक्रम का कार्य अधिक विश्वास के साथ कर सकेंगे।

परिवहन संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाया गया है। यह विषय सभा में बार बार उपस्थित होता है। मैंने अभी अभी सभा में बताया था कि इस्पात संयंत्रों तथा सिंदरी को कोक कोयले की अनिवार्य आवश्यकता बनी रहेगी। इसलिये इसके परिवहन की मात्रा को

उचित स्तर तक बनाये रखना पड़ेगा। इस कमी का प्रभाव उन स्थानों में स्पष्ट परिलक्षित होगा जो स्थान कोयला खानों से दूर हैं, उदाहरणार्थ उत्तरप्रदेश, राजस्थान, पंजाब या दक्षिण इत्यादि में। यह बात मालगाड़ियों की आवश्यकता और उनकी उचित स्थानों में उपलब्धि पर भी निर्भर है।

यह स्मरण रखना चाहिये कि कोयला रेलवे के कुल यातायात का एक बड़ा अंश ले लेता है। यह अंश एक तिहाई है। केवल इस्पात संयंत्रों की लौह अयस्क और कोयला संबंधी आवश्यकतायें ही रेलवे की कुल क्षमता का पाँचवाँ भाग ग्रहण कर लेती हैं। विस्तार योजनाओं के लागू होने पर उन्हें रेलवे की एक चौथाइ क्षमता की आवश्यकता होगी। इसका तात्पर्य यह है कि कुछ विशेष स्थानों के बीच अत्याधिक परिवहन होगा। रेलवे मंत्रालय इन बातों का पूरा ध्यान रखता है। मैं आशा करता हूं कि रेलवे अन्य मंत्रालयों, यथा इस्पात, खान और ईंधन और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के पारस्परिक सहयोग से देश के विभिन्न स्थानों में कोयले की माँग पूरी होगी।

हमारे देश में कोयले की खानें बहुत अच्छे स्थानों मे स्थित नहीं हैं। यह खानें कुछ विशेष क्षेत्र में सीमित हैं, इसलिये उत्पादन के क्षेत्रों तक इन्हें ले जाने के लिये इसका बहुत दूरी तक यातायात करना होता है। इसी कारण परिवहन में कठिनाइयाँ पैदा हो जाती हैं।

अपने भाषण के दौरान मैंने सभी महत्वपूर्ण बातों का उत्तर देने का प्रयत्न किया है, कई अन्य बातें जिन का उल्लेख किया गया था, वे भी कम महत्वपूर्ण नहीं थीं। मैं आशा करता हू कि इन बातों से सरकार तथा कोयला विकास निगम दोनों को ही लाभ होगा, तथा निगम के कार्य में सुधार करने के लिये यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड के वर्ष १९५८-५९ के वार्षिक प्रतिवेदन पर (लेखा परीक्षित लेखे और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित), जो ११ मार्च, १९६० को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार, १८ अगस्त, १९६०/२७ श्रावण, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[बुधवार, १७ अगस्त, १९६०
२६ श्रावण, १८८२ (शक)]

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१३८७—१४०७
तारांकित प्रश्न संख्या		
४३९	भारत में चीनियों की जनगणना	१३८७—९०
४४०	विदेशी मुद्रा विनियमों का अतिक्रमण	१३९०—९२
४४१	हिन्दी के टेलीप्रिन्टर और टाइप राइटर	१३९२—९४
४४२	केन्द्रीय सचिवालय में संयुक्त परिषदें	१३९४—९६
४४३	संगीत नाटक अकादमी	१३९६—९८
४४४	सेना वर्कशाप	१३९८—९९
४४५	दक्षिण में इस्पात कारखाना	१३९९—१४०३
४४६	"नेफा" में आकाश सीमा का अतिक्रमण	१४०४—०५
४४८	केन्द्रीय यान्त्रिक इंजीनियरी अनुसन्धान संस्था	१४०५
४४९	ताप प्रतिरोधक पदार्थ	१४०६
४५०	कृत्रिम वर्षा	१४०६—०७
४५२	ब्रिटेन से ऋण	१४०७
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या		
३	आयकर विभाग के कर्मचारियों को वेतन न दिया जाना	१४०८—०९
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१४०९—७६
तारांकित प्रश्न संख्या		
४३८	हिन्दी शब्दावलियां	१४०९
४४७	पाकिस्तान में हैदराबाद राज्य के धन का अप्राधिकृत रूप से निकाला जाना	१४०९—१०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
४५१	मैसूर राज्य कर्मचारियों की जीवन बीमा पालिसियां	१४१०
४५३	ब्रिटेन से ऋण	१४१०–११
४५४	पर्वतारोहण क्लब	१४११
४५५	दिल्ली में गैर-सरकारी स्कूलों को सरकारी सहायता	१४११–१२
४५६	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां	१४१२
४५७	रूरकेला इस्पात कारखाना	१४१३–१४
४५८	सरकारी उपक्रम	१४१४
४५९	नयन सिंह दैनिक विवरण	१४१४
४६०	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, कानपुर	१४१५
४६१	चीनी एजेन्टों का अवैध प्रवेश	१४१५
४६२	जैसलमेर में तेल सर्वेक्षण	१४१५–१६
४६३	मानव शास्त्रों के अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां	१४१६
४६४	लोअर डिवीजन क्लर्कों की वेतन वृद्धि	१४१७
४६५	कुतुब मीनार, दिल्ली पर आत्म हत्यायें	१४१७
४६६	टेहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी में भारत के साम्यवादी दल की गतिविधियां	१४१८
४६७	हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० की बकाया रकम	१४१८
४६८	असम के शरणार्थी	१४१९
४६९	लक्ष्मी बैंक का परिसमापन	१४१९–२०
४७०	स्कूल में विज्ञान की शिक्षा	१४२०
४७१	विदेशी बैंकों में खाते	१४२०
४७२	कोयला खदानों को जल सम्भरण की योजना	१४२१
४७३	भूतपूर्व सैनिक	१४२१–२२
४७४	ट्रक व ट्रैक्टरों का निर्माण	१४२२
४७५	सम्मिलित रक्षित पुलिस बल	१४२२
४७६	प्रौढ़ अन्धों के लिये देहरादून में प्रशिक्षण केन्द्र	१४२३
४७७	समुद्री बीमा	१४२३
४७८	सरकारी उपक्रमों की वार्षिक रिपोर्ट	१४२४
४७९	अन्दमान द्वीप समूह के समुद्री विभाग के श्रमिकों के वेतन आदि	१४२४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

४८० राष्ट्रीय अनुशासन योजना १४२५
४८१ न्यू एशियाटिक तथा रूबी जनरल इन्स्योरेंस कम्पनियां . १४२५
४८२ पिछड़े वर्गों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां . १४२५–२६
४८३ निर्वाचन आयोग की सिफारिशें १४२६
४८४ "होम गार्ड" १४२७
४८५ अन्दमान द्वीप समूह में औद्योगिक कर्मचारियों के वेतन क्रम . १४२७–२८

अतारांकित
प्रश्न संख्या

७९८ आन्ध्र प्रदेश में काकटिया मन्दिर . . . १४२८
७९९ सिकन्दराबाद छावनी बोर्ड . . . १४२८
८०० बिहार में अभ्रक का उत्पादन १४२८–२९
८०१ इस्पात पुनर्वेल्लन मिलें १४२९
८०२ राज्य बैंक की शाखायें . . . १४२९
८०३ आय-कर की वसूली १४२९–३०
८०४ सम्पदा शुल्क की वसूली १४३०
८०५ हिन्दी में उच्च शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियां . . . १४३०
८०६ दिल्ली और नई दिल्ली में नये स्कूल . . . १४३०–३१
८०७ भारतीय प्रोद्योगिकी संस्था, खड़गपुर . . . १४३१
८०८ पालघाट में इंजीनियरिंग कालिज . . . १४३२
८०९ भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् . . १४३२
८१० सूरत के निकट तेल के निक्षेप १४३२
८११ पुरातत्वीय रसायनज्ञ १४३३
८१२ पुरातत्व विभाग के बड़े और छोटे सर्किल . १४३३
८१३ उत्तर प्रदेश के कालिजों के अध्यापकों के वेतन क्रम . १४३४
८१४ पंजाब में भूतपूर्व सैनिकों के लिये बस्तियां . १४३४–३५
८१५ दिल्ली में समाज शिक्षा . . १४३५
८१६ गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता . . . १४३५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

८१८ मैसूर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियो के लिये कृषि बस्तियां . १४३५-३६
८१९ मैसूर में स्मारक १४३६
८२० रत्नगिरि में मिले पुरातत्वीय अवशेष व वस्तुयें १४३६
८२१ उड़ीसा में प्राथमिक शिक्षा . . . १४३६-३७
८२२ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कोषाध्यक्ष . . १४३७
८२३ हिन्दी असिस्टेंट १४३७
८२४ सहकारी उद्योगों के लिये मध्यम कालीन ऋण १४३८
८२५ उड़ीसा में प्रविधिक शिक्षा . . . १४३८-३९
८२६ उड़ीसा के राजनीतिक पीड़ितों को सहायता . १४३९
८२७ लिपिक सेवा में स्थायी पद . . १४३९
८२८ स्वयंसेवी शिक्षा संस्थाओं को सहायता . . १४३९
८२९ बहुप्रयोजनीय स्कूल . . १४४०
८३० स्कूलों में प्रयोगात्मक-कार्य . १४४०
८३१ दिल्ली में आग . १४४०-४१
८३२ एम० ई० एस० में ठेका पद्धति . . १४४१
८३३ राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली १४४१
८३४ राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली . . १४४१-४२
८३५ आदिम जातियों के लिये व्यापार प्रबन्ध और प्रशिक्षण संस्था १४४२-४३
८३६ फिल्म प्रोजैक्टरों का निर्माण १४४३
८३७ कोयला बोर्ड और खानों के मुख्य निरीक्षालय के बीच समन्वय . १४४३
८३८ अफीम का निर्यात . . १४४३-४४
८३९ १९६१ की जनगणना १४४४
८४० विदर्भ का महाराष्ट्र में शामिल किया जाना . १४४४
८४१ भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् . १४४५
८४२ भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान . १४४५
८४३ हिन्दी अध्यापकों का प्रशिक्षण कालेज . १४४५
८४४ विश्वेश्वरानन्द वैदिक अनुसन्धान संस्था पंजाब . १४४६
८४५ महिला अध्यापक . . १४४७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
८४६	कश्मीरी भाषा	१४४७-४८
८४७	देहरादून में प्रौढ़ अंधों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र . .	१४४८
८४८	पालम हवाई अड्डे पर सोने की बरामद . . .	१४४८-४९
८४९	दिल्ली कारखाना क्षेत्रों में सुबह के और रात के स्कूल . .	१४४९
८५०	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	१४४९-५०
८५१	केरल, मैसूर और मद्रास में पैट्रोल की आवश्यकता . .	१४५०
८५२	"कलरिपट्टू" पटेबाजी . . .	१४५०
८५३	केरल में पुरानी नक्काशी . . .	१४५१
८५४	प्रतिरक्षा संस्थापनों में असैनिक कर्मचारी . . .	१४५१-५२
८५५	भूतत्वज्ञों की कमी	१४५२
८५६	राजस्थान के लिये कोयले का चूरा . . .	१४५३
८५७	पंजाब जूनियर टैक्नीकल स्कूल . . .	१४५३
८५८	अपाहिजों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र . .	१४५३-५४
८५९	भारत-गोआ सीमा पर माल पकड़ा जाना . . .	१४५४
८६०	जबलपुर में प्रतिरक्षा कर्मचारियों का निष्कासन . .	१४५४-५५
८६१	सान्ता क्रुज में चोरी से लाया गया सोना . .	१४५५
८६२	आन्ध्र प्रदेश में तांबा . .	१४५५-५६
८६३	एम० ई० एस०, कानपुर	१४५६
८६४	नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना . .	१४५७
८६५	विदेशों को भेजे गये शिष्ट मंडल	१४५७
८६६	आदिम जाति लोगों के लिये शिल्पिक संस्थायें (टैक्नीकल इंस्टीट्यूट)	१४५७-५८
८६७	पंजाब में सामाजिक तथा नैतिक स्वास्थ्य रक्षा तथा बाद की देखभाल का कार्यक्रम . . .	१४५८
८६८	पंजाब में सांस्कृतिक संगठनों को अनुदान . . .	१४५८
८६९	लोहा और इस्पात का आयात	१४५९
८७०	उत्तरी सीमा की रक्षा . . .	१४५९
८७१	लवडेल, मद्रास में युवक नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर .	१४५९-६०
८७२	तिब्बती भाषाओं का अध्ययन	१४६१
८७३	छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये अमरीकी ऋण .	१४६१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

८७४ जीवन बीमा निगम द्वारा सम्पत्ति का क्रय . . . १४६१

८७५ यूरेस्को की मानव शास्त्र सम्बन्धी छात्र वृत्तियां और अधिछात्र-वृत्तियां १४६१-६२

८७६ राष्ट्रीय कोयला विकास निगम १४६२

८७७ इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी, कानपुर . . १४६२-६३

८७८ मत्यु दंड में परिवर्तन १४६३

८७९ कनाट प्लेस में चोरियां १४६३

८८० प्रसिद्ध व्यक्तियों के घरों का परिरक्षण . . . १४६४

८८१ स्नातकोतर डिग्रियों में तीसरी श्रेणी का समाप्त किया जाना १४६४

८८२ त्रिपुरा में कोयले का संभरण . . . १४६४

८८३ चीनी नाविकों द्वारा तस्कर व्यापार . . . १४६५

८८४ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन . १४६५-६६

८८५ विकास-ऋण निधि १४६६

८८६ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को अनुदान . १४६६-६७

८८७ त्रिपुरा में वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण . १४६७

८८८ भारत सेवक समाज १४६७

८८९ विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेल . . . १४६७-६८

८९० सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संघ १४६८

८९१ राष्ट्रीय पुस्तक न्यास १४६८-६९

८९२ राष्ट्रीय पुस्तक न्यास . . . १४६९

८९३ लद्दाख की सीमा १४६९

८९४ कांगड़ा और होशियारपुर में भूतपूर्व सैनिक . . . १४६९

८९५ प्रतिरक्षा सेनाओं को चावल और तेल का सम्भरण . . १४७०

८९६ प्रसारण के सम्बन्ध में हेग सम्मेलन . . . १४७०

८९७ स्मारकों में कृत्रिम प्रकाश . . . १४७०-७१

८९८ मद्रास में पुरालेख विद्या अधीक्षक . १४७१-७२

८९९ पुरातत्व विभाग १४७२

९०० दिल्ली में सरकारी बस्तियों में मनोरंजन केन्द्र . . १४७२

९०१ दिल्ली में सरकारी स्कूलों में क्लर्कों और अध्यापकों के वेतन . १४७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
९०२	भारत में पाकिस्तानी छात्र . .	१४७३
९०३	आणविक अनुसन्धान . .	१४७३
९०४	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला . . .	१४७४
९०५	दिल्ली में स्कूल के छात्रों से दान लिया जाना .	१४७४
९०६	हांडीधुआ कोयला खान	१४७४–७५
९०७	टगोर की कृतियों का उड़िया भाषा में अनुवाद .	१४७५–७६
सभा पटल पर रखे गये पत्र		१४७६
राज्य सभा से सन्देश		१४७७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .		१४७७–७८

(१) बीमा अधिनियम, १९३८ की धारा २ग की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(१) दिनांक १८ जून, १९६० का एस० ओ० १५०३ ।

(२) दिनांक १८ जून, १९६० का एस० ओ० १५०४ ।

(२) विदेशियों का पंजीयन अधिनियम, १९३९ की धारा ६ के परन्तुक के अन्तर्गत निम्नलिखित छूट की घोषणाओं की एक-एक प्रति :—

(१) दिनांक ६ जुलाई, १९६० की संख्या १/१५/६० एफ० आई० (३ घोषणायें) ।

(२) दिनांक २९ जुलाई, १९६० की संख्या १/१९/६० एफ० आई० (१ घोषणा) ।

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त दो संदेशों की सूचना दी कि राज्य सभा ने १६ अगस्त, १९६० की अपनी बैठक में निम्नलिखित विधेयकों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है :—

(१) लोक-सभा द्वारा ३ अगस्त, १९६० को पारित किया गया त्रिपुरा भू-राजस्व तथा भूमि सुधार विधेयक १९६० ।

(२) लोक-सभा द्वारा ११ अगस्त, १९६० को पारित किया गया बैंकिंग सनवाय (संशोधन) विधेयक, १९६० ।

श्री रघुनाथ सिंह ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में गैस्ट्रो एंट्राइटिस महामारी की ओर स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिलाया ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया ।

विषय पृष्ठ

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य . . . . . १४७७—८०

(१) गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त,) ने श्री प्रभु नारायण सिंह के निवारक निरोध अधिनियम के अधीन निरुद्ध किये जाने के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(२) रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम,) ने दक्षिण पूर्व रेलवे पर लाइन टूटने के बारे में एक वक्तव्य दिया।

समिति के लिये निर्वाचन. १४८१

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली,) ने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये लोक-सभा के सदस्यों में से तीन सदस्य चुने जाने के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक—पुरस्थापित १४८१

(१) विनियोग (संख्या ३,) विधेयक, १९६०।

(२,) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६०। . .

विधेयक—विचाराधीन . . . . . १४८२—९४

प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . १४९५—१५११

श्री सै० अ० मेहदी ने राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड के ११-३-६० को सभा पटल पर रखे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह,) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

गुरुवार, १८ अगस्त, १९६०/२७ श्रावण, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि—

विनियोग (संख्या ३,) विधेयक, १९६० और विनियोग (रेलवे,) संख्या ४ विधेयक, १९६० पर विचार तथा उनका पारित किया जाना; और निम्न विषयों संबंधी प्रस्तावों पर विचार :—

(१,) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन; तथा

(२) नागा पहाड़ियां और तुएनसांग क्षेत्र।

GIPND—LS III—880 (Ai) LSD—16-9-60—135